असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

01 अप्रील, 2016

षोडश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 01 अप्रील,2016 ई0
द्वितीय सत्र — 12 चैत्र, 1938 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 9.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती हैं ।

सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के अन्तर्गत श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0 से सामान्य लोकहित के विषय पर निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुआ है:-

"यह सभा राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को स्वच्छ जल आपूर्ति करने में सरकार की असफलता से उत्पन्न स्थिति पर विमर्श करे।''

इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए कुल दो घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा:-

राष्ट्रीय जनता दल-	40 मिनट ।
जनता दल (यूनाईटेड) -	35 मिनट ।
भारतीय जनता पार्टी-	26 मिनट ।
इंडियन नेशनल कॉग्रेस -	13 मिनट ।
सी0पी0आई0 (एम0एल0)-	1 मिनट ।
लोक जनशक्ति पार्टी -	1 मिनट ।
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा -	1 मिनट ।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी -	1 मिनट ।
निर्दलीय : -	2 मिनट ।
	कुल - 120 मिनट ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री विजय कुमार खेमका:-अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

"यह सभा राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को स्वच्छ जल आपूर्ति करने में सरकार की असफलता से उत्पन्न स्थिति पर विमर्श करे ।''

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस विषय पर विचार-विमर्श करने हेतु, चर्चा करने हेतु आपने इसे स्वीकार किया और अपने नेता का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे बोलने का समय दिया और पूर्णियाँ विधान सभा क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ बोलने का मौका प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पानी का बिहार में बहुत बड़ा संकट है। अध्यक्ष महोदय, आप हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, अनाज वगैरह अगर दो तीन दिन तक लोग नहीं खाये, तो काम चल सकता है लेकिन जल अगर दो तीन घंटे तक प्राप्त नहीं हो, तो हम सबों की क्या स्थिति बनती है, इसे हम सब जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, बिहार वैसे भी जल के मामले में, जो बिहार का क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र, मध्य बिहार और दक्षिण बिहार में जल की, शुद्ध जल की क्या स्थिति है, पीने वाले जल की क्या स्थिति है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। सदन में बैठे हुए जितने भी माननीय सदस्य हैं, अपने-अपने क्षेत्र में कैसी स्थिति जल की बनी है, इससे हम परिचित है और वैसे हमारे यहाँ कवि रहीम ने भी कहा है:-

"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,
पानी गये न उबरे, मोती मानस चून ।"

महोदय, हम सब इसे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पानी नहीं है, तो कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज जल के लिए पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। पूर्णिया शहर का गॉव हो या शहर हो, संपूर्ण पूर्णियाँ सहित कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, विधान सभा क्षेत्र का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ जल के लिए हाहाकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम सब यहाँ बैठे हुए और काफी पुराने सदस्य भी यहाँ हैं, जो हमारे अभिभावक भी हैं, मैं तो नया सदस्य हूँ, प्रथम बार आया हूं और जनता का आर्शीवाद मिला है और प्रयास जो हमारे नेता ने मुझे दिया, मैं प्रयास कर रहा हूँ, जल का जो संकट है, उसे बताने के लिए, जब भी हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी टोले में जाते हैं, तो जो गरीब जनता है, झोपड़ी में रहने वाली जनता है, खेत-खलिहान में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे व्यवसाय करने वाले हों, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि विधायक जी एक चापाकल दे दीजिये तो पानी मिल जायेगा लेकिन आज क्या स्थिति है महोदय, जो चापाकल प्रारंभ हुआ था कि हम 250 घर पर चापाकल देंगे, उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी को, जिन्होंने 100 घर पर एक चापाकल का प्रावधान लाया था लेकिन आज क्या स्थिति है, जिससे हम जल दे सकते हैं और वह जल 100 घर पर एक चापाकल, वह चापाकल भी यह सरकार बंद कर रही है,

विधायक किस मद से चापाकल देंगे, कैसे पानी देंगे, यह आप सभी जानते हैं। महोदय, आज पूरे बिहार में जल का हाहाकार है। अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में पानी का लेवेल, पानी का स्तर नीचे जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, लगभग चार हजार करोड़ गैलन पानी की बिहार में कमी है, जो पूर्व का सवेक्षण है, उसके अनुसार बिहार को चालीस हजार करोड़ गैलन पेयजल हमें ग्रामीण क्षेत्र में जरुरत है और शहरी क्षेत्र में लगभग 24 हजार करोड़ गैलन पानी की जरुरत है। अध्यक्ष महोदय, पानी के लिए हाहाकार है लेकिन सरकार कहती है कि हम नल के द्वारा हर जगह पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं इस फैसले का कि आप घर-घर जल पहुंचाने का काम कीजिये, निश्चित कीजिये लेकिन किस तरह जल पहुंचेगा, जहाँ मैं अपने ही घर की बात करुं, मैं अपने ही क्षेत्र की बात करुं, पूर्णियाँ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शहर और नगर में 7 जलमीनार है और सातों जलमीनार पर अल्प आपूर्ति के सिवाय सातों जलमीनार से आपूर्ति पानी की नहीं हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में भी एक जलमीनार है और शहरी क्षेत्र में 6 जलमीनार है लेकिन इससे आपूर्ति नहीं हो रही है, हम इससे पहले तारांकित प्रश्न में भी इस बात को उठाये थे और मेरे प्रश्न पर माननीय मंत्री महोदय ने कहा था और जवाब आया था कि उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है लेकिन अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अधिकारी तो जवाब बनाकर देते हैं लेकिन जमीन पर चाहे अन्य कारणों से जल की आपूर्ति नहीं हो रही है, अध्यक्ष महोदय, आज पूरे बिहार में जल का हाहाकार है लेकिन दावा करते हैं कि हम घर-घर जल पहुंचाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मध्य बिहार में पानी का लेयर ज्यादा नीचे जाता है और वहाँ आर्सेनिक युक्त पेयजल हमें पीना पड़ता है,उसी तरह से दक्षिण बिहार में फ्लोराईड प्रभावित जल हमलोगों को पीना पड़ता है और मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह कोशी, मिथिला और पूर्णिया प्रमंडल का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसके बारे में तो कहा जाता है कि पूर्णियाँ काला पानी का जगह है, अगर किन्हीं को सजा होती थी, तो उसे पूर्णियाँ भेजा जाता था, अध्यक्ष महोदय, वहाँ के पानी से लोगों को रंगीन कपड़े पहनने की जरुरत नहीं पड़ती थी, सादा पानी जो हम पीते हैं, उसमें कपड़ा अगर डाल दें, तो वह कपड़ा स्वत: ही केसरिया हो जाता है, वह पीला हो जाता है, तो ऐसे क्षेत्र से हम आते हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज से लाल पानी बंद है और आज एक अप्रैल की तारीख भी है और आज अप्रैल फूल भी है, इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार एक दिन अप्रैल फूल मनाये लेकिन 364 दिन तो बिहार की गरीब जनता के साथ पानी के नाम पर अप्रैल फूल नहीं मनावे। अध्यक्ष

महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि वह काला पानी का क्षेत्र है, वहाँ पानी पीला निकलता है, आयरन युक्त पानी है, अगर उस पानी को बोतल में 12 घंटा रख दें, तो वह बोतल भी पीला हो जाता है, तो महोदय इस तरह की स्थिति, परिस्थिति, जो पीने के पानी की बनी है ।

क्रमशः

श्री विजय कुमार खेमका (क्रमशः) उस दृष्टिकोण से मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किस तरह शुद्ध जल आम जनता को प्राप्त होगा ? किस तरह हमें शुद्ध जल प्राप्त होगा? आज मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो अशुद्ध जल हैं, जिनको शुद्ध नहीं किया जा सकता है, वह कैसे शुद्ध किया जायेगा ? सरकार कहती है कि मैं शुद्ध जल पहुंचाने का काम करूंगा ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कहता हूं, अखबार में जो लगातार आ रहा है, उसे मैं आपके आसन तक भेजवा सकता हूं । इधर जो अखबार आये हैं, उसमें दैनिक जागरण में लिखा हुआ है कि - '' स्कूल बना तबेला, नल पर लगता है मेला '' क्या स्थिति है ? पटना की क्या स्थिति है ? कनेक्शन कितना, कितने बाकी ? जल पर्षद् को यह पता नहीं है ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : एक सेकेंड अध्यक्ष महोदय । तो पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी ? मंत्री जी कहते हैं पहले साल 2130 टोले में जब शुद्ध जल पहुंचाया जायेगा, कैसे पहुंचेगा ? जब ट्यूब-वेल नहीं, चापाकल नहीं, विधायक का नली और गली योजना को समाप्त किया गया तो कैसे लगेगा विराम यह निश्चित रूपेण चिन्ता का विषय है।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद जी ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आज पी0एच0ई0डी0 और जल पर चर्चा में भाग लेने के लिये आप मुझे मौका दिये, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । अध्यक्ष महोदय, आज जल संकट के बारे में कहा जा रहा है । आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज बिहार जल के संकट के सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो सरकार बनने के उपरांत उन्होंने जो 7 निश्चित की घोषणा की, उस निश्चय में एक निश्चय है ''हर घर को नल का पानी'' । अध्यक्ष

महोदय, यह हम कहना चाहते हैं । आखिर जब महागठबंधन की सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद तुरंत इस तरह की घोषणा पूरे भारत को चौंकानेवाली घोषणा थी । हम बताना चाहते हैं कि यह बिहार गांवों का बिहार है, इस बिहार में 80 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं । 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं । गांवों में रहनेवाले लोगों को स्वच्छ भोजन, शुद्ध जल की जरूरत पड़ती है । सड़कों की जरूरत पड़ती है । माननीय मुख्यमंत्री जी, महागठबंधन के नेतृत्व में सोचा गया कि बिहार तभी खुशहाल हो सकता है, जब लोगों को शुद्ध पेयजल और स्वच्छ भोजन पर्याप्त रूप से मिलेगा । महोदय, हम आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं कि शुद्ध पेयजल के सवाल पर जो 7 निश्चय में निर्णय लिया गया है, मैं आपके माध्यम से महागठबंधन के सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करना चाहता हूं, अभिनन्दन करना चाहता हूं कि आपलोगों ने महागठबंधन को समर्थन दिया । महोदय, जब हम बिहार के बाहर इस सात निश्चय और हर घर में शुद्ध पेयजल की चर्चा करते हैं तो उनको स्वप्न के समान लगता है कि बिहार में हर घर में नल का पानी, तो वे चौंक जाते हैं । वे कहते हैं कि नल का पानी के बारे में हमलोग सुना करते थे । हमारे पूर्वज लोग कहा करते थे कि जहां अगर पानी का टंकी लगा हुआ है, पानी सप्लाई हो रहा है तो उसकी गिनती बड़े लोगों में होती थी । महोदय, यही छोटे बड़ों की दूरी कम करने के लिये 7 निश्चय में माननीय मुख्यमंत्री ने हर घर को नल का पानी देने का निश्चय किया । महोदय, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बिहार में जो यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जल के सवाल पर कि यह पूरे देश को ही नहीं, पूरी दुनियां को चौकानेवाला विषय है। यही कहना चाहते हैं । महोदय, पहले क्या होता था, हम उस ओर जाना चाहते हैं । पहले सभी माननीय विधायकों को एक पंचायत में 5 चापाकल दिया जाता था। विधान परिषद् के माननीय सदस्यों को 100 चापाकल मोटा-मोटी दे दिया जाता था कि जाईये, आप जनता का कल्याण कीजिये । प्रतिनिधि लोग क्या करते थे ?

(इस अवसर पर माननीय सभापति श्री रामनारायण मंडल ने आसन ग्रहण किया।)

चापाकल तो दे देते थे लेकिन जगह का चुनाव ठीक से नहीं होता था। जब बिहार में हर घर को बिजली देने का निश्चय किया गया तो इस बार चापाकल को लोग गाड़ने का काम किया करते थे, उसके बाद उसमें मोटर लगा दिया जाता था, गांवों से जनता की शिकायत आया करती थी कि जो चापाकल सरकार के तरफ से माननीय विधायक जी लगाये हैं, उसमें मोटर लगा दिया गया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में इस तरह की कई शिकायतें मिली कि आज कल जो माननीय विधायक जो चापाकल देते हैं जब वह गड़ जाता है तो उसमें मोटर लगा

दिया जाता है । तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को पूरी गंभीता से लिये और विचार किये कि लोग अब नल का पानी पीना चाहते हैं, नल का डायरेक्ट पानी पीना चाहते हैं । तो 7 निश्चय में हम सभी माननीय विधायकों से इस बात पर चर्चा के लिये आपलोगों से समर्थन की मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से पेयजल पर एक आम सहमति बनाने का काम किये, आपने जिस तरह से बिहार में शराब बंदी के लिये आम समर्थन, जनमत बनाने का काम किये हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि 7 निश्चय में जिसमें पेयजल भी एक निश्चय है, उसमें भी आपलोग समर्थन कीजिये । यही हम सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय विधायकों से मांग करना चाहते हैं । महोदय, क्या हुआ मिनी जलापूर्त्ति योजना? मिनी जलापूर्त्ति योजना के अन्तर्गत पूरे बिहार में वैसे टोला, बसावटों को चुना गया, जहां पर महादलित रहते हैं, जहां पर पेयजल का संकट था । वैसे जगहों को चिन्हित करके मिनी जलापूर्त्ति के तहत वहां पर डायरेक्ट पानी का सप्लाई शुरू हो गया है । इस ओर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है । 75 प्रतिशत योजनायें पूरी हो गयी है और 25 प्रतिशत योजनाओं पर काम चल रहा है । महोदय, जहां तक भाजपा वाले लोग चापाकल, चापाकल करके पूरे सदन को गुमराह करने का काम किये । चापाकल के मुद्दे पर जो सदन का समय बर्बाद करने का काम किया। महोदय, हम कहना चाहते थे कि पहले चापाकल से पानी पीते थे लेकिन अब आप नल खोलियेगा तो डायरेक्ट पानी पीजियेगा ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : शांति शांति !

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : सभापति महोदय, माननीय नेता नीतीश बाबू के नेतृत्व में जनता ने महागठबंधन को समर्थन देने का अद्भुत कार्य किया गया है, यह पूरे भारत को चौंकानेवाला है । ऐसा कोई राज्य नहीं है, जहां पर हर व्यक्ति नल खोले और पानी पीये । यह लोग सपना देखा करते थे । यह लोग सपना देखते कि नल का पानी कैसे खुलेगा, कैसे उससे पानी गिरेगा ? ये लोग सोचते थे, सपना देखा करते थे । जब लोग दूसरी जगहों पर अपने बेटा-बेटियों के लिये वैवाहिक संबंध तय करने के लिये जाते थे और जब वहां से लौट कर वे घर आते थे तो कहते थे कि अरे भाई, फलां जगह गये तो वहां नल का पानी था । यहां कहां है नल का पानी ? आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब पूरे बिहार में नल का पानी मिलेगा तो बिहार की शान पूरे दुनियां में होगा । यही हम कहना चाहते हैं । महोदय,आज बिहार जिस तरह से 7 निश्चय पर काम शुरू कर दिया है, उस 7 निश्चय में जल और

शौचालय महोदय, एक तरफ शौचालय भी निश्चय किया है कि पूरे बिहार में गरीबों को और गरीबी से नीचे रहनेवाले लोगों को शौचालय देंगे ।

(क्रमशः)

टर्न–3/सत्येन्द्र/1–4–16

श्री चन्द्रसेन प्रसाद(क्रमशः) महोदय, जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो चौंक जाते थे कि क्या हर गरीब को शौचालय मिलेगा। हमलोग चौंकते थे महोदय,आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सदस्यों को कि जब हर घर को शौचालय मिल जायेगा तो जो हमारा स्वच्छता का अभियान है पूरे भारत में बिहार एक नम्बर पर आ जायेगा, यही हम कहना चाहते हैं। महोदय,जब शौचालय, जल, बिजली हर शिक्षित परिवारों को पढ़ने के लिए सब कुछ मिलेगा तो बिहार का प्रगति निश्चित होगा। महोदय, इस बात को विपक्षी लोग सोचते हैं तो उनका नींद हराम हो जाता है कि अगले चुनाव में हमलोग क्या करेंगे, कौन सा मुद्दा लेकर जनता के पास जायेंगे, कैसे वोट मांगेगे, पानी पर मांगेंगे कि शौचालय पर मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे कि बिजली पर मांगेंगे। महोदय,कोई मुद्दा नहीं बचेगा और बिहार प्रगति की ओर बढ़ता रहेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सातों निश्चय पांच वर्ष में पूरा कर लिये जायेंगे तो कल बिहार बिहार नहीं रहेगा महोदय इसकी तुलना किससे किया जायेगा सदस्य इस पर कभी सोचे नहीं होंगे। महोदय,आज बिजली का विकास हुआ है बिजली का विकास हुआ इसके बाद हर घर में नल का पानी, जब हर घर में नल का पानी जायेगा तो महोदय,पहले ऊपर टंकी बैठाते थे बड़े लोग छत पर टंकी बैठाते थे लेकिन महोदय,जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोग हैं वो भी टंकी बैठवाकर के और नल खोलकर के जब पानी पियेंगे तो विपक्षी लोगों की छाती फटने लगेगी। महोदय,माननीय नेता नीतीश कुमार का जो सपना है कि पूरे बिहारियों को एक नजर से देखें, न कोई बड़ा रहेगा न कोई छोटा रहेगा, एक समान जो है न्याय के साथ विकास की ओर बढ़ते हुए उसके सपना को साकार करते हुए नल का पानी पियेगा यही हम कहना चाहते हैं। सरकार ने भी सोचा है महोदय कि ये लोग चापाकल चापाकल कहते रहते थे महोदय, आजादी के इतने वर्ष हुए उसके बाद अगर माननीय विधायकों के हिसाब से हर पंचायत में बांट दिया जाय और गिना जाये चापाकल की संख्या तो महोदय गिना हुआ पार नहीं लगेगा इसलिए हमारी सरकार ने सोचा कि वैसे चापाकलों को हम जिन्दा करेंगे। जिन्दा कैसे करेंगे, जिसका वाशर खराब हो गया, जिसका पाईप सड़ गया है उसको हम मरम्मति करवाकर के

चालू करेंगे । सरकार ने सोचा कि अगर जिसका वोरिंग खराब हो गया तो उसको उखाड़-गाड़ के तहत महोदय उसको चालू करेंगे। सरकार ने इसके लिए राशि का इंतजाम किया है तो महोदय हम आपके माध्यम से सदस्यों को बताना चाहते हैं कि जो बंद पड़ा हुआ चापाकल है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार उसको भी चालू कर देगा महोदय यही हम आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहते हैं। जब पुराना चापाकल बंद पड़ा हुआ चालू हो जायेगा तो माननीय सदस्य से हम वादा करते हैं कि कोई नहीं कहेगा कि हमको चापाकल दीजिये, कोई नहीं कहेगा कि चापाकल दीजिये जब पुराना चापाकल चालू हो जायेगा तो चापाकल का जरूरत ही नहीं रहेगा महोदय इसीलिए आप हम सरकार के तरफ से और सरकार के समर्थन में हर समाज के माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहते हैं कि सात निश्चय में जो जल की गारंटी हर घर को नल के माध्यम से जल का इंतजाम किया गया है वो बिल्कुल उपयोगी है और समर्थन हमलोग उसका करते हैं और यह सही कदम है और पूरे बिहार में जो है हर क्षेत्र आगे बढ़ेगा और इसकी चर्चा होगी और इसका देखा देखी लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार तो ऐसे कर लिये फिर घोषणा करेंगे कि अगला चुनाव में कि हम भी हर घर को अबरी टंकी का पानी देंगे लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में टंकी को भी रिजेक्ट कर दिया गया है यह इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि उसमें काई लग जाता था, कीड़े पड़ जाते थे इसलिए अब डायरेक्ट जो है पूरे बिहार वासियों को वहां पर वोरिंग चलेगा और डायरेक्ट सेवा मिलेगा। सभापति महोदय,इस तरह का कल्पना कैसे माननीय नीतीश बाबू किये हम भी सोचते हैं तो लगता है, कैसे किये भाई इसीलिए हम अपने भाईयों से कहना चाहते हैं कि विरोध आप कीजिये लेकिन विकास के रास्ते में विरोध मत कीजिये। विरोध कीजिये, आपको अफसोस होगा। जब सदन बंद होगा तो लगेगा कि हम जो हल्ला करते थे जिंदाबाद और भारत माता की जय का,अफसोस होगा इनलोगों को यही हम कहना चाहते हैं। मैं माननीय नेता नीतीश कुमार जी के माध्यम से जो बिहार विकास के रास्ते आगे बढ़ा है सातों निश्चय पर माननीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में, लालू यादव और सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास का कल्पना किया गया है उस ओर हम लोग जो हैं महागठबंधन के लोग स्वागत करते हैं अभिनन्दन करते हैं। महोदय, इस तरह का सोच जायज है इन्होंने जो सोच बनाया और बिहार के विकास के लिए उन्होंने सोचा सभापति महोदय आज जब लोग बिहार के बाहर जाते हैं तो बिहार की कहानी सुनते हैं कि नीतीश बाबू कौन काम कर रहे हैं जब हमलोग कहानी सुनाते हैं बिहार के बाहरी लोगों को तो बड़ा ही कान खोलकर लोग सुनते हैं सभापति महोदय,हम आपको बतला देना चाहते

हैं जब सात निश्चय पूरा होगा तो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में केन्द्र में जो है सरकार बनेगी 2019 में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो प्रोजेक्ट किये जायेंगे और सरकार बनेगी इसलिए अंत में हम यही कहेंगे कि आप जो किये उस पर पछताईएगा। हम आपसे फिर एक बार कहते हैं आपके माध्यम से महोदय कि समर्थन कीजिये सात निश्चय पर, विकास तो आपके क्षेत्र में भी होगा और महागठबंधन के क्षेत्र में भी होगा तो बिहार के साथ विकास और प्रगति पर चलने के लिए हम माननीय नेता नीतीश कुमार के सरकार को समर्थन करते हैं। जय हिन्द, जय भारत,जय महागठबंधन।

श्री अरूण कुमार यादवः माननीय सभापति महोदय, हम सहरसा विधान-सभा से चुनकर आते हैं। सहरसा विधान-सभा के तमाम भाई-बहनों मतदाताओं का हम आभारी हैं जिन्होंने 1 लाख 3 हजार वोट देकर के महागठबंधन के शान को बढ़ाया है।(क्रमशः)

टर्न-4/मधुप/01.4.2016

...क्रमशः...

श्री अरूण कुमार यादव : हम अपने नेता परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव एवं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार का भी आभारी हूँ जिन्होंने डॉ0 भीमराव अंबेदकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी के अपमान का बदला 16वीं विधान सभा के चुनाव में जिस ढंग से लिया कि आज बिहार विधान सभा में गरीबों की तादाद, गरीब परिवार से आने वाले भाई-बहन जो एम0एल0ए0 बनकर आये हैं, वह बिहार ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के इतिहास में एक अध्याय के रूप में जुड़ जायेगा । इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने विधान सभा के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार को । लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं बोलता हूँ कि नीतीश कुमार इज नॉट ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया । क्योंकि उनमें एक खासियत-खूबी है, उनमें सहनशीलता है। वे वेल-टु-डू, वेल-बोर्न, वेल-एडुकेटेड परिवार से आते हैं और गरीबों की चिन्ता करते हैं ।

महोदय, आज जल के मुद्दा पर मुझे बोलना है । जल के मुद्दा पर बिहार की जो बड़ी आबादी है, 10 करोड़ से ज्यादा आबादी है, सरकार की प्रबल इच्छा है कि गरीबों के जो बसावट हैं, जहाँ पथरीली इलाका है, जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ पानी का अभाव है, जहाँ रहने वाले गरीब-गुरबा लोग हैं, किसी भी धर्म या समुदाय के जो लोग हैं, उनके आँगन तक, उनके नजदीक पानी पहुँचे टेप के माध्यम

से, नल के माध्यम से सरकार दृढ़-संकल्पित है कि हम वहाँ पानी पहुँचायेंगे । हमारे राज्य का जो भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश है, वह निश्चित रूपेण भिन्नता में एकता है । आज हम देख रहे हैं कि जल की आवश्यकता मनुष्य के अलावा पशु-पक्षी को भी है, जल की आवश्यकता पेड़-पौधे और फसल को भी है । आज हमारी सरकार कृत-संकल्पित है कि हम हर जगह नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुँचावें । आज विद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, वहाँ भी बच्चों को शुद्ध पानी पहुँचाया जा रहा है । शौचालय का निर्माण किया गया है । सरकार की इस योजना से हमारे जो लोग हैं, बिहारवासी हैं, जो गरीब-गुरबा लोग हैं जो कभी नल को नहीं देखा था, टेप को नहीं देखा था, जल मीनार को नहीं देखा था, आज सुदूर देहात में, गाँव में जल मीनार बन रहा है, शुद्ध पानी लोगों को मिल रहा है । हमारे एक साथी पूर्णिया के हैं, वे बोल रहे थे कि रंग पीला और लाल हो जाता है । हम उन साथियों से कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत से संबंधी पूर्णिया में हैं, उन लोगों को खुशी है, काला पानी पूर्णिया को बोला जाता था, पूर्णिया बहुत पुराना जिला है, सहरसा से भी पुराना जिला पूर्णिया है, पूर्णिया की जो आदिवासी बहुल आबादी है, एस0सी0/एस0टी0 की आबादी है, आज हर घर में नीतीश कुमार टेप के माध्यम से पानी पहुँचा रहे हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं । लोग खुश हैं, लोग चाहते हैं कि हमारी नीतीश कुमार की जो सरकार बनी हुई है, उनके द्वारा जो योजना बनती है, हर हाथ को काम, हर घर को रोशनी, हर बच्चे को शिक्षा, हर रोगियों को चिकित्सा, हर खेत को पानी, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । हम आज आगे बढ़ रहे हैं । जो लोग सीतुआ, घोंघा, डोका बिच कर खाते थे, आज सरकार की कृपा से, उनकी योजना से हमारे लोग अच्छे ढंग से रह रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, उनके बेटे और बेटियाँ स्कूल जाते हैं, वे तालिम पा रहे हैं और सरकार की जो योजना है, नौकरी-चाकरी में, पंचायत के चुनाव में आरक्षण देकर उनका मनोबल बढ़ाया है । हम सरकार की इस योजना से बहुत खुश हैं, लोग खुश हैं । इसी का प्रतिफल है कि आज बिहार से बी0जे0पी0 को लोगों ने उखाड़ कर फेंका । लोग देख रहे थे कि बिहार का बेटा, बिहार के गरीबों के जो नाज थे, गरीब की जो शान थे, जननायक कर्पूरी को जिस ढंग से इनलोगों ने अपमानित किया, गालियाँ दी - कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ कुर्सी ले उस्तरा, ये कर्पूरी कहाँ से आरक्षण लाई, कर्पूरी की माँ बिआई, जो लोग बोलते थे, आज देख लें कि समाजवादी विचारधारा के धरातल के लोग ही विधान सभा पर कब्जा किये हुये हैं और गांधी के हत्यारे को लोगों ने निकाल दिया है । गांधी चाहते थे, उनकी दिवंगत आत्मा चिल्ला-चिल्लाकर चुनाव में लोगों को कह रही थी कि यदि मेरे खून का बदला लेना चाहते हो तो बिहार की

जमीन पर कमल खिलने नहीं दो । लोगों ने गांधी की पुकार को सुना, आज महागठबंधन की सरकार बनी है । हम बताना चाहते हैं कि आज राज्य के प्रत्येक 38 जिला में जल शुद्ध करने का मशीन बैठ गया है जिससे जल शुद्ध किया जा रहा है । जहॉ के पानी में किसी प्रकार की खराबी है, उसको शुद्ध किया जा रहा है । हम देख रहे हैं कि सरकार हमारी तत्पर है । सभी मुद्दों पर सरकार की मंशा है, लोगों तक पानी पहुँचाने की मंशा है । स्वच्छ भारत मिशन जो केन्द्र सरकार की थी, आज उसमें कटौती कर ली गई है, जो हमको 90 फीसदी मिलता था, आज 60 फीसदी ही हमको मिल रहा है ।

अपनी बात को समाप्त करने के पहले हम अपने नेता को, विधान सभा के मुखिया को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जब से गद्दी पर बैठे हैं, बिहार की बागडोर सम्भाले हैं, गरीबों का मनोबल ऊंचा हुआ है । गरीब हर मुकाम पर आगे बढ़ रहा है और बिहार बढ़ता रहेगा । मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । जय हिन्द । जय महागठबंधन ।

श्री मो0 आफाक आलम : सभापति महोदय, आज लोक स्वास्थ्य के बारे में बोलने का मौका । आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आज सात निश्चय में एक निश्चय यह भी है कि हर घर को नल का पानी दिया जाय । यह बहुत ही जरूरी था इसलिये कि आज हमारे राज्य में आयरन वाला पानी मिलता है और इस तरह का पानी पीकर लगभग 100 परसेंट लोग पेट की बीमारी से, पेट के मर्ज से परेशान रहते हैं, उसमें लीवर भी डैमेज होता है । इसलिये हर इंसान को शुद्ध पानी की जरूरत है, हर इंसान को शुद्ध पानी चाहिये, जीव-जंतु को भी चाहिये । इसलिये सरकार का आज यह तो फैसला है, बहुत ही अहम फैसला लिया गया है । हर घर को नल का शुद्ध पानी दिया जायेगा चूंकि गरीब-गुरबा आम लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा तो कम से कम उसका सेहत ठीक रहेगा । आज डॉक्टर के यहॉ भी लोग जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग पेट की बीमारी लेकर जाते हैं । डॉक्टर का भी कहना है कि आप पानी को बॉयल करके पीजिये और शुद्ध करके पीजिये । इसलिये उसी तर्ज पर आज महागठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, यह बहुत अहम फैसला लिया है । इस फैसले पर हमलोगों का समर्थन है, जो हमलोग महागठबंधन के लोग हैं, हमारे नेता सोनिया गांधी, लालू जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो फैसला हुआ है, यह बहुत ही अहम फैसला हुआ है । इस फैसले पर हम सुझाव देना चाहते हैं कि जहॉ-जहॉ भी नल का पाईप जाय, गरीब-गुरबा जितने भी लोग हैं, गॉव में बसते हैं, सबको जितना जल्द से जल्द हो, नल का पानी दिया जाय क्योंकि शुद्ध पानी पीने के बाद बीमारी उसको नहीं होगी ।

महोदय, मेरा यह कहना है कि हमारे यहॉ भी पूर्णिया जिला में, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पूर्णिया जिला काला पानी के नाम से जाना जाता था और पूर्णिया में अभी भी वहॉ आयरन वाला पानी मिलता है । वहॉ लोग काफी परेशान रहते हैं, पेट की बीमारी से परेशान रहते हैं । इसलिये आयरन-मुक्त पानी होना बहुत जरूरी है । सरकार का यह जो निर्णय है कि हर घर को हमें पानी देना है, पानी का जो स्कीम सरकार बनायी है, इस स्कीम को जितना जल्द से जल्द हो, लागू किया जाय । जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला लिये थे और घोषणा किये थे कि हर घर को हम बिजली देंगे । ये लोगों के विश्वास पर पूर्णतः खरा उतरे और लोगों में विश्वास जगा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा किये थे कि हर घर को बिजली देंगे, हर घर में बिजली पहुँच गई है । गरीब-गुरबा आम लोगों में भी खुशी की लहर छाई हुई है ।

.... क्रमशः ....

टर्न-5/आजाद/01.04.2016

..... क्रमशः .....

श्री मो0 आफाक आलम : इसलिए लोगों को विश्वास है कि जो सरकार का फैसला है, उस फैसला पर जरूर कामयाबी मिलेगी और सरकार ने जो फैसला लिया है हर घर में पानी देने का, यह बहुत ही अहम फैसला है और हर घर में पानी देना बहुत जरूरी है । चूँकि चापाकल से परेशानी लोगों को यह होता था कि हम किसी एक आदमी को चापाकल देते थे तो दूसरे लोग नाराज हो जाते थे कि हमको चापाकल नहीं मिला लेकिन आज कम से कम बदनामी से विधायक लोग बचेंगे । अगर आप एक आदमी को चापाकल देते थे तो दूसरा आदमी विधायक को बदनाम कर देता था । लेकिन आज हर लोगों को नल का पानी मिलेगा तो सभी लोग खुशहाल और खुश रहेंगे । इसलिए नल का पानी देना सबको जरूरी है । मेरे यहां भी जल मीनार 4-5 है, उसमें से कुछ जल मीनार चल रहे हैं और कुछ बन्द हैं । श्रीनगर प्रखंड में जो जल मीनार बना हुआ है, वह लगभग दो-तीन साल से बन रहा है, वह बनकर तैयार नहीं हो रहा है । किस कारण से वह बन्द पड़ा हुआ है, उसको जल्द से जल्द चालू कराया जाय । सरकार का जो फैसला है, वह सही है । हमारे यहां भी मिनी पाईप लाईन से जो पानी दिया जा रहा है, यह कई गांवों और पंचायतों में लगा है और जिससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है और लोग भी खुश हैं । उस पंचायत में लोग चापाकल की मांग नहीं कर रहे हैं। चूँकि वहां मिनी वाटर टंकी बैठा है और उससे लोगों के घर-घर में पानी जा रहा है और लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है । लोग खुश हो करके बोलते हैं कि मिनी वाटर टंकी मेरे गांव में भी कम से कम

लगवा दिया जाय । यह जो अभियान चला है, इस अभियान से काफी लोग खुश हैं। हम सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि लोगों में जो विश्वास जगा है काम का, माननीय मुख्यमंत्री जो काम करके लोगों के अन्दर जो विश्वास जगाया है, वह बहुत ही सराहनीय है । जिस तरह से बिहार में रोड का जाल बिछाया गया है, हर घर में पानी पहुँचाने का काम किया जा रहा है , बिजली का हो रहा है, इससे लोगों में काफी विश्वास जगा है और लोग काफी खुश हैं । इसलिए सरकार का जो फैसला है, वह बहुत ही अहम फैसला है । इस फैसले का हम समर्थन करते हैं और हमारे महागठबंधन के तमाम विधायक जो हैं, वे भी समर्थन देते हैं । लेकिन अभी फिलहाल जो चापाकल चल रहा था, मेरा आग्रह है कि कुछ दिनों के लिए उस चापाकल को चलाया जाय, जो लिखकर हमलोग दिये हैं । उसको कुछ दिनों के लिए चलाया जाय, जब तक वह चालू नहीं होता है ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : उनको बोलने दीजिए, आपलोग शांति से उनकी बात सुनिए ।

श्री मो0 आफाक आलम : महोदय, इसलिए हम कहेंगे कि ''बिहार में बहार है, नीतीशे कुमार है '' चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास है, वे जो बोलते हैं, वह करके दिखाये भी हैं और करेंगे भी, यह पूर्ण विश्वास है । इसलिए यह काम बहुत ही अहम काम है । इसलिए जो फैसला लिया गया है महागठबंधन की ओर से, यह बहुत ही सराहनीय फैसला है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि जहां-जहां नलकूप की जरूरत है, उसको चालू किया जाय । चूँकि खेत में किसानों को पानी की बहुत जरूरत है, इसलिए नलकूप के जरिए पानी मिलना चाहिए और जहां-जहां नलकूप खराब है, हमारे यहां भी कई पंचायतों में जो नलकूप लगा है, वह नलकूप खराब है और स्टेट बोरिंग भी बहुत जरूरी है, चूँकि फसल को भी पानी चाहिए, इन्सान को भी पानी चाहिए, सबको पानी चाहिए । चूँकि हर खेत को पानी देना भी बहुत जरूरी है, हर खेत पर पानी पहुँचाना भी बहुत जरूरी है ।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाईए, आपका समय समाप्त हो गया ।

मो0 आफाक आलम : महोदय, इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हर खेत को पानी दें और नल जहां-जहां खराब है, उसको ठीक कराकर चालू कराया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । जय हिन्द, जय भारत ।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : माननीय सदस्य श्री राघव शरण पाण्डेय ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, इस सदन में प्रश्नकाल के दौरान जल मीनारों की चर्चा हुई थी, मैंने भी प्रश्न उठाये थे, कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये थे, इसमें सत्ता पक्ष

और विपक्ष के सभी लोगों ने प्रश्न उठाया था । माननीय मंत्री महोदय ने पूर्णत: या अंशत: माननीय विधायकों की जो मंशा थी, उसको स्वीकारा था । स्पष्ट है कि कई जगहों में जल मीनारों द्वारा जो मिनी वाटर सप्लाई, ग्रामीण वाटर सप्लाई, मल्टी पम्प वाटर सप्लाई ये सारी योजनायें जो है, वे विफल हो गई हैं । साथ-साथ सदन में एक और दृश्य देखने को मिला । विपक्ष के माननीय सदस्य प्ले कार्ड लेकर वेल में आये और कह रहे थे कि मुख्यमंत्री चापाकल योजना चालू करो । मेरे मन में एक प्रश्न आया कि यह केवल माननीय विधायकों के अधिकार का प्रश्न नहीं है, इससे ग्रामीण गरीब जनता के स्वच्छ जल पीने के अधिकार से संबंधित यह प्रश्न है । पहले विधायकों की बात कहूं महाशय, एक देश है अफ्रीका लाईबेरिया । अभी पिछले महीने इन्टरनेशनल प्रेस में यह चर्चा आयी थी कि वहां के वित्त मंत्री ने देश की आर्थिक व्यवस्था खराब थी, उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा कि माननीय विधायकों का जो खर्च है, उसमें भी 10 प्रतिशत की कमी की जाय । इसपर सदन की अवमानना के आरोप में वित्त मंत्री को जेल भेजने का निर्देश दे दिया गया । मैं यह नहीं कहता, वहां की स्थिति क्या है और हमारी स्थिति क्या है ? किन्तु हमारे विधायक लोग क्या मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं जो आपने दिया। 2012-13 में मुख्यमंत्री चापाकल योजना चालू की गई थी, कहा गया था कि यह योजना 5 वर्षों तक चालू रहेगी । इस वर्ष कहा जा रहा है कि यह योजना बन्द है, पता नहीं स्पष्ट स्थिति क्या है ? आपके बजट में जो पेश किया गया कागज है, परिणाम बजट, परफॉरमेंस बजट, जिसे पढ़ रहा हूँ । 2016-17 में आपने कहा है कि 38 जिलों में आठ हजार चापाकलों के निर्माण का लक्ष्य है । फिर आपने दूसरी योजना के अन्तर्गत कहा है कि शहरी क्षेत्रों में 38 जिलों में 500 चापाकलों का निर्माण किया जाना है । पता नहीं, यह योजना है या नहीं है ? इसका स्पष्टीकरण उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदय अपने इन्टरवेंशन में इसके बारे में कहेंगे । सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि माननीय सदस्यों के अधिकार का संरक्षण आसन से होता है । आप इनके कर्त्तव्यों के भी प्रेरक हैं । मैं मांग करूँगा कि एक दिन उचित समय पर माननीय विधायकों के अधिकारों के साथ-साथ कर्त्तव्यों पर भी चर्चा होनी चाहिए । लेकिन ये जो मामूली 2-3 लाख लोगों के मत जीतकर आये हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र के गरीब जनता कहती है कि एक चापाकल दे दो और वहां का इंजीनियर कहता है कि यह चापाकल योजना बन्द कर दी गई है । यह सदन की अवमानना नहीं है तो क्या है ? महोदय, मुझे लगता है कि यह योजना बन्द हो रही है, इसलिए कि सरकार ने 7 निश्चयों में एक निश्चय किया है कि हर घर में नल से पानी देंगे। यह सही है, यदि आप हर घर में नल का जल दे सके पाँच वर्षों में, तो हम सब

लोगों की प्रशंसा होगी । लेकिन हमारा ट्रेक रेकोर्ड क्या है, हमारे अनुभव अभी तक के क्या हैं, यह चापाकल की योजना नई नहीं है ? 2011 में जो सेंसस हुआ था देश में, उसमें 2.6 प्रतिशत देश में सबसे कम चापाकल यूज करने वाले बिहार में थे और इसलिए भारत सरकार ने एक योजना बनायी, वर्ल्ड बैंक समर्थित एक योजना बनायी और कहा कि चार राज्यों में जिसमें बिहार भी शामिल है, यह नल वाला जल देने की योजना चालू की जाय और 1606 करोड़ की लागत से 24 लाख लोगों के लिए यह योजना हमारे बिहार सरकार ने 2014 में स्वीकृत किया था । इसका खर्च अनुमान लगाया जाय तो प्रतिव्यक्ति 6हजार से 7हजार के बीच में आता है । इस खर्च पर हमारे माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा है कि अगले पॉच वर्षों में ये नल के माध्यम से जल देंगे और इसके लिए 35000 करोड़ खर्चा होगा, कहां से आयेगा 35000 करोड़ ? इस वर्ष आपका बजट कितना है, आपका टोटल विभाग का बजट है 1755 करोड़ और उसमें योजना की राशि है 1355 करोड़, पॉच से गुना कर दीजिए, 6000, 7000, 8000 आता है, इसमें और भी योजनायें हैं, इसमें टॉयलेट की भी व्यवस्था करनी है, आप कहां से 35000 करोड़ लायेंगे, यह समझ के बाहर है । आप यह योजना पूरी नहीं कर सकेंगे, लेकिन साथ-साथ जिन गरीबों को चापाकल से जो पानी मिलता है, उसपर भी आप व्यवधान डाल देंगे ।

महोदय, सरकार के काम करने की क्षमता क्या है । इस साल आपकी सरकार ने इन्टरनेट में भारत सरकार को जो रिपोर्ट भेजा है, मैंने उसको देखा है, सबलोग देख सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है । आपकी क्षमता पाईप टू वाटर सप्लाई स्कीम देने की केवल 5.89 प्रतिशत है । चापाकल देने में 81.82 प्रतिशत आपकी सफलता है । आपके विभाग में रिक्तियां कितनी है, मेरी जानकारी के अनुसार मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि एक तिहाई सहायक अभियंता का पद खाली है, दो तिहाई कनीय अभियंता का पद खाली है, उसके नीचे भी भारी संख्या में लोग नहीं हैं । गरीब जनता जब रिपेयर की मांग करती है तो बीयरर नोज व्हेयर दी शू पिंचेज , उसी को मालूम है कि सरकार कितना मरम्मत कर पाती है ।

..... क्रमशः .....

टर्न-6/अंजनी/दि0 01.04.16

क्रमशः...

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, हमारा अनुभव क्या कहता है ? पटना की क्या हालत है? वर्ष 1918 में पाईप वाटर सप्लाई स्कीम चालू की गयी थी, आज पटना की 22 लाख जनता, यहां 72 वार्ड हैं, आधी से ज्यादा पाईप जर्जर अवस्था में है । आपने

धन दिया था, योजना बनायी थी, किसी-न-किसी कारण से वह रद्द करनी पड़ी । पटना हमारी राजधानी है, पटना हमारा गौरव है तो यहां का यह हाल है । मैं अपने क्षेत्र बगहा की बात कहता हूँ, वहां वर्षों से नगर निगम है, वहां आजतक पाईप वाटर सप्लाई नहीं है । इस साल सुनता हूँ कि अमृत योजना के तहत मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, भविष्य जानता है । लेकिन तबतक चापाकल बंद कर दिया गया तो वह भी समाप्त हो जायेगा । महोदय, पानी देना यह राज्य का विषय है, शुद्ध रूप से राज्य का विषय है । राज्य अपने रिर्सोसेस से संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य है । आप केन्द्र का नाम नहीं लें, केन्द्र ने बहुत काम किया है, एक्सेलेरेटेड रूरल वाटर स्कीम से लेकर 1999 में माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन दिनों ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए एक अलग विभाग बनाया गया, बाद में वह मंत्रिमंडल का रूप उसमें हो गया, यह संतोष का विषय है कि बिहार में भी पूरे देश की तरह 97.5 परसेंट लोग पाईप वाटर से नहीं, चापाकल के पानी से बचे हुए हैं । यदि यह योजना बंद कर देते हैं तो भविष्य क्या होगा, यह हम सब समझ सकते हैं । आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है महोदय, वर्ष 2010 में आपने राज्य वाटर पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया, वह ड्राफ्ट अभी चालू नहीं हुआ महोदय...

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : माननीय सदस्य आप बैठ जायें ।

श्री राघव शरण पांडेय : एक मिनट सभापति महोदय, आपने ग्रांउट वाटर एक्ट 2006 में बनाया, कहां लागू हो रहा है ? आप अपनी क्षमता बढ़ाइए । केन्द्रीय योजना के अंतर्गत जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए । आप स्वर्ग बनाने की कल्पना छोड़िए

तुम कहते हो कि धरती पर स्वर्ग बन जाय,
मैं कहता हूँ कि धरती ही सज-संवर जाय ।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : धन्यवाद, अब आप बैठिए । माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत ।

श्री कुमार सर्वजीत : माननीय सभापति महोदय, आपने जो हमें समय दिया, हम आपके आभारी हैं । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो सात निश्चय लागू किया, उसमें एक निश्चय हर घर को जल और शौचालय निर्माण का सामान्य पांच वर्षों में पूर्ण होने वाली कार्य योजनाओं की मंजूरी दी है । अगले पांच वर्षों में जलापूर्त्ति पर 7400 करोड़ रूपये खर्च किये जाने की योजना है । पहले चरण में राज्य के फ्लोराइड एवं आयरन प्रभावित 20 जिलों के 21 हजार गांव-टोलों को शुद्ध पेय जल आपूर्त्ति सुनिश्चित की जानी है, यह सरकार ने निश्चय किया है । महोदय, देश

आजादी को करीबन 70 साल होने को है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मन में गरीबों के प्रति गांवों में बसने वाले लोगों के प्रति जो सोच रखा और जो उनको जीने का अधिकार दिया है, शुद्ध पेय जल पीने का, इसके लिए हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी को, महागठबंधन का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने चुनाव प्रचार में लोगों का जो वचन दिया था कि आपको हम जीने का अधिकार देंगे, पानी पीने का अधिकार देंगे, वह पूरा होने जा रहा है । सदन में बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया, उसके चलते तमाम् बिहारवासियों के मन में उमंग है, उनकी जो चाहत थी, वह अब पूर्ण होगी । पहले गांव के लोग तालाब का पानी पीने को मजबूर थे, पहाड़ों के झरनों का पानी पीने को विवश थे, चापाकल का लेयर भाग जाता था, लोगों को काफी कठिनाई थी । सरकार चापाकल लगाने में बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करती थी, गांव की जो आबादी थी, एक गांव में पांच सौ घर होते थे, 2000 लोग बसते थे, उसमें एक चापाकल हमलोग देते थे और पांच साल में हम बहुत मुश्किल से बहुत प्रयास करने पर दो या तीन चापाकल दे पाते थे गांव के बीच में और जो स्थिति उत्पन्न होती थी, गांव के बीच में जो स्थितियां उत्पन्न होती थी, पानी पीने के लिए झगड़ा और फसाद हुआ करता था । मैं समझता हूँ कि इस बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इतिहास रचा, गरीबों का हक एवं जो जीने का अधिकार दिया, इस संबंध में हमलोग जितना भी उनके प्रति बोलें, मैं समझता हूँ कि हमारे बिहार के मुखिया इस देश के दूसरे अम्बेदकर के रूप में जाने जायेंगे । इतना हमलोगों को निश्चित तौर पर विश्वास है । चापाकल की जो लोग मांग कर रहे हैं, हमलोग भी दूसरी बार जीतकर आये हैं, हमलोगों ने देखा है अपने क्षेत्र में कि चापाकल की क्या स्थिति होती थी, यह हमलोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किया था । शहर में जो हमारे साथी हैं, जो यहां बैठे हैं, वे कहते हैं कि यह योजना कैसे पूरी होगी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो साथी जीतकर आये हैं, आपने गरीब का दर्द देखा कहां है, आप तो डिसटिलरी पीते हैं शहर में रहकर । गरीब का बेटा कहां से पियेगा ? नितिन नवीन बाबू, आप अगर डिसटिलरी नही पिये होते....

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : बैठे-बैठे टोका-टोकी नहीं करें, उनको बोलने दीजिए । उनकी बात सुनिए, जब आपकी बारी आयेगी तो आप बोलिएगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : अगर आप डिसटिलरी पानी नहीं पिये होते तो आप इधर बैठते और हमलोग उधर बैठते ।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : आप आसन की ओर देखिए, उनको जबाब देने की जरूरत नहीं है ।

श्री कुमार सर्वजीत : और गरीब के घर में, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर घर को जल देने का प्रयास कर रहे हैं, हर घर को स्वच्छ पानी देने का प्रयास कर रहे हैं तो आपलोग इतना परेशान क्यों हैं ? क्या गरीब का बेटा, क्या दलित का बेटा, क्या महादलित का बेटा को अधिकार नहीं है कि वह स्वच्छ पानी पी सके । आप उनके अधिकार को मारना चाहते हैं । यह देश सबका है, गरीब को भी अधिकार है स्वच्छ पानी पीने का, दलित को भी अधिकार है स्वच्छ जल पीने का । भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था, इस मिशन में उन्होंने दो मिशन रखा था- स्वच्छ मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ मिशन शहरी । महात्मा गांधी जी का 150वाँ वर्षगांठ था, इस अवसर पर उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि दी कि बतौर 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य हासिल कर लेना था लेकिन वर्ष 2010-11 की तरह बजटीय उपबंध 530.32 करोड़ की जगह पर वर्ष 2014-15 में 426.3 करोड़ की राशि आवंटन भारत सरकार के द्वारा की गयी । बिहार में 600 पाईप लाईन जलापूर्त्ति योजना चालू करने के लिए 400 करोड़ रूपये की आवश्यकता थी लेकिन केन्द्र सरकार ने मात्र 200 करोड़ रूपया ही स्वीकृति प्रदान किया, इसका जवााब मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूँ ? जब हमारी बिहार सरकार गांवों को बिजली देना चाहती है, तब आप कहते हैं कि 60 प्रतिशत् देंगे, जब गरीब के बेटा को, दलित के बेटा को गांव में स्वच्छ जल देने का माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास करते हैं, तब आप पैसा काट लेते हैं । जब गांव में बिजली देने की बात होती है, तब आप पैसा काट लेते हैं । जब गरीब का बेटा चाहता है कि हम सड़क पर चले, दलित का बेटा, गांव का किसान चाहता है कि हम सड़क पर चलें तो आप उसमें पैसा काट लेते हैं तो क्या गांव में रहने वाले लोगों को जीने का अधिकार है कि नहीं, यह मैं जानना चाहता हूँ ? इंदिरा आवास का पैसा आप काट लेते हैं, गांव में जो लोग, किसान रहते हैं, उनके सारे योजनाओं की आप कटौती कर लेते हैं । पानी की योजना के संबंध में हमने कहा कि हमारी सरकार को 400 करोड़ रूपये की आवश्यकता थी तो आपने 210 करोड़ रूपया ही मात्र स्वीकृत किया ।

...क्रमशः...

टर्न–7/शंभु/01.04.16

श्री कुमार सर्वजीत : क्रमशः....सभापति महोदय, हमलोग गांव में घूमते हैं– गांव के किसानों का, गरीब–गुरूबा का हमलोगों ने दर्द देखा है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने अपनी हिम्मत के साथ जो योजना लाया है निश्चित तौर पर हर घर को शुद्ध पानी मिलेगा और हमारे किसान का स्वास्थ्य, हमारे गांव के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमको इतना पूर्ण विश्वास है। सभापति महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड प्रभावित जिलों के साथ–साथ दलित एवं महादलित बस्तियों के घर में नल से जल आपूर्ति और ऊर्जा आधारित यंत्र लगाने का फैसला जो लिया है हम उसका स्वागत करते हैं। इसके लिए आइरन प्रभावित जिलों में 500 सौर ऊर्जा संचालित स्कीम, आर्सेनिक प्रभावित जिलों में 200 सौर ऊर्जा संचालित स्कीम, फ्लोराइड प्रभावित जिलों में 200 ऊर्जा चालित स्कीम जो सरकार ने शुरू करने का जो मन बनाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। महोदय, प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक का 10 वाटर ए0टी0एम0 लगाया जा रहा है। जिसमें 2 पटना जिले में, भोजपुर में 2, बक्सर में 1, मुंगेर जिला में 5 वाटर ए0टी0एम0 लगाये जायेंगे।

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हो गया। माननीय सदस्य श्री रत्नेश सदा जी प्रारंभ करें।

श्री रत्नेश सदा : सभापति महोदय, मैं आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और विपक्ष द्वारा लाये गये प्रस्ताव के विरोध में बोल रहा हूँ। महोदय, आज जो विभाग है– संसार के सभी जीव जन्तु से लेकर जानवर, पशु, पक्षी और मानव को यह विभाग जरूरी है। महोदय.....

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : माननीय सदस्या, बैठे–बैठे नहीं बोलें आप।

श्री रत्नेश सदा : आप महोदय जानते हैं कि आजादी के 67 साल बीत जाने के बाद भी देश के 4 प्रतिशत लोगों को स्वच्छ जल पीने को मिलता है, लेकिन आज हमारी सरकार से पूर्व जो भी सरकारें थी उस समय गांव ग्राम के लोगों को पानी लाने के लिए 3 कि0मी0 दूरी तय करना पड़ता था– ये लोग बहुत छींटाकशी करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इनको अपना दम नहीं था कि 2000 से 2013 तक अपने दम पर सरकार बना लें, लेकिन विरासत में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो इनको विरासत मिला तो उस विरासत में इठला रहे थे और जब हमसे अलग हुए तो छटपटा रहे हैं। महोदय, जब 3 कि0मी0 तक हमारे राज्य के लोगों को पानी के लिए जाना पड़ता था तो हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार ने चापाकल जो था सो था, चापाकल जो

ग्रामीण क्षेत्र में लगा हुआ था उससे कोई मतलब नहीं रखा हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने लेकिन उन्होंने प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में मिनी जलापूर्ति योजना के तहत हर पंचायत में स्वच्छ पेयजल देने का कार्य किया यह उपलब्धि है, हम बिहार के गरीब का बेटा गुदरी के लाल और नीतीश कुमार की देन है। इन्होंने यह सोच कि अगर इससे पूर्ति नहीं होगी तो हमारे माननीय मुखिया का 7 निश्चय हुआ कि मैं 100 घर के आबादी पर कलस्टर बनाकर के पाइप के द्वारा आपूर्ति करूँगा। जिस पाइप की गहराई होगी 2 सौ से ढाई सौ फीट अधिक गहराई होने के कारण स्वच्छ पानी आयेगा और उसमें भी हमारे मुखिया का निश्चय कि इस जल को स्वच्छ बनाने के लिए उसमें वैज्ञानिकों के द्वारा निरीक्षण करके केमिकल का प्रयोग किया जायेगा उसको देने का काम करेंगे हमारे मुखिया माननीय नीतीश कुमार। महोदय, इस तरह के जल पीने के बिहार के गरीब गुरबा सभी वर्गों के गरीब लोगों को गरीब लोगों को जब पानी पीने का नसीब होने लगा है तब इनको पेट में दर्द होने लगा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग शहर से जीतकर आते हैं- कभी देहात का आंख नहीं देखे हैं, देहात कभी घूमे नहीं हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री चापाकल योजना की बराबर चर्चा करते हैं- जितने भी लोग हैं एक भी महादलित, पिछड़ा, दलित को चापाकल दिया है ? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कितना चापाकल गाड़े हैं ? महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत कितना महादलित बस्ती में छतदार चबूतरा बनाया है, कितना कला भवन बनाया है दिखा दें, लेकिन जब हम गरीब का बेटा 2010 में विधायक बने तो जाकर देखिए अति पिछड़ा हो, कि दलित हो कि महादलित हो, कि सवर्ण के गरीब वर्गों में चाहे चापकल हो, चाहे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत पी0सी0सी0 ढलाई हो कि नाला हो कि कला भवन हो कि छतदार चबूतरा हो जाकर हमारे क्षेत्र में देखिए। कोई आया है 3 हजार वोट से जीतकर लेकिन रत्नेश सदा आया है 54 हजार वोट से जीतकर, ये समाज की देन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ- गरीब के लिए योजना चलती है तो आपको पेट में दर्द होने लगता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इनलोगों से पूछना चाहता हूँ।

सभापति(श्री रामानारायण मंडल) : उनसे नहीं आप अपनी बात कहिये।

श्री रत्नेश सदा : मैं आपके माध्यम से इनलोगों से पूछना चाहता हूँ कि 144 धारा कहां लागू किया जाता है, जहां दंगा होता है, फसाद होता है वहां पर लागू किया जाता है, लेकिन इनकी सरकार गुजरात में, महाराष्ट्र में, लातूर में एक पानी पर 144 धारा लागू करने का काम किया है। यह कहां का न्याय है, इंसाफ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो इस तरह का व्यवहार करते हैं यह आपको नहीं करनी

चाहिए। महोदय, आज हमारी सरकार के अथक प्रयास से आर्सेनिक और फ्लोराइड-आर्सेनिक के लिए 13 जिला है- बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, कटिहार, लखीसराय, पटना, मुंगेर, समस्तीपुर, सारण, वैशाली इन जिलों में आर्सेनिक की व्यवस्था है और 10 जिला में फ्लोराइड है जिसमें नवादा गया, नालंदा, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, कैमूर, सासाराम, नवादा औरंगाबाद और बांका है। आज देन है तो केवल नीतीश कुमार की देन है। पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है आपको बताते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ.....क्रमशः।

टर्न-8/अशोक/01.04.2016

श्री रत्नेश सदा : क्रमशः आज माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से, लालू जी और नीतीश जी के अगुआई में जो महागठबंधन की सरकार गरीब गुरूआ को जल देने का काम किया है महोदय, इन लोगों को परेशानी हो रही है, मै पूछना चाहता हूँ इनसे कि महोदय, मैं इनसे पूछनाा चाहता हूँ सभापति महोदय, इन लागों की आदत है, इन लागों की आदत है महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वच्छ जल देने का एलान किया है,चापाकल देने का एलान किया है तो इनको दर्द हो रहा है । मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की नीति है गरीब, गुरूआ, सभी वर्गों के लिए, बिहार के विकास के लिए है, इतना ही नहीं हमारी सरकार की जो व्यवस्था है इससे बिहार के लोग काफी खुश है महोदय, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूँ कि बदरघाट प्रखण्ड के विशनपुर पंचायत में जलापूर्त्ति योजना के तहत जो जलापूर्त्ति योजना लगाई गई है उससे महादलित को जल नहीं दिया जा रहा है, ठीकेदार के द्वारा और वहां के सवर्णों के द्वारा, मैं मंत्री जी को आग्रह करता हूँ कि महादलितों को जल पीने की व्यवस्था करें, इन्ही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

श्री सुनील कुमार : सभापति महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, वह कितना आवश्यक विषय है, यह मैं आपको बतलानाा चाहता हूँ । 2005 में मैं जब पहली बार विधान सभा आया था और नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने एक संयुक्त सदन को सम्बोधित करने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. कलाम जी को बुलाया गया था, उनके कार्यो से प्रभावित होकर उनको सम्बोधन के लिए बुलाया था, उनके कार्यो से मैं पहले से प्रभावित था । 2002 में मुझे उनके साथ विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मंच साझा करने का मौका मिला था । उहोनें जो बातें की, माननीय सदस्यों ने जो भी ग्रहण किया हो लेकिन एक बात जो

उन्होंने कही थी कि अगर आगे विश्व में युद्ध होगा तो पानी के लिए । और उस समय मुझे ऐसा लगा कि कितनी जरूरत है आमजन को पानी का, इस पर बिना भेद-भाव किये हुये, पक्ष विपक्ष बिना किये हुये चर्चा होनी चाहिए क्योंकि जल है सभापति महोदय तब ही कल है, अगर जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा । पेयजल की चर्चा करते हुये मैं सभी माननीय सदस्यों से एक आग्रह करना चाहता हूँ, आप अपने दिल पर हाथ रख कर देंखे और बतायें कि क्या उनके क्षेत्र में पेयजल की समस्या नहीं है ? पेयजल की समस्या नहीं है? जिनके क्षेत्र में पेयजल की समस्या नहीं है वे बतायें, हमारे क्षेत्र में तो पेयजल की समस्या है । जिनके क्षेत्र में पेय जल की समस्या नहीं है वे कृपया हाथ उठायें । सभापति महोदय बिहार की जनसंख्या करीब-करीब 11 करोड़ है और हमलोग 243 विधायक जीत कर आये हैं और जिस तरह की समस्या सभी क्षेत्रों में है, भले पक्ष विपक्ष करके हमारे माननीय सदस्य न कहें कि हमारे क्षेत्र में समस्या है, लेकिन पूरे बिहार राज्य की समस्या और जिस तरह से महागठबन्धन की सरकार बनी और जितनी उम्मीदें इससे बिहार की जानता को थी और महागठबन्धन की सरकार ने जो सात निश्चय किया है, जिसका ढोल टी.वी. के माध्यम से अखबारों के माध्यम से पीट रहे हैं, क्या यह सात निश्चय करने से बिहार की जनता को पानी मिल गया ? क्या सात निश्चय करने से बिहार की जनता की प्यास बुझ गयी ? एक महीना, एक महीना से ऊपर से सदन चल रहा है, एक महीना से ऊपर से सदन चल रहा है, सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के पेयजल की समस्या के बारे सदन में प्रश्न किये, लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया, जवाब क्या आया ? सात निश्चय के सपने दिखलाये गये, किसी माननीय सदस्यों के समस्या के निदान के स्वरूप नहीं बतलाया गया, किसी माननीय सदस्यों को कैसे निदान हो उसको स्वरूप नहीं बताया गया । सभापति महोदय, 2005 से एन.डी.ए. की सरकार चल रही है, 2012-13 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार नगर विकास विभाग के प्रभार में थे, 475 करोड़ रूपया केन्द्र सरकार ने पटना में, हर घर में जल पहुंचाने के लिए दिया था । लेकिन 14 महीने के मंत्रित्व काल में इस योजना को शुरू नहीं किया । दस साल के सरकार में पटना के हर घर को जल नहीं दिया गया, आप देखतें होंगे सभापति महोदय, गर्मी आगाज होने के पहले कभी पटना सिटी में रोड जाम, कभी मुस्सलहपुर में रोड जाम तो कभी कंकड़बाम में रोड जाम, तो कभी दानापुर में रोड जाम, इसी तरह पूरे बिहार राज्य के सभी जिला मुख्यालय में रोड जाम, इतने वर्षों के बाद अभी तक पूरे बिहार राज्य में 2.8 प्रतिशत लोगों को ही नल से जल दिया गया है,

(व्यवधान)

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : कृपया शांति बनाये रखें, ललन बाबू आप बैठिये ।

श्री सुनील कुमार : सभापति महोदय, जब मैं कहता हूँ कि महागठबंधन की सरकार चार महीने में ही जनता का विश्वास खो चुकी है तो हमारे माननीय सदस्य टोका-टोकी करके ताना मार रहे हैं लेकिन जनता ...

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : कृपया टोका-टोकी न करें । बिना इजाजत के कोई नहीं बोलेंगे ।

श्री सुनील कुमार : जनता के बीच में जो संवाद किया और जो जनता बोलने लगी है, उनको दो पंक्तियों में मैं उद्धृत करना चाहता हूँ, महागठबन्धन सरकार के बारे में जनता क्या बोलती है :

"तेरी यादों को जलाया हर शाम,
तेरे वायदे को लगाया सीने से हर शाम,
मांगी खुदा से तेरी खुशी की दुआयें,
पर तू बेवफा निकला, बिना पानी के रूलाया हर साल ।"

सभापति(श्री रामनारायण मंडल) : मात्र एक मिनट समय है आपका ।

श्री डा0 सुनील कुमार : " कितना बेबस है इंसान, किस्मत के आगे ,
कितने दूर हैं सपने, हकीकत के आगे,
कोई बिहार के गरीबों से पूछे हाल,
पानी के बिना कितना तड़पाया है,
महागठबन्धन की सरकार । "

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने राज्यों के पेयजल संकट दूर करने के लिए कई योजनायें चलाई- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजलकारी योजना, स्वच्छ पेय जल मीशन, अटल अमृत जलापूर्त्ति योजना, डी.एस.आई.डी., विश्व बैक परियोजना, नबार्ड सम्पोषित योजना, इन सारी योजनाओं अगर तेजी से लागू किया जाय जो बिहार में पानी की, पेयजल की समस्या दूर हो सकती है, लेकिन सिर्फ अखबारों में बयान देने से पेयजल की समस्या दूर नहीं होगी, सरकार जिसके बल पर सरकार बनती है, जिन विधायकों के बल पर सरकार बनाती है, उन्हीं विधायको के अधिकार को सरकार हनन कर रही है.....क्रमशः

टर्न-9-01-04-2016-ज्योति

क्रमशः

श्री सुनील कुमार : उनके चापाकल अनुशंसा की योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत नाली और गली की योजना इन सब का हनन कर रही है । सरकार जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है । हम विधायकों के कारण ही यह सरकार बनी है । मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि जबतक सम्पूर्ण बिहार में पेयजल की उपलब्धता नहीं हो जाय तबतक इन योजनाओं को चालू रखा जाय ताकि लोगों की समस्याओं का निदान हो सके ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल): अब बैठ जाईये प्लीज ।

श्री सुनील कुमार :आपके माध्यम से मैं सरकार को इन सारी बातों से अवगत कराना चाहता हूँ।

धन्यवाद ।

श्री प्रहलाद यादव : सभापति महोदय, पेयजल के संबंध में दो घंटा डिवेट रखा गया है और माननीय सदस्यगण , इसके संबंध में बहुत कुछ बोल चुके हैं । महोदय, पेयजल जीवन का बहुत बहुमूल्य चीज है । जल ही जीवन है, यह कहा जाता है चूँकि आज जिस विषय पर वाद-विवाद हो रहा है, निश्चित रुप से विपक्ष के माननीय सदस्य की जो सकारात्मक सोच है और सरकार का जो सही रास्ता है, उसके बारे मे भीं इनको चिन्ता करना चाहिए, बोलना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए था लेकिन इनका काम ही रह गया है कि जो अच्छा भी काम हो रहा है उसमें भी अपनी निगेटिव बात करना । यह इनके एक तरह का अभ्यास हो गया है । एक पाठ, पढ़ लिए हैं और आप कह रहे हैं कि नल का जल और यह जो 7 निश्चच में पेयजल है, इसमें आपका कहना है कि यह कहॉ हो रहा है । अभी तो शुरुआत हो रही है , इसकी तैयारी है । जिस समय चुनाव हो रहा था महागठबंधन की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जबतक हम बिजली नहीं देंगे हर घर में तबतक हम वोट नहीं मांगेंगे । अब आप लोग ईमानदारी से बताईये जो पहले की स्थिति थी और आज मैं समझता हूँ कि देहात में कम से कम 23 घंटा, 24 घंटा बिजली रहती है । ऐसी बात नहीं है । उसी तरह से आपको सहयोग देना चाहिए । शराब बंदी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निश्चय किया था कि नहीं इसको बंद करना है चूँकि समाज के लिए और खासकर देहात में जो गरीब गुरबा हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है और परिवार के साथ नुकासान हो रहा था, उसकी भरपाई हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निश्चय किया वह आज से शुरु हो गया है । शराब बंदी आज से शुरु हो गयी है । यह निश्चित रुप से माननीय मुख्यमंत्री जी की एक विशेषता है कि वह जो निश्चय करते हैं उसको पूरा करते हैं । उसीतरह से आज जो जल की व्यवस्था करनी है, जल की समस्या है , निश्चित रुप से आज 7 निश्चय में

उसमें हम समझते हैं कि आने वाला जो वित्तीय वर्ष 2020 तक हर घर को नल का पानी निश्चित रुप से दिया जायेगा । आप तो कम से कम सहयोग कीजिये । आप सहयोग नहीं करते है, यही दिक्कत है । आप लोग लोक सभा चुनाव में बहुत तरह की बात किए और झूठ बोलकर सत्ता ले लिए ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : प्रहलाद बाबू आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री प्रहलाद यादव : जी, अभी तो शुरु ही किए हैं ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : आपके दल की ओर से और लोगों का भी नाम आया है इसलिए एक मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री प्रहलाद यादव : दो मिनट में हम समाप्त करेंगे । पेयजल के लिए कई एक योजना है जैसे मिनी जलापूर्ति योजना । उसके पहले मुख्य रुप से चापाकल था । निश्चित रुप से सरकार की योजना है और अब पूरे बिहार को तीन भागों में बांटा गया बिहार को, कहीं फ्लोराईड से जल दूषित है , कहीं लौह से जल प्रदूषित है और कहीं आर्सेनिक से तो अब गंगा के किनारे के भाग में आप जाईये तो वहाँ आर्सेनिक से जल प्रदूषित है । अब पठारी इलाके में जाईये उधर फ्लोराईड से प्रदूषित है और उसके बाद कोशी का इलाका है, वहाँ लौह के कारण प्रदूषित हैं तो सरकार इसको अपने ढंग से 38 जिलों में पानी शुद्ध हमें मिले, इसके लिए सरकार प्रयोगशाला बनाकर चाह रही है कि जनता को शुद्ध जल जनता को दें । सरकार के कार्यक्रम बहुत हैं और वह एकदम सीधासादा और स्पष्ट है ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल): प्लीज आप बैठ जाईये ।

श्री प्रहलाद यादव : बैठ जांय, ठीक है, बैठ जाता हूँ । एक मिनट में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में, जहाँ 2009 चापाकल अभी बंद पड़े हुए हैं और माननीय मंत्री से आग्रह है कि उसको चालू करवाने की व्यवस्था करें ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल): आप अच्छी बात बोल रहे हैं लेकिन समयाभाव है इसलिए आप बैठ जाईये ।

श्री सुदर्शन सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि सरकार के जो 7 निश्चय हैं उनमें से एक निश्चय है हर गांव में जल और हर घर में नल जो बहुत ही अहम निश्चय है । इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ । उनकी सोच की तारीफ करता हूँ कि उनके द्वारा हम सभी को, अपने इलाके में स्वच्छ पानी और हर वक्त पानी उपलब्ध हो सकेगा लेकिन इस योजना को पूर्ण रुप से लागू होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसके लिए मैं चाहता हूँ, सरकार से, जो पूर्व की योजना थी चापाकल की जो समाप्त हो गयी है, उसे लागू किया

जाय ताकि जो हमारे क्षेत्र के लोगों की जो समस्या पानी की, वह दूर हो सके । यही मैं सरकार से विनती करता हूँ और आरजू करता हूँ । धन्यवाद ।

श्री मो0 नवाज आलम : सभापति महोदय, आज मैं स्वच्छ जलापूर्ति योजना के, पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और साथ साथ इसके विरोध में जो प्रस्ताव लाया गया है उसका मैं सदन के माध्यम से विरोध करता हूँ । महोदय, मैं इसके प्रति, आसन का आभार, व्यक्त करता हूँ और आज सचमुच में जो विषय रखा गया जल से संबंधित, पानी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा अंग है । पानी के बिना जीवन अधूरा है या यूँ कहें कि पानी के बिना मनुष्य का या श्रृष्टि का कोई निर्माण नहीं हो सकता । महोदय, इसी पर रहीम कवि ने लिखा था:

'' रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे, मोती मानस चून ''

क्रमश:

टर्न-10/विजय/01.04.16

श्री मो0 नवाज आलम:क्रमश:.....सभापति महोदय, सचमुच में पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हवा के पश्चात् सबसे ज्यादा कोई जरूरी चीज है वह पानी है । पानी के बिना सारा संसार एक अधूरा सा महसूस करता और इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय के मसीहा आदरणीय लालू यादव ने सचमुच में जो ज्वलंत समस्या थी इंसानों की उन समस्याओं को सात निश्चय में लेने का काम किया है । सात निश्चय के माघ्यम से सामाजिक न्याय में गरीब गुरबा बसने वाले लोग जो आजादी के बाद आज तक पानी के नलों का कल खोलना भी नहीं जानते थे उन सपने को जमीन पर साकार करने के लिए आदरणीय लालू यादव ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जा एक सपना देखा था, जो एक वादा किया था जनता की अदालत में उसको सरजमीन पर उतारने के लिए किसी ने कोई काम किया है तो इनलोगों ने किया है । सचमुच में गांव गवंई में गांव के लोग पानी का ट्युबल नहीं जानते थे । गांव के लोग कहीं जलमीनार नहीं देखते थे, गांव के लोग टंकी नहीं देखते थे । महोदय वे चाहते थे वे भी इंसान हैं जनता जो डेमोक्रेसी में भीव राव अंबेदकर ने जो सपना देखा था गांव के गरीब लोगों के बीच में उन सपनों को साकार करने के लिए कहीं बिजली गांव गांव तक पहुंचाने का काम होता है तो कहीं जल के माध्यम से हर घर घर में जल पहुंचाने का जो कार्यक्रम हुआ है

महोदय वह निश्चित रूप से इस सदन के माध्यम से अपने नेताओं को हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस काम के लिए । इसलिए स्वागत करते कि सचमुच में इंसान के सामन जो पानी की जटिल समस्या है उस समस्या को दूर किया जाय । बड़े घरानों में शहरों में जो रहने वाले लोग हैं जब वे जाते बाथरूम में तो बाल्टी का बाल्टी जब वे फलश् दबाते हैं तो पानी बरबाद होता है । और गांव के लोग मुशहर टोली में हम गए थे महोदय एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं । उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने जो योजना लाया है निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है । इसका हम स्वागत करते हैं । आज गुजरात में पानी का हाहाकार है महोदय ।

(इस अवसर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री मो0 नवाज आलम:एक मिनट महोदय । इसीलिये माननीय मुख्यमंत्री ने एक सपना देखा था और वह सपना है महोदय हमारे साथी कहते हैं कि वह सपना पूरा नहीं होगा । मंजिल तक पहुंचना है तो कांटे पर चलना सीखों, कांटे ही बहा देते हैं रक्त सारे गर्म महोदय । महोदय, आपने मुझे चंद मिनट के लिए समय दिया इसलिए आसन के प्रति धन्यवाद देते अपने नेता के प्रति धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम । माननीय सदस्यगण, अब एक एक मिनट में जो मूल बात कहनी हो कह दीजिये क्योंकि सरकार का उत्तर भी होना है ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, आधा मिनट तो ऐसे चल गया ।

अध्यक्ष: समय ही एक एक मिनट का है ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, बिहार के नागरिकों को स्वच्छ जल आपूर्त्ति विषय पर विमर्श चल रहा है । इस विमर्श में जो बातें हो रही हैं मैं कहना चाहता हूं कि यह राजनीतिक घात और प्रतिघात का विषय नहीं है । यह बिहार के गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना पर हमलोग जीवन से जुड़े जल को आप लोग बता रहे हैं कि जल ही जीवन है । ऐसे विषय पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमें गंभीरता लानी होगी और गंभीरता से हमको बात करना होगा । सरकार की जो जल नल की योजना है वह बहुत ही सराहनीय है, महत्वपूर्ण है, अच्छी योजना है लेकिन यह लागू कैसे होगी, वह कब तक लागू होगी, बिहार के गरीबों को कब तक पानी मिलेगा हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, इसकी घोषणा करने की जरूरत है महोदय । अगर ऐसी स्थिति है तो सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं । चूंकि आज महत्वपूर्ण सवाल है । मुझे याद है कि जब खेतों को पानी देने की योजना गंडक का निर्माण

किया गया था उस समय भी सरकार ने बड़े दावे के साथ कहा था कि हम हर खेत को पानी देंगें आज उसका हश्र क्या है महोदय । आज खेतों को पानी नहीं मिल रहा है । उस समय यह बात आयी थी कि बोरिंग होना चाहिए लेकिन बोरिंग की योजना खत्म कर दी गई और आज खेतों को पानी नहीं मिल रहा है जिसका दुष्परिणाम खेतों पर कृषि पर पड़ा है और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । इसलिए गंभीरता से विचार करने के लिए ।

अध्यक्ष: अब समाप्त करें ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, आधा मिनट और ।

अध्यक्ष: आधा मिनट ।

श्री सत्यदेव राम: जी यह उदाहरण बहुत जरूरी है । विद्युतकरण की योजना आयी, विभिन्न नामों से योजना आयी, उसका क्या हश्र हुआ ? महोदय, गांवों तक तार और पोल चले गए लेकिन मेरा जो कहना है कि आज गरीबों के टोलों में वह पोल और तार नहीं गया है, विद्युत आपूर्त्ति नहीं होती है । महोदय, गरीब एक चापाकल नहीं गड़वा सकता है, अमीर लोग कई चापाकल गड़वा लेंगे । लेकिन गरीब चापाकल गड़वाने की आज स्थिति में नहीं है । इसलिए मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि पुराने दिनों को देखकर के पुरानी योजनाओं के हश्र को देखकर चापाकल योजना तबतक जारी रहनी चाहिए जबतक कि नल और जल का सारे गांव में और हर गरीबों के घर में नहीं व्यवस्था हो जाती है तबतक चापाकल योजना को जारी रखने का मैं समर्थन करत हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री राजू तिवारी ।

श्री राजू तिवारी: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शुद्ध पेयजल पर अपनी बात रखने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद । हर घर नल का विरोध महोदय हम नहीं कर रहे हैं । विरोध इस बात पर है कि जब यह योजना हर घर नल जमीन पर उतरे तबतक तो चापाकल हमलोग सरकार से लेने का विचार रखते हैं । हमलोग चाहते हैं महोदय आपके माध्यम से कि शराबबंदी पर आप ही के नेतृत्व में पूरे सदन ने ध्वनि मत से एक साथ होकर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरा सदन एक साथ रहा है । मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा सरकार से हर घर नल पहुंच जाय सारे गरीबों को मिल जाय लेकिन दुर्भाग्य है महोदय अभी बहुत सारे गांव में गरीब हैं जिनके पास अपना घर नहीं है । कम से कम उनको घर मिले तब तो उनके घर नल पहुंचेगा । इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा सरकार से कि जबतक यह योजना धरातल पर नहीं चालू होती है तबतक मुख्यमंत्री चापाकल योजना चालू करें । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

अध्यक्षः श्री ललन पासवान एक मिनट में ।

श्री ललन पासवानः महोदय, मैं तो जब से आया हूं जीत कर एक महीना सदन चला चीख चीख कर पानी मांग रहा हूं । सदन से मांग रहा हूं पीने का पानी तसला लेकर आया और पानी के सवाल पर सरकार बेपानी हो गई और आज दो घंटे के डिबेट में आयी । फिर भी पानी देने के लिए सरकार कहती है कि नल से जल देंगे । हम 11 करोड़ लोगों की चर्चा करने से पहले पहाड़ पर मैंने कहा कि नौहट्टा के 109 गांव, अघौड़ा का, रोहतास का 130 गांव, बगल में तिलौथु है, बगल मे ही सासाराम है, बगल में चैनपुर है, कैमूर का चांद है । अघौढ़ा के 11 प्रखंड के पशु और इंसान दोनों दो घूट पानी के लिए तरस रहे हैं । पूरे यादव समाज का पहाड़ पर चार जिलाओं का शाहाबाद का पहाड़ पर रखने वाले पशु लेकर भाग कर नीचे आ रहे हैं। मर जाते हैं हजारों पशु पीने के पानी के अभाव में । मैंने डी0एम0 एवं पी0एच0इ0डी0 के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया मेरे यहां अभी टैंकर से पानी नौहट्टा रोहतास में भेजा जा रहा है, यही सरकार की सच्चाई है ।

अध्यक्षः ललन जी आप तो सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपके शिकायत के बाद टैंकर से पानी पहुंचा दिया गया ।

श्री ललन पासवानः महोदय, मैंने तो कहा कि मैं कल कहा हूं जो टैंकर से पानी जा रहा है। हाहाकार मचा हुआ है और पहाड़ पर जो पानी चापाकल का है नल से जल भेजियेगा मैंने कहा कि आजादी के बाद वहां पशु और इंसान हर साल हजारों पशु पीने का पानी के लिए मर जाते हैं ।

क्रमशः....

टर्न–11/राजेश/1.4.16

श्री ललन पासवान, क्रमशः- अध्यक्ष महोदय, चुआरियों का गंदा पानी से और चापाकल जो लगाया जाता है, इसलिए चापाकल योजना को जो बंद करने की परम्परा लाये है, उसको चालू रखा जाय,जब तक नल से जल देने का,अध्यक्ष महोदय,एक मिनट ..... .(व्यवधान)

अध्यक्षः- अब समय नहीं है।

श्री ललन पासवानः- महोदय, हमारे यहॉ पहाड़ पर पानी का लेयर बिना ड्रिल का, जहॉ चापाकल नहीं गड़ सकता है,जो चापाकल संवेदक ले आता है .....(व्यवधान)

अध्यक्षः- ठीक है। अब आपका समय समाप्त हुआ। माननीय सदस्य श्री विद्यासागर केशरी, आप एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजियेगा।

श्री विद्यासागर केशरीः- अध्यक्ष महोदय, आज हम अपने माननीय नेता का आभार प्रकट करते हैं, साथ ही फारबिसगंज क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्य के लिए मुझे इस सदन में भेजने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, यह शरीर जल के 80 प्रतिशत से बना हुआ है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश एवं जल यह पंचतत्व से इसकी संरचना हुई है और इस पंचतत्व के बिना हमारा शरीर अधूरा है, इसलिए चापाकल योजना के तहत आज सदन में जो विचार-विमर्श चल रहा है, उसमें जब तक घर-घर नल नहीं पहुंच जाता है, तब तक चापाकल योजना को चालू रखा जाय, चूंकि अभी तक पूर्ण बिहार में बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है और जब बिजली आपूर्ति ही नहीं हुई है, तो यह घर-घर नल का पानी पहुंचाने की कल्पना करना बेईमानी है। महोदय, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पॉच साल में इस योजना को पूर्ण करना है, तो पहले साल 20 परसेंट ही यह योजना पूरी हो पायेगी, तो बाकी 80 परसेंट जनता का क्या होगा। महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह योजना गॉवों के लिए उतना अनुकूल नहीं है, इस योजना में बहुत सारी कमियॉ हैं..... (व्यवधान)

अध्यक्षः- अब आपका समय समाप्त हुआ। सरकार का उत्तर ।

<u>सरकार का उत्तर ।</u>

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्माः- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा के लिए यह विशेष बैठक बुलायी गयी, मैं समझ रहा था कि माननीय विपक्ष के सदस्यगण कोई ऐसी बात उठायेंगे, जिससे समझ आयेगा कि राज्य में पेयजल का घोर संकट है, जनता कठिनाई में है, इनलोगों की बातों से ऐसा लगा ही नहीं कि पानी का हाहाकार मचा हुआ है राज्य में लेकिन मुझे घोर निराशा हुई कि किसी भी सदस्य ने विपक्ष क, ऐसी कोई चर्चा नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं बतायी कि उनके क्षेत्र में कहीं भी पेयजल संकट है या जल स्तर में गिरावट है .....(व्यवधान)

अध्यक्षः- माननीय मंत्री जी, आप हमारी ओर मुखातिब होकर बोलिये।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्माः- महोदय, पूरे राज्य के किसी भी स्थान से जल स्तर के गिरावट की कोई सूचना नहीं है और हमने सारे जिले से रिपोर्ट मॅगायी, उसके अनुसार सभी जिलों में सामान्य स्थिति है। महोदय, कल विधान परिषद् में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी परिस्थितियों पर बहुत विस्तार से बता दिया और .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते, आपलोग सुनना ही नहीं चाहते हैं,महोदय, पूरे राज्य में कहीं भी जल संकट की

समस्या नहीं है और सभी जगहों पर, राज्य के सभी बसावटों में, राज्य के सभी गॉवों में शुद्ध पेयजल लोगों को मिल रहा है। महोदय, ये विपक्ष के लोग गॉव विरोधी है, ये नहीं चाहते हैं कि गॉव के गरीब लोग, गॉव में रहने वाले जो गरीब हैं, जिसकी काफी आबादी है, उन्हें शुद्ध पेयजल मिल सके, ये लोग नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज से तीन चार दशक पीछे चले तो हमलोगों को मालूम होगा कि पहले गॉवों में पेयजल की क्या व्यवस्था थी, गॉव के लोग कैसे जल पीते थे, उन्हें कुंआ का जल नसीब था, कुंआ का गंदा जल पीते थे लेकिन आज हमलोग वहॉ चापाकल तक पहुंचाये हैं, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पाईप लाइन के जरिये पेयजल उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो इन लोगों को कष्ट हो रहा है, इनलोगों को पीड़ा हो रही है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि गॉव के लोग शहर की तरह, जिस तरह से शहर में शुद्ध पेयजल की सुविधा है, वह गॉवों तक पहुंचे, ये लोग नहीं चाहते हैं लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा 7 निश्चय है, जो 7 योजना बनायी है, उससे सारे गॉवों में आने वाले पॉच वर्षों का जो अवधि है, तो आज से हमारा निश्चय शुरु हो रहा है, हम सारे गॉवों को, गॉव में रहने वाले जो गरीब-गुरबा है, उन तक हम शुद्व पेयजल पाईप के जरिये पहुंचाना चाहते हैं, हमारी कार्य योजना बनकर तैयार है, आज से हमारी योजना जो 7 निश्चय है, वह शुरु हो रही है और मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ कि आपलोग मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुनें लेकिन आपलोग तो बात को सुनना नहीं चाहते हैं, आपलोग गरीब विरोधी हैं, आपलोग गॉव विरोधी हैं, आपलोग नहीं चाहते हैं कि गॉव में जो रहने वाले लोग हैं, उनको शहर जैसी सुविधा मिले। महोदय, निर्मित चापाकलों में से एक लाख 8 हजार चापाकलों की मरम्मति कराकर चालू किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में 700 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना एवं एक बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना तथा 1200 मिनी जलापूर्ति योजना चालू है। इसके बाद महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि एक भी गॉव में जितने भी बसावटें हैं, किसी भी बसावट में पेयजल का संकट नहीं है, राज्य के सभी टोलों एक लाख 10 हजार में जल श्रोत उपलब्ध है, कोई भी बसावट पेयजल श्रोत विहीन नहीं है। महोदय, इसके अलावा राज्य के कई जिलों में आर्सैनिक, फ्लोराईड एवं आयरन प्रभावित है और उन स्थानों पर भी विभाग द्वारा वाटर ट्रीटमेंट करके लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, हमारी सरकार इस मामले में पूरी तरह सतर्क है, पूरी तरह सजग है कि जो गॉव में रहने वाले गरीब लोग हैं.... .....(व्यवधान)

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, आपलोग कान खोलकर सुन लें कि अगले पॉच वर्षो में हमने जो पेयजल की सुविधा का वादा किया था, जनता से जो वादा किया है, उस निश्चय को हम पूरा करेंगे और आगामी चुनाव में आपको समझ में आ जायेगा।

क्रमशः

टर्न:12/कृष्ण/01.04.2016

(व्यवधान)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा : (क्रमशः) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाता है । विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सामान्यतया चापाकलों का निर्माण कराया जाता है । इसके साथ ही बहुग्रामीय पाईप जलापूर्त्ति योजना, एकल ग्राम आधाारित पाईप जलापूर्त्ति योजना एवं सौर ऊर्जा चालित पम्प विद्युत चालित पम्प के साथ मिनी जलापूर्त्ति योजना का कार्यान्वयन कराया जाता है।

बसावट आधारित नीति अपनाकर राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के हर आदमी खासकर जिन्हें अभी तक पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, को सुरक्षित पर्याप्त, दीर्घकालिक, पहुंच के अंदर तथा सदा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना विभाग का मुख्य उद्देश्य है । राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार 1 लाख 10 हजार 1 सौ चालीस ग्रामीण टोलें हैं । इन ग्रामीण टोलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा चापाकलों का निर्माण कराया गया है एवं कोई भी टोला पेयजल स्रोत विहीन नहीं है ।

(व्यवधान)

महोदय, पेयजल सुविधा हेतु विभाग द्वारा गत वर्ष लगभग 8 लाख चापाकलों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अब तक 63 हजार चापाकलों का निर्माण कराया गया है । इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 700 ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति योजनायें तथा एक बहुग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति योजना चालू अवस्था में है ।

(व्यवधान)

विभाग द्वारा चापाकलों को चालू रखने हेतु नियमित रूप से मरम्मति-सम्पोषण का कार्य भी कराया जा रहा है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 1 लाख 8 हजार चापाकलों की साधारण मरम्मति कर चालू किया गया है । इसके

साथ ही ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति एवं मिनी जलापूर्त्ति योजनाओं की मरम्मति का कार्य भी निरंतर कराया जाता है ताकि पेयजल व्यवस्था बनी रहे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी,एक मिनट । नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय सदस्यों से हम आग्रह करेंगे कि आपने नियम 43 के तहत इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है, सदन में दो घंटे का विमर्श हुआ और उसके बाद सरकार अगर अपनी नीतियों के बारे में कुछ कह रही है, तो सुन लीजिये तब न अपनी बात कहियेगा ।

(व्यवधान)

नेता, प्रतिपक्ष ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने, जो माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है कि राज्य के अधिकांश हिस्से में चापाकल बंद हैं, जल मीनार बंद है, प्रदूषित जल जहर के रूप में जनता को मिल रहा है ।

(व्यवधान)

महोदय, इसका जवाब नहीं होगा ? मोतिहारी, दरभंगा, गया,पटना पूरे राज्य में पानी का हाहाकार मचा हुआ है । पानी की दिक्कत है । आम जनता प्रदूषित जल पीने के लिये विवश है । सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिये, नल से जल देने की घोषणा की । सदन को सरकार बताये कि बंद चापाकल के बारे में, बंद जल मीनार के बारे में और दरभंगा, मोतिहारी,पटना,कटिहार में पानी के लिए हाहाकार है ।

(व्यवधान)

राज्य की सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिये मुख्यमंत्री चापाकल योजना को बंद करने का निर्णय लिया है, उसका हम विरोध करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णनन्दन प्र0 वर्मा : महोदय, गर्मी में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु भी सरकार तत्पर है एवं इस हेतु तैयारी की गई है । इस संदर्भ में प्रत्येक जिला के हर प्रखंड के 5-5 चापाकलों के जल स्तर की मापी लेकर उनकी मोनिटरिंग की जा रही है ताकि पेयजल की समस्या का आकलन पूर्व में ही किया जा सके ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बाहर चले गये)

माह मार्च,16 में भू-जल स्तर के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में से नालन्दा, पटना,गया, नवादा,लखीसराय,रोहतास एवं औरंगाबाद जिला में मार्च,2014 एवं मार्च,15 की तुलना में भू-जल स्तर की गिरावट 2 फीट

तक है । दक्षिण भाग के अधिकांश जिलों में भू-जल स्तर 30 फीट तक है । सिर्फ भभुआ (कैमूर) जिला में 38 फीट 6 इंच है ।

(व्यवधान)

राज्य के दक्षिण भाग के सभी जिलों में विभाग द्वारा इंडिया मार्क-11 एवं इंडिया मार्क -111 पम्प लगाये जाते हैं, जिससे सामान्यतया भू-गर्भीय जल 80 फीट नीचे तक को लिफ्ट किया जा सकता है एवं आवश्यकतानुसार जिसे बढ़ाकर 100 फीट तक लिफ्ट किया जा सकता है ।

राज्य के उत्तर बिहार के किसी भी जिले में मार्च,14 एवं मार्च,15 की तुलना में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं है एवं भू-जल स्तर में गिरावट नहीं है।

विभाग द्वारा आम जनता से पेयजल की समस्या के सबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त करने हेतु सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष चालू है एवं राज्य के मुख्यालय स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष चालू है । इसके साथ ही जन शिकायत हेतु टॉल फ्री नंबर जारी किया गया है, जो नंबर 1800-123-1121 है ।

पेयजल समस्या संबधी शिकायत प्राप्त होने पर उसके त्वरित निराकरण हेतु सभी जिलों में चलंत मरम्मति दल कार्यरत रखने का निर्देश निर्गत है । साथ ही सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिया गया है।

गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु आकस्मिक योजना भी तैयार रखने का निर्देश क्षेत्रीय पदाधिकारियिों को दिया गया है । इसके तहत पेयजल की समस्या हेतु चिन्हित ग्रामों/टोलों में पेयजल की व्यवस्था हेतु रूट चार्ट के साथ टैंकर के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था हेतु तैयारी की गयी है । इस हेतु राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में 226 जल टैंकर रखे गये हैं तथा उत्तर भाग के 21 जिलों के लिये 25 जल टैंकर की व्यवस्था है । पेयजल की समस्या की सूचना मिलने पर जल टैंकर से भी पेयजल की व्यवस्था त्वरित गति से की जायेगी।

(व्यवधान)

विभाग द्वारा चलंत जल शोधन संयंत्र के साथ 6 जलदूत की व्यवस्था भी की गयी है जिसे आवश्कतानुसार क्षेत्र स्तर पर प्रयोाग में लाया जायेगा एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जायेगी । इस प्रकार 6 संयंत्र विभाग के पास उपलब्ध हो गये हैं एवं 14 अन्य संयंत्र माह अप्रैल,16 में उपलब्ध हो जायेंगे । इसके साथ ही निम्नांकित तैयारियां भी की गयी है :-

1. टैंकर/पी0भी0सी0 टेंक के माध्यम से ढुलाई कर जलापूर्त्ति करने हेतु संभावित बसावटों/टोलों की पहचान कर रूट चार्ट के साथ पेयजल की व्यवस्था करना ।

2. संभावित समस्याग्रस्त गांवों /टोलों में पेयजल की व्यवस्था हेतु गांवों के नजदीक विभागीय पेयजल स्रोत/लघु जल संसाधान विभाग का स्रोत/केन्दीय भू-जल पर्षद का स्रोत/निजी जली स्रोत की पहचान ।

3. इन्डिया मार्क -II एवं इन्डिया मार्क - III हैंड पम्प में सड़े पुराने राईजर पाईप को बदलने/बढ़ाने का कार्य ।

3 खराब बंद पड़े चापाकलों की मरम्मति हेतु विशेष अभियान चलाकर उनको ठीक कराना आदि शामिल हैं

इस तरह महोदय, विपक्ष ने जो इन सवालों को उठाया, उस पर हमारी बात नहीं सुने । हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने जो वादा किया 7 निश्चय का और उसमें गांव-गांव तक पेयजल, शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाने का जो लक्ष्य है, उसे निश्चित रूप से हमारी सरकार सक्रिय है और उसको सरकार पूरा करेगी । इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो बसावटें अलग-अलग बनी हैं, दस घर, बीस घर, पन्द्रह घर वहां तो यह नल-जल नहीं जायेगा ? इस पर भी माननीय मंत्री अपनी कुछ बात रखें ।

श्री कृष्णनन्दन प्र0 वर्मा : महोदय, घर-घर नल के माध्यम से जो जल पहुंचाने की योजना है,यह पूरे बिहार के सभी क्षेत्रों में पहुंचेगा और विपक्ष के लोग जो हल्ला कर रहे थे, मैं एक बात की जानकारी दे देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही विधान परिषद् में घोषणा की और उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि 2015-16 में जो माननीय विधायकों की अनुशंसा पर चापाकल दिये हैं, जो प्रत्येक पंचायत में 5 दिये जाते हैं, उसके लिये कल माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हो गया है और हमलोगों ने सभी जिलों में कार्यपालक अभियंताओं को आदेश दे दिये हैं और जिन क्षेत्रों में टेंडर हो चुका है उन तमाम क्षेत्रों में 5-5 चापाकल विधायकों की अनुशंसा पर लगाये जायेंगे, जो पहले लगाये जाते थे ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मेरे कहने का मतलब है कि बसावट/टोले,जो गांवों के बगल में होते हैं जहां तक नहीं जा पाता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप आसन की ओर देख कर अपना वक्तव्य शीघ्र समाप्त कीजिये ।

श्री कृष्ण नन्दन प्र0वर्मा : महोदय, हम कहना चाहते हैं कि यह सुशासन की सरकार है और इसका वादा है, यह काम करनेवाली सरकार है और इसने जो 7 वादे किये हैं, जिस पर हमें जनता का समर्थन मिला है, उस वादे पर हम कायम हैं और हम उस काम को पूरा करना चाहते हैं। हम काम करनेवाले लोग हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं । हमलोग कोताह नहीं हैं हम लोग काम करनेवाले लोग हैं । जनता की सेवा करनेवाले लोग हैं । यह श्री नीतीश कुमार की सरकार है । बहुत-बहुत धन्यवाद । महोदय,यह जो लिखित है इसको प्रोसिडिंग्स का पार्ट बना दिया जाय।

मैं यही कह कर समाप्त करता हूं :

ऐ ताहिरे लाहुति, उस रिज्क से मौत अच्छी,
जिस रिज्क से आती है, परवाज में कोताही ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जो लिखित वक्तव्य दे रहे हैं, वह कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जायेगा ।

(माननीय मंत्री का वक्तव्य - परिशिष्ट द्रष्टव्य)

माननीय मंत्री का वक्तव्य समाप्त हुआ । नियम-43 के तहत विशेष वाद-विवाद समाप्त हुआ ।

टर्न–13/सत्येन्द्र/1–4–16

प्रश्नोत्तर–काल

अध्यक्षः प्रश्नोत्तर काल, अल्पूसचित प्रश्न।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 7(डॉ0 रामानुज प्रसाद)

श्री आलोक कुमार मेहताः अध्यक्ष महोदय,(1)स्वीकारात्मक है।

(2)आंशिक स्वीकारात्मक है।

(3) सामान्य चिकित्सकों का 2900 की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया है जिसमें से लगभग 1950 की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है। इनकी जल्द ही पोस्टिंग की जायेगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों का लगभग 2700 की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयेाग को भेजी गयी है जिसमें से 600 की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है। उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन शीघ्र कर दिया जायेगा।

डॉ0 रामानुज प्रसादः अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूॅ, मंत्री जी जल्दी की बात कह रहे हैं कि जल्दी कर दी जायेगी तो मैं चाहता हूॅ माननीय मंत्री जी बतायें कि कब तक कर दी जायेगी और इसकी समय सीमा बतायें। चूंकि जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय,आज निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों की स्थिति जो है,लूट मचा हुआ है और मरीज हमारे ठगे जा रहे हैं। कल ही हमारे क्षेत्र के एक मरीज से डेढ़ लाख रू0 की मांग की गयी और मरीज देने की स्थिति में नहीं है। अस्पतालों में जो डॉक्टर की कमी है खासकर के मैं सोनपुर विधान–सभा क्षेत्र से आता हूॅ। सोनपुर–हाजीपुर में इनके डॉक्टर पदस्थापना करा लेते हैं और पटना में प्रैक्टिस करते हैं। कोई वहां रहता नहीं है और जब हमलोग जाते हैं अस्पताल में तो कहा जाता है कि सीट खाली है लेकिन डॉक्टर नहीं है प्रभारी और सिविल सर्जन यही बोलते हैं इसलिए माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि कबतक इन्होंने जो अधिसूचना दी है बी0पी0एस0सी0 को। बी0पी0एस0सी0 को फिर पत्र लिखें कि नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी कर सरकार को वो अनुशंसा करे और सरकार कबतक करा देगी, ये जवाब चाहिए।

श्री आलोक कुमार मेहताः महोदय,नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। चूंकि बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है और वह जल्द से जल्द अंतिम स्थिति में है और जो कौन्सिलंग होना था सारा काम पूरा है। मैं समझता हूॅ कि एक से डेढ़ माह के अन्दर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

डॉ0 रामानुज प्रसादः अध्यक्ष महोदय,मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूॅ कि जब सरकार नियोजन पर भी चिकित्सकों की बहाली कर रही है तो जबतक अनुशंसा बी0पी0एस0सी0 से नहीं आ जाता है, क्या नियोजन से वैसे रिक्त पद भरे जायेंगे?

अध्यक्ष: रामानुज जी, मंत्री जी ने तो बताया कि बी0पी0एस0सी0 से आ चुका है । जबतक नहीं आ जाता है क्यों पूछ रहे हैं ? बी0पी0एस0सी0 से तो आ गया है और उन्होंने डिटेल बतलाया है।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: उन्होंने अधियाचना भेजने की बात कही है।

अध्यक्ष: आ गया है और एक महीने में पोस्टिंग कर रहे हैं।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: महोदय, एक से डेढ महीने में बताया।

अध्यक्ष: हां,उन्होंने कहा है कि 2900 की अधियाचना भेजी गयी थी 1950 की अनुशंसा कमीशन से आ चुकी है, उसकी एक से डेढ़ महीना में पोस्टिंग कर देंगे और अगली अधियाचना भी इन्होंने भेज दी है, वह भी इन्होंने बतलाया ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय,मंत्री जी ने कहा कि 1950 जो है कमीशन से आ चुका है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ उन 1950 में जो संविदा पर 1488 डॉ0 हैं तो उस 1950 में से ये 1488 जो संविदा पर डॉक्टर हैं अध्यक्ष महोदय वो कितने हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से।

अध्यक्ष: यह इस प्रश्न से अलग है ।

श्री संजय सरावगी: महोदय,स्पष्ट रूप से हैं। 1488 संविदा पर चिकित्सक हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ, अभी माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि 1950 का कमीशन से अधियाचना आ चुका है और ये जो 1488 चिकित्सक हैं संविदा के, 1950 में ये 1488 वाले कितने हैं? यह मैं जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष: मंत्री जी, 1488 का अगर ये सूचना अभी नहीं है तो लेकर दे दीजिये ।

श्री नन्दकिशोर प्रसाद: महोदय,प्रश्न का तो दम निकल गया। महोदय आप प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न को देखिये। प्रश्नकर्त्ता ने जो कहा है इसमें इन्होंने चिकित्सक की कमी का जिक्र किया है और माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 1950 की अनुशंसा मिल गयी है, वहां से चयन हो गया है। अभी माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी ने जो सवाल उठाया है महोदय अगर संविदा पर कार्यरत चिकित्सक ही बी0पी0एस0सी0 से चुनकर के आ गये तो कमी जहां से तहां रह गयी। चूंकि वे ऑलरेडी संविदा पर काम कर रहे हैं तो संविदा पर काम करने वाले डॉक्टर ही चुनकर आ गये बी0पी0एस0सी0 से तो डॉक्टर की कमी तो बरकरार रह गयी। इसलिए यह जानना तो आवश्यक है न महोदय (व्यवधान) जब प्रश्न ही इस बात के लिए है कि नियुक्ति करने का विचार रखती है और कबतक भेजेगी डॉक्टर को तो महोदय जब सरकार ने कहा कि हमने इतना नियुक्ति कर लिया लेकिन मूलत: नियुक्ति हुई नहीं और एक तरह से संविदा वाले केवल स्थायी हो गये तो डॉक्टर की

कमी तो जस के तस रह गयी इसलिए यह जानना सदन को जरूरी है और सवाल जो किया गया उस सवाल का जवाब ही नहीं आया अध्यक्ष महोदय तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूॅ कि जो प्रश्न संजय जी ने किया है, क्या उसमें जो बी0पी0एस0सी0 से आया है रिकोमेंड होकर के उसमें संविदा पर कितने बहाल लोगों को शामिल किया गया है, इसको बतायेंगे तब न आगे बात होगी।

अध्यक्षः हमने तो कहा कि अगर यह सूचना अभी नहीं है तो लेकर दे दें । यही तो हम कह रहे हैं।

श्री नन्द किशोर यादवः क्या देख लेंगे महोदय। सूचना नहीं है तो प्रश्न का दम ही निकल गया तो प्रश्न पूछने का मतलब क्या होगा? उनके पास उत्तर है महोदय।

श्री आलोक कुमार मेहताः अध्यक्ष महोदय,बी0पी0एस0सी0 ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द शेष डॉक्टर्स की अनुशंसा भेजी जायेगी और यदि कमी होगी तो सरकार माननीय सदस्यों का इशारा जिस तरफ है उस पर विचार करेगी।

(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय,आपको भी स्मरण होगा। उस समय में आप भी कैबिनेट में थे। सरकार ने एक स्पष्ट नीति बनायी थी कि संविदा पर जितने लोग हैं उनको कुछ तरजीह दी जायेगी, 2 प्रतिशत 3 प्रतिशत और इसके बाद भैकेंसी निकाली गयी थी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की। उसमें वो लोग जो संविदा पर थे वो भी बैठे और उनको प्रतिशत बुस्टअप कुछ ज्यादा परसेंटेज के साथ दिया गया इसीलिए वह भी इंक्ल्यूड है और अभी 1950 आये हैं और जो रिक्तियां है।

अध्यक्षः यह तो मंत्री जी ने बतलाया है।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-'क' 1969(श्री अजीत शर्मा)</u>

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप अगली बार यह सवाल पूछियेगा, सरकार बतला देगी।

श्री आलोक कुमार मेहताः महोदय,यह ऊर्जा विभाग का होगा।

अध्यक्षः यह दिनांक 28 मार्च से स्थगित प्रश्न था वह अलग से वितरित किया गया है। यह 28-3-16 से स्थगित था, अलग से वितरित है।

श्री आलोक कुमार मेहताः महोदय, अभी उत्तर उपलब्ध नहीं है।

श्री सदानन्द सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को 4 तारीख को ले लिया जाय।

अध्यक्षः 4 को तो दूसरा ग्रुप रहता है, दूसरा वर्ग रहता है लेकिन माननीय सदानंद बाबू चूंकि यह आज के दिन लिस्टेड है और सरकार के पास उसका उत्तर आज नहीं है इसलिए हम चाहेंगे कि इसका उत्तर सरकार उपलब्ध कराकर माननीय सदस्य को दे दें।

श्री सदानन्द सिंहः नहीं नहीं, बहुत इम्पार्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को देखा जाय।

अध्यक्षः चार को लिस्ट कराया जा सकता है?

श्री सदानन्द सिंहः हां, 4 को करवा दीजिये।

अध्यक्षः ठीक है 4 को ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2618(श्री नितिन नवीन)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय,बिजली कनेक्शन पहुंचाने की योजना ए0पी0एल0 परिवारों के लिए मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अन्तर्गत किया जायेगा एवं बी0पी0एल0 परिवारों को दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना, पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। (क्रमशः)

टर्न-14/मधुप/01.4.2016

...क्रमशः...

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : 1.50 करोड़ विद्युत संबंधनों में से 20 लाख को वित्तीय वर्ष 2015-16 के फरवरी तक विद्युत संबंधन दे दिया गया है । शेष को दो वर्षों में देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

श्री नितिन नवीन : अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल ग्राम ज्योति जो योजना है, इसके 11th फेज-2 में, यह योजना शुरू हुई थी फेज-2 अक्टूबर, 2013 से दिसम्बर, 2015 में इसको समाप्त होना था । माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे कि कुल लक्ष्य के विरूद्ध 11th फेज में कितने बी0पी0एल0 परिवारों को बिजली का कनेक्शन देने में सफल हुये । उसी तरह से 12th फेज में जो शुरू हुआ था अगस्त, 2013 में और अगस्त, 2016 में पूरा होना था । इन दोनों 11th और 12th फेज में कुल कितने बी0पी0एल0 परिवारों को देना था और लक्ष्य विरूद्ध सरकार कितना देने में सफल हो पाई ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न ही है कि 1.50 करोड़ मुफ्त बिजली कनेक्शन अगस्त, 2016 तक केवल 10 लाख परिवारों को दिया गया, यह आपका प्रश्न है । मैंने कहा कि 10 लाख नहीं, फरवरी तक 20 लाख दिये गये हैं

और अगले दो साल में 1.50 करोड़ कनेक्शन देने का निर्णय कर लिया गया है, योजना स्वीकृत हो चुकी है, काम आगे बढ़ रहा है ।

श्री नितिन नवीन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब यह योजना अगस्त, 2016 में समाप्त होनी थी तो आखिर क्या कारण था, सरकार अपने खुद के आंकड़े को अगर देखे तो 1.50 करोड़ के विरूद्ध मात्र 20 लाख परिवारों को कनेक्शन दे पाये, 11th और 12th फेज दोनों समाप्ति के कगार पर है, तो किन कमियों के कारण सरकार अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई और अपने लक्ष्य से काफी पीछे सरकार रह गई ? इन कमियों का जिक्र क्या माननीय मंत्री जी करना चाहेंगे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, लगता है कि पिछले दिनों जो लगातार बजट पेश होता रहा या जो चर्चाएँ होती हैं, उससे माननीय सदस्य अनभिज्ञ हैं । 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रारम्भ हुआ । 2011-12 तक केवल बी0पी0एल0 के रेवेन्यु विलेज में 10 परसेंट को देना था । बार-बार माननीय मुख्यमंत्री जी और हमलोग सदन में भी इसकी चर्चा करते थे कि टुल्लू ट्रांसफर्मर है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के आधे के बाद एक चतुर्वेदी कमिटी गठित हुई प्लानिंग कमीशन में, उसने एक रिपोर्ट दिया कि यह योजना झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में और आसाम में न तो रोजगार पैदा कर पाई, न कृषि के लिए लाभकारी हुई । बाद में इस योजना को परिवर्तित करके 100 की आबादी के बसावट तक किया गया, जो हमलोगों की माँग थी । इसीलिये 10 परसेंट के कारण ही व्यापक नहीं हो पाया । अब दीनदयाल उपाध्याय योजना केवल नाम बदला गया है, यह योजना अभी प्रारम्भ की जा रही है, जिसका टेन्डर वगैरह फाइनल हो रहा है । आगे है कि 100 की बसावट तक देना है लेकिन केवल बी0पी0एल0 में उस योजना में कवर्ड है जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में था । 90 परसेंट भारत सरकार देती थी, वह एक अलग विषय है कि 60 परसेंट कर दिया लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि जो बी0पी0एल0 से बाहर के लोग हैं, उनको मुफ्त कनेक्शन का नहीं था, उनके मुफ्त कनेक्शन की घोषणा हुई है। ऑल-टुगेदर हमलोग इसको दो साल के भीतर पूरा करेंगे ।

श्री नितिन नवीन : अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल बी0पी0एल0 परिवारों के संबंध में ही सवाल किया था, माननीय मंत्री जी खुद मान रहे हैं कि आप लक्ष्य के पीछे थे । आपको पैसा दिया गया, यह ठीक है कि उसके ब्रॉडर एसपेक्ट में आप ए0पी0एल0 परिवार को, उसके आगे के लोगों को भी जोड़ रहे हैं लेकिन जो लक्ष्य आपको दिया गया था, उसकी कमियों की चर्चा नहीं की । हर घर बिजली पहुँचाने की योजना को, आप उसी योजना को सात निश्चय में डालकर नये कसीदे गढ़ रहे हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : ए0पी0एल0 को नहीं है, उस योजना को इसमें नहीं डाला गया है । बिहार की अच्छी उपलब्धि है, आपके प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, भारत सरकार भी बोलती है ।

श्री नितिन नवीन : अध्यक्ष महोदय, अगर उपलब्धि अच्छी है तो क्या कमियों की चर्चा सदन में नहीं होगी ?

श्री नन्द किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से दो प्रश्न के बारे में जानना चाहता हूँ । एक तो यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने कहा है 60:40 की बात, 60 परसेंट और 40 परसेंट की बात आपने की है ।

क्या यह बात सही नहीं है कि वास्तव में यह योजना 75 : 25 की है और भारत सरकार की शर्त्त यह है कि अगर समय-सीमा में आपने काम पूरा नहीं किया तब यह 40 परसेंट हो जायेगा । क्या यह सही नहीं है ?

दूसरा, क्या यह बात सही नहीं है कि बिहार के समस्त बी0पी0एल0 परिवारों को मुफ्त कनेक्शन देने की योजना भारत सरकार के पैसे से हो रही है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने कहा, लगता है कि सुन नहीं रहे हैं । राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में पहले से था कि हर रेवेन्यू विलेज, नॉट ग्राम पंचायत, रेवेन्यू विलेज के 10 परसेंट बी0पी0एल0 को देने का था लेकिन जब मैंने इस कमिटी की चर्चा की, प्लानिंग कमीशन ने बनाया और जिसका जिक्र मैंने किया, तब नन्द किशोर बाबू केवल टारगेट कर रहे हैं कि हम जो बोलते हैं वही सही बात है, लोगों का सुनते ही नहीं है। मैंने सारी बात बतायी । जहाँ तक 75 और 60 की बात करते हैं, टाउन एरिया में न्यू ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम का कन्वर्सन हुआ है, उसमें है कि अगर टाईम पर लगा दीजिये तो 15 परसेंट भारत सरकार उसको ऋण में कन्वर्ट करेगी, राज्य के ऋण के हिस्से में जायेगा, कोई मुफ्त की चीज नहीं होगी । इसीलिये 60 और 40 चाहिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या...

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, इसका जवाब नहीं आया । मैंने बड़ा सामान्य प्रश्न पूछा है कि समस्त बी0पी0एल0 परिवारों को मुफ्त कनेक्शन देने की योजना, उसका सारा खर्चा क्या भारत सरकार दे रही है ? यह मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : निश्चित तौर से राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में जो एक्सटेंडेड हुये, जिसका जिक्र मैंने किया, चतुर्वेदी कमिटी के रिपोर्ट के बाद, उसमें 100 की बसावट तक बी0पी0एल0 को मुफ्त देना है, ए0पी0एल0 को माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा जो है, उसके अनुसार देना है । यह तो मैंने कह दिया । आप सुनते नहीं हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या- 2619 । श्री अशोक कुमार । प्रभारी मंत्री पर्यटन विभाग ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मंत्री जी, अब तो हम अगले सवाल पर आ गये !

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युतीकरण योजना का टेन्डर भी अभी फाईनल नहीं हुआ है ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, गलतबयानी कर रहे हैं । भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि कृषि के लिए अलग फीडर होगा और घरेलू उपभोक्ता के लिए अलग फीडर होगा, उसका टेन्डर अभी हो रहा है तो बात बनाते हैं आप ! मंत्री होकर गलतबयानी कर रहे हैं !

तारांकित प्रश्न संख्या- 2619 (श्री अशोक कुमार)

श्रीमती अनिता देवी : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- श्री सुरेन्द्र कुमार रजक एवं श्री सुनील कुमार सिंह को 10 वर्ष सेवा पूरी करने पर प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन एवं अहर्त्ता पूरा करने वाले अन्य दो कर्मियों को 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत द्वितीय/तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ कार्यालय आदेश संख्या 24 दिनांक- 29.2.2016 द्वारा प्रदान किया गया है ।

श्री रजक एवं श्री सिंह की सेवा अभी तक 20 वर्ष पूरी नहीं हुई है । इन दोनों से कनीय किसी तृतीय वर्ग के कर्मी को इनसे वरीय वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2620 (श्री ददन यादव)

श्रीमती अनिता देवी : महोदय, 1- अंशतः स्वीकारात्मक है । महर्षि विश्वामित्र की नगरी के रूप में प्रसिद्ध बक्सर शहर में रामायण काल से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल, आश्रम, मन्दिर, गंगा घाट आदि के दर्शन हेतु काफी संख्या में पर्यटक आते हैं ।

2- पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है । राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटक स्थल अवस्थित हैं, जिनके विकास हेतु विभाग स्तर पर पर्यटन रोड मैप का निर्माण किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से पर्यटकीय स्थलों के विकास की योजना है ।

टर्न–15/आजाद/01.04.2016

श्री ददन यादव : हुजूर, आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि यह बहुत गंभीर मामला है, प्रतिदिन सदन में श्रीराम का नारा लगता है । श्रीराम का इतिहास हुजूर बक्सर से बना, यदि विश्वामित्र मुनि नहीं रहते तो राम का इतिहास नहीं लिखा जाता , राम का इतिहास बाल्मिकी ने लिखा है हुजूर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को हम बताना चाहते हैं कि राम का इतिहास कैसे लिखाया, यह मैं थोड़ी देर में बताना चाहते हैं दो–चार लाईन में .....

अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए, आप विश्वामित्र आश्रम के बारे में सवाल पूछिए न ।

श्री ददन यादव : सवाल पर आ रहा हूँ हुजूर, प्रतिदिन राम–राम का नाम आता है तो इसपर हम कहना चाहते हैं और विपक्ष के नेताओं को भी अवगत कराना चाहते हैं, हमारे बक्सर में एक यज्ञ होता था, यज्ञ में प्रतिदिन कुण्ड में राक्षस लोग हड्डी डाल देते थे.....

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए ।

श्री ददन यादव : हम वहीं आ रहे हैं हुजूर, विश्वामित्र मुनि बसौली गांव के रहने वाले थे, वे अयोध्या में गये और अयोध्या में जाकर राम को लाये और राम को लाने के बाद, एक अलौली गांव है हुजूर, वहां पर अहिल्या पत्थर बन गई थी, वहां का इतिहास है। यदि बिना नेवता के जनकपुर में राम को विश्वामित्र मुनि नहीं ले जाते तो जयमाल भी नहीं होता और न रावण से लड़ाई होता । इसलिए वह बहुत ही कीमती महत्व का जगह है बसौली, इसलिए वहां .....

अध्यक्ष : इसलिए आप क्या चाहते हैं ?

श्री ददन यादव : हुजूर, हम चाहते हैं कि पर्यटक का रूप बक्सर बने अयोध्या से भी बड़ा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको देखिए , इतनी बड़ी बात बता रहे हैं ।

श्रीमती अनिता देवी : महोदय, हम इसको देखवा लेते हैं ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि भगवान वामन की जन्मस्थली थी और महोदय .....

अध्यक्ष : आप प्रश्न के बारे में बताना चाह रहे हैं या रामचन्द्र जी के बारे में बताना चाह रहे हैं ?

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : जी, हुजूर, हम प्रश्न के बारे में बताना चाह रहे हैं कि बक्सर को पर्यटन का दर्जा क्यों दिया जाय ? महोदय, जैसे सुल्तानगंज का मामला उठा था, हमारे विपक्ष के नन्दकिशोर बाबू भी बोले थे और माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया था । महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष काठमाण्डू से लोग आते हैं गंगा जल ले जाने के लिए और उसको पशुपतिनाथ चढ़ाते हैं । महोदय, वहां

भगवान वामन जी की जन्मस्थली, भगवान राम की शिक्षास्थली और अहिल्या का अहिल्या द्वार और बक्सर की चौसा की लड़ाई बक्सर को ऐतिहासिक और पर्यटक का दर्जा देने के लिए मैं उस दिन भी उर्जा और पर्यटन का मामला था महोदय, मैं इसपर बोल रहा था कि बक्सर को पर्यटन का दर्जा दिया जाय तो इससे वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा । महोदय, प्रत्येक दिन विदेशी सैलानी आते हैं, ऋषियों-मुनियों का वह क्षेत्र रहा है, आज भी वहां दो सन्त जिन्दा हैं लक्ष्मी जी और स्वामी जी महाराज और बाबा लोग वहां वास करते हैं । मैं आपके माध्यम से सदन को और माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि बक्सर को पर्यटन का दर्जा दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2621 (श्री नीरज कुमार सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड के चुन्नी पंचायत अन्तर्गत ग्राम-शाहपुर एवं कामत किशनगंज का आंशिक विद्युतीकरण राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के 11वीं योजना अन्तर्गत किया गया है । चुन्नी पंचायत का पूर्ण विद्युतीकरण दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूववर्ती राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के 12वीं योजना के अन्तर्गत मे0 शिरडी साईं लि0 द्वारा किया जा रहा है । कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिसम्बर,2016 है ।

चूँकि भारत सरकार ने इस योजना का नाम बदल दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं यह बोल रहा हूँ । लेकिन पूर्ववर्ती राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जैसा मैंने जिक्र किया है , 2016 के दिसम्बर तक टारगेट को पूरा करने का है ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है कि 2016 के दिसम्बर.. .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है और मंत्री जी आपके ही जिला के रहने वाले हैं ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ यह छातापुर का मामला नहीं है, यह पूरे सुपौल जिला का मामला है, माननीय मंत्री बिजली सुपौल जिला के हैं । महोदय, हम माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि 2014 में एग्रीमेंट हुआ था, 2016 इसका लास्ट डेट है और 550 गांव मिला था ठीकेदार को । महोदय, 140 मात्र कमप्लीट कर पाया है, 15 महीना बीत चुका है, मात्र 9 महीना बाकी है, जिसमें 400 गांव को कमप्लीट करना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा छातापुर

का है । माननीय मंत्री महोदय बता दें कि 400 गांव को कैसे कमप्लीट करा देंगे 9 महीना में ठीकेदार से ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : हर हालत में समय पर काम पूरा करने को ठीकेदार को चेतावनी दिया गया है, नहीं करने पर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, 15 महीना में मात्र 150 गांव कर पाया है और 9 महीना मात्र बचा हुआ है, 400 गांव बचा हुआ है, इसको कैसे करायेंगे, नहीं कराने पर कौन सी कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कह दिये ।

श्री नीरज कुमार सिंह : सुपौल के हैं, हम सौभाग्य मानते हैं कि माननीय मंत्री जी सुपौल के हैं।

श्री नन्दकिशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि विशेष रूप से माननीय बिजली मंत्री के टेबुल पर एक गिलास पानी की व्यवस्था करा दीजिए, बार-बार गुस्सा आता है, पानी पी लेंगे महोदय, थोड़ा गुस्सा कम हो जायेगा । सदन में यह व्यवस्था करा दीजिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : आपको देखकर गुस्सा नहीं आता है, प्यार आता है, किसलिए इतना खीझ रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय नन्दकिशोर बाबू, आप उनको पानी पिला रहे हैं, उनको आप पर प्यार आ रहा है लेकिन आप दोनों के अन्ताक्षरी में तो सदन का समय जा रहा है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2622(श्री मदन मोहन तिवारी)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : 1. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना(पूर्ववर्ती राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के 12वीं योजना अन्तर्गत 100 से जनसंख्या वाले स्वीकृत गॉवों एवं टोलों में विद्युतीकरण का कार्य प0चम्पारण में मे0 अशोका बिल्डकॉन लि0 द्वारा किया जा रहा है ।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्ती राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के 12वीं योजना अन्तर्गत किये जा रहे विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाने एवं गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कार्यरत एजेंसी के कार्यों की साप्तहिक समीक्षा की जाती है । प्रश्नवर्णित टोला का प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण कराया जायेगा । विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य अगस्त,2016 निर्धारित है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2623(श्रीमती गुलजार देवी)</u>

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुर मं 27 स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत है । जिसमें से 7 स्वास्थ्य उपकेन्द्र अपने भवन में, 1 स्वास्थ्य उपकेन्द्र सामुदायिक भवन में एवं 19

स्वास्थ्य उपकेन्द्र किराये के भवन में संचालित है । 19 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में से 15 स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माणाधीन है । किराये में संचालित सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को सरकारी भवन में संचालित करने हेतु बी0एम0एस0आई0सी0एल0 को स्थल निरीक्षण के उपरान्त वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है ।

2. निधि की उपलब्धता के आधार पर चरणवद्ध ढंग से शेष स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का भवन निर्माण कराया जायेगा ।

श्रीमती गुलजार देवी : माननीय मंत्री जी जो जवाब दिये हैं, मधेपुर में 29 केन्द्र है, एक भी केन्द्र पर कोई कार्य नहीं होता है । इतने लोगों को वेतन दिया जा रहा है, सब गलत दिया जा रहा है । इसपर सुधार करिए मंत्री जी । जाँच कराकर सुधार करिए, हम रोज घुमते हैं, एक भी केन्द्र नहीं चलता है । 29 केन्द्र है, कब तक स्वास्थ्य केन्द्र चलेगा ?

श्री आलोक कुमार मेहता : हम इसको देखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न–16/अंजनी/दि0 1.4.16

तारांकित प्रश्न सं0–2624(श्री संजय सरावगी)

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वर्त्तमान सिविल सर्जन दरभंगा को अन्यत्र स्थांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, 6–7 महीने से पूरा दरभंगा जिला में स्वास्थ्य विभाग का कार्य ठप है ।

अध्यक्ष : आपके प्रश्न पर तो सरकार सहमत है ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, दरभंगा की जो हालत है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं कि वे स्थानांतरित न हों ?

श्री संजय सरावगी : जी नहीं, एक मिनट सर । जिला पदाधिकारी ने जो रिपोर्ट किया है, उसका मैं मात्र तीन लाईन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ । चार महीना हो गया, विभाग के सभी लोगों को पता है । सिविल सर्जन, दरभंगा को अपने कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा अपनी शारीरिक एवं मानसिक अवस्था के कारण कार्य करने में सक्षम नहीं हैं । इनकी शिथिलता एवं निष्क्रियता के कारण दरभंगा जिला का स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित नहीं हो रहे हैं । वरीय पदाधिकारी के द्वारा दिये गये निर्देशों का कोई अनुपालन इनके द्वारा नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष : संजय जी, आपने प्रश्न पूछा है और सरकार ने आपको वस्तुस्थिति बता दिया कि डी0एम0 के रिपोर्ट पर स्थांतरित कर रहे हैं, अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री संजय सरावगी : महोदय, चार महीना हो गया यह रिपोर्ट आये हुए, यह आज का रिपोर्ट नहीं है, पूरा दरभंगा पैरालाइज है, यह सबको पता है । सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, हमलोग बैठक में बैठते हैं तो जिला पदाधिकारी कहते हैं कि काहे बोलियेगा, वे दया के पात्र हैं, तो सरकार कबतक कार्रवाई करेगी, समय-सीमा कर दीजिए ?

अध्यक्ष : सरकार शीघ्र कार्रवाई करेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-2625(श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी)

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, 1-स्वीकारात्मक है ।

2- सामान्य चिकित्सकों का 2900 का अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, जिसमें से 1950 की अनुशंसा प्राप्त हो गयी है । विशेषज्ञ चिकित्सकों का लगभग 2700 की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी थी, जिसमें से 600 की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है, उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन शीघ्र कर दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-2626(श्री विजय कुमार खेमका)

श्रीमती अनिता देवी : अध्यक्ष महोदय, मां पूरण देवी मंदिर, प्रहलाद स्तम्भ, जलालगढ़ किला को देखने हेतु प्रत्येक वर्ष काफी संख्या में पर्यटक एवं श्रद्धालु आते हैं । मॉ पूरण देवी मंदिर के निकट पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए 1 करोड़ 58 लाख 44 हजार रूपया मात्र की योजना स्वीकृत की गयी है, जिसके अंतर्गत पर्यटन भवन, जन सुविधा, रास्ता, पार्क, घाट इत्यादि का विकास किया जाना है । वर्त्तमान में पर्यटन भवन, घाट एवं जन सुविधा संरचना कार्य पूर्ण है, शेष कार्य प्रगति पर है।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पहले जल पर फिर धार्मिक वातावरण सदन में बना है और मेरा प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है । मंत्री जी ने कहा है कि पूरण देवी मंदिर में, उस दृष्टिकोण से वहां का कुछ बजट बना है लेकिन उसी के साथ-साथ पूरा जिला में जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, पूर्णियां जिला के संबंध में जो मेरे मन में प्रश्न आया है, वनमंखी प्रखंड है, वहां नरसिंहावतार के मंदिर का एक स्तम्भ है और जलालगढ़ जो कसबा विधान सभा क्षेत्र में है, उसमें ऐतिहासिक किला है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने संकल्प और न्याय यात्रा में पूर्णियां गये थे और दोनों बार पूर्णियां में, इस बार जो अभी गये थे, वायसी में एक बड़ा दरगाह भी

है, वहां भी गये थे, उस दृष्टिकोण से प्राचीन मंदिर, पुराना दरगाह और धार्मिक स्थान हैं, इस दृष्टिकोण से मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ और मांग भी करता हूँ कि उसे पर्यटक स्थल के रूप में पूरा जिला में जितने भी मंदिर है, जो बड़े-बड़े प्राचीन मंदिर हैं, उनको विकसित करने की क्या योजना है ?

श्रीमती अनिता देवी : विभाग ने किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया। जैसे राजगीर है, गया है, वैशाली है, सोनपुर मेला है, जहां पर्यटक आते हैं, वह स्थल तो खुद घोषित हो जाता है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने चर्चा की है, प्राचीन के साथ-साथ, यह जो मानिक स्तम्भ है, काफी पुराना है और इन जगहों पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में एक दिन नहीं, मेला के समय में लाखों की संख्या में और प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में वहां यात्री आते हैं । वहां यात्रियों की सुविधा की जरूरत है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह एवं मांग करता हूँ कि इसको पर्यटक स्थल घोषित करें और जबतक घोषित नहीं कर पाते हैं, तबतक विकसित करने के लिए उन जगहों पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्था करें ।

तारांकित प्रश्न सं0-2627(श्री सीताराम यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंडान्तर्गत सेली बेली पंचायत के चचराहा (रविदास टोला) एवं सेलीबेली नवटोलिया (दलित टोला) का विद्युतीकरण दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्त्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के 12वीं योजना के तहत मे0 बजाज इलेक्ट्रिकल्स लि0 द्वारा किया जाना है, जिसे अगस्त, 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2628(श्री नन्द किशोर यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, 1- गायघाट ग्रिड सब-स्टेशन काफी पुराना है । इसका जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का आदेश निर्गत किया गया है तथा जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य जारी है एवं अगस्त, 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।

2- वर्त्तमान में गायघाट ग्रिड में अधिष्ठापित दो पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता 2x50 एम0भी0ए0 है, जिससे 80 मेगावाट विद्युत आपूर्त्ति की जा सकती है । जबकि गायघाट ग्रिड से अधिकतम 56 मेगावाट का विद्युत पावर की मांग है। अतः मांग के अनुरूप क्षमता वहन किया जा रहा है । कभी-कभी विद्युत

ट्रीपिंग के कारण उत्पन्न विद्युत प्रवाह के अवरोध को त्वरित गति से अनुरक्षण कर समुचित विद्युत प्रवाह स्थापित की जाती है ।

3- क- गायघाट ग्रिड सब-स्टेशन के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य जारी है, जिसे अगस्त, 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

ख- भविष्य की विद्युत मांग के मद्देनजर वर्त्तमान ग्रिड उपकेन्द्र की क्षमता (2x50 एम0भी0ए0) के विस्तार हेतु इसकी जगह 2x80 एम0भी0ए0 पावर ट्रांसफार्मर लगाने एवं 80 एम0भी0ए0 क्षमता का एक अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाने हेतु निविदा निकाली जा चुकी है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है । इस प्रकार ग्रिड उपकेन्द्र की कुल क्षमता 3x80 एम0भी0ए0 हो जायेगा ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि सरकार ने एक साल पहले घोषणा किया था कि पटना शहर में 24 घंटा बिजली की आपूर्त्ति की जायेगी और चूंकि गायघाट ग्रिड का रिनोवेशन एवं मेन्टेनेंस का काम पूरा नहीं हुआ था, इसके कारण से सरकार की घोषणा का पालन पटना सिटी इलाके में नहीं हो रहा है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, ऐसा नहीं है । मैंने जैसा बतलाया कि डिमांड है केवल 56 और 80 मेगावाट उससे आपूर्त्ति की जा सकती है । महोदय, यह सत्य है कि 1.11.1994 को इस ग्रीड की स्थापना हुई थी, शहर के पॉश एरिया में है, काफी घनी आबादी है, आबादी बढ़ी भी है, इसलिए इसका अपग्रेडेशन किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : आप नंद किशोर जी के डिमांड से डेढ़ गुणा की व्यवस्था कर रहे हैं- 56 के एगेंस्ट में 80 !

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : पटना की क्षमता तो बढ रही है, पटना का एक्सटेंशन हो रहा है, न सिर्फ इनका, जो सदानंद बाबू का आरोप है, इनका ही नहीं, बिहार के हरेक ग्रीड का, हरेक सब-स्टेशन के क्षमता विस्तार का कार्यक्रम हमलोगों ने बनाया है और बारी-बारी से होगा ।

टर्न-17/शंभु/01.03.16

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, आरोप नहीं है, इन दोनों की वाणी से मुझे खुशी होती है।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, मैं जानना चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि जिस प्रकार से बाकी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना और ग्रिड लगाने की योजना समय सीमा में कहीं भी

पूरा नहीं हुआ तो क्या सरकार इसका भी वही हश्र करेगी कि समय सीमा में पूरा करेगी ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : अगर माननीय सदस्य की नीयत खराब होगी देखने की, ओझल दृष्टिकोण से.....

तारांकित प्रश्न सं0–2629/श्री फैयाज अहमद

श्रीमती अनीता देवी : महोदय, 1– स्वीकारात्मक है।

2– स्वीकारात्मक है।

3– बिहार के विभिन्न जिलों में ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के जो स्थल हैं इनका पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास किया जाना अपेक्षित है। बिहार में पर्यटन की असीम संभावना को देखते हुए पंचवर्षीय पर्यटन रोड मैप बनाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। जिसके आलोक में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जायेगा।

श्री फैयाज अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह धार्मिक सेन्टीमेंट का सवाल है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आप जो पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने की जो कार्य योजना बना रही हैं उसमें इन्होंने जो कहा है उसको देख लीजिएगा।

श्री फैयाज अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह पर्यटन स्थल नहीं, धार्मिक स्थल है।

श्रीमती अनीता देवी : ठीक है महोदय, इसमें जो–जो स्थल आयेगा उसको चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न सं0–2630/डा0 अशोक कुमार

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, 1– स्वीकारात्मक है।

2– स्वीकारात्मक है।

3– आंशिक स्वीकारात्मक है। नियुक्ति हेतु उम्र सीमा के निर्धारण के लिए नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग है। उसी के द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए उम्र की सीमा का निर्धारण किया जाता है। पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2011 में सहायक प्राध्यापक की नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था। अतः वर्ष 2012 में जो उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित उम्र सीमा के आधार पर योग्य होंगे उन सभी को उसमें अवसर दिया जायेगा।

4– वर्तमान में इस संबंध में कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

डा0 अशोक कुमार : महोदय, इसका दो पार्ट– एक हमने कहा कि सहायक प्राध्यापक नियमित नियुक्ति से वंचित रह गये और माननीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए विज्ञापन निकाला गया। इसमें अधिकतम उम्रसीमा 45 और 48 वर्ष होने के कारण वे सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति से वंचित हो जाते हैं और नियुक्ति होने के बाद चूंकि वे रेगुलर नहीं हैं और उनके रिटायरमेंट हो जाती है 67 वर्ष में तो उनका प्रमोशन वे 67 वर्ष सहायक प्राध्यापक ही रह जाते हैं, वे न प्रोफेसर हो सकते हैं और न हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते है। जिसके चलते अभी बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज और अस्थायी मान्तया पर चल रहे हैं उनकी मान्यता खतरे में है, एम0सी0आइ0 ने उनको चेतावनी दे दी है। 38 परसेंट शिक्षकों की कमी है बिहार में और अगर 10 परसेंट से ज्यादा कमी रहती है तो उसकी मान्यता समाप्त कर देती है एम0सी0आइ0 और बार–बार चेतावनी देने के बावजूद इस उम्र सीमा की वजह से सहायक शिक्षक की प्रोन्नति रूकी हुई है। सरकार इसपर क्यों नहीं विचार करना चाहती है, हम यह जानना चाहते हैं।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, हमने पहले ही बताया कि उम्र सीमा का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किया जाता है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने जो 2011 में सहायक प्राध्यापक की नियमित नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है उसमें 2012 में जो उम्मीदवार सामान्य प्रशासन द्वारा निर्धारित उम्र सीमा के अंदर होंगे तो उन्हें लिया जायेगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सरकार इस बिन्दु पर सजग है। विस्तृत ज्ञापन जो डाक्टर्स हैं, आपके द्वारा दिया जायेगा तो सरकार उसपर विचार करेगी गंभीरता से।

डा0 अशोक कुमार : एम0सी0आइ0 ने बिहार सरकार को जो भेजा है उसमें सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति का विज्ञापन आया है उसमें इन्होंने जो गाइडलाइन दिया है उसमें उन्होंने नियुक्ति का 70 वर्ष तक करने के लिए इन्होंने छूट दिया है। यह निर्धारित नहीं किया है, लेकिन 70 वर्ष तक वे काम कर सकते हैं। यह एम0सी0आइ0 ने कहा है तो बिहार सरकार इसको मानकर क्यों नहीं नियमित करने के लिए उम्र सीमा निर्धारित कर देती है न्यूनतम ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का सुझाव है कि एम0सी0आइ0 ने भी 67 वर्ष करने को कहा है, सरकार के कन्सेंट के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान करती है तो उसमें उम्र सीमा को 62 वर्ष तक बढ़ाया जाय, यह इनका सुझाव है।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह कार्य सामान्य प्रशासन विभाग देखता है। माननीय विधायक जी का जो विस्तृत ज्ञापन प्राप्त होगा पुनः उसको हम सामान्य प्रशासन विभाग को भेज देंगे।

तारांकित प्रश्न सं0–2631/श्री यदुवंश कुमार यादव

श्री आलोक कुमार मेहता : 1– स्वीकारात्मक नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनपुर में 6 बेड स्वीकृत है और 4 बेड और लगाया गया है। इसे 30 बेड वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदलने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

2– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनपुर को 30 शैय्या के केन्द्र में बदलने की कार्रवाई की जा रही है।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, यह कोशी से प्रभावित इलाका है– 40 प्रतिशत इसकी आबादी तटबंध के अंदर बसा हुआ है जो खाट पर ही लादकर मरीज को यहां लाया जाता है और उसी खाट पर इलाज होता है और उसी खाट पर वापस जाता है। बाहर में जहां तहां लोग पड़े रहते हैं। हम चाहते हैं कि इसको उत्क्रमित करके 75 शैय्या का अस्पताल वहां बनाया जाय।

अध्यक्ष : अभी तो माननीय मंत्री जी ने आपको बताया है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उत्क्रमित करके 30 शैय्या का अस्पताल बनाया जा रहा है। अभी तो उन्होंने बताया है, आप जो कह रहे हैं सरकार उससे सहमत है।

तारांकित प्रश्न सं0–2632/श्री रत्नेश सादा

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, 1– उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड एवं पतरघट प्रखंड में प्रश्नगत उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं है। यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। जिसमें 2012–13 एवं 2013–14 में कोई राशि आवंटित नहीं की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में दवा मद में राशि जिला मुख्यालय, सिविल सर्जन कार्यालय सहरसा, जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा को विभाग द्वारा आवंटित की गयी थी जिससे दवाओं का क्रय कर विभिन्न प्रखंडों में आपूर्ति की गयी थी।

2– उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। जॉच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से कि 2011–12, 2013–14 में जिला स्वास्थ्य केन्द्र से जो दवा दी जाती है खासकर मरीज के लिए दी जाती है, बल्कि प्रभारी के द्वारा निडिल, सीरिंच से लेकर दवा, रूई तक बेचने के लिए नहीं न दी जाती है ? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि उक्त प्रभारी पर कार्रवाई करते हैं क्या?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने तो पूछा कि वहां खरीद करने में गड़बड़ी हुई है माननीय मंत्री ने बताया कि सोनवर्षा या पतरघट में कोई खरीद नहीं हुई है जिला में खरीद हुई थी और उसके बाद वहां आपूर्ति की गयी है। अब आपका क्या प्रश्न है ?

श्री रत्नेश सादा : आपूर्ति की गयी दवा की जो.....

अध्यक्ष : आपूर्ति की गयी सामान सही ढंग से मरीजों को उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ, यही न!

श्री रत्नेश सादा : नहीं उपलब्ध हो रहा है।

अध्यक्ष : ठीक है, देख लीजिएगा।

श्री आलोक कुमार मेहता : जी।

टर्न–18/अशोक/01.04.2016

तारांकित प्रश्न संख्या–2633(श्री राणा रणधीर)

श्री आलोक कुमार मेहता : स्वीकारात्मक नहीं है ।

उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है । उप स्वास्थ्य केन्द्र में ए.एन.एम. का दो पद स्वीकृत है । सात हजार ए.एन.एम. की नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गयी है । गड़हिया में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिसमें आवश्यकतानुसार पदस्थापन शीघ्र कर दिया जायेगा।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय,यह प्रिन्टिग एरर था वह उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं था, वह अतिरिक्त स्वा. केन्द्र था, जिसका मंत्री जी ने उत्तर सही दिया । वहां वह काफी संवेदनशील इलाका है, पूरा सदन जानता होगा, माओवादी से, उग्रवाद से प्रभावित इलाका है, 2005 को 23 जून को दिन–दहाड़े बहुत बड़ी घटना हुई । यह इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है, संवेदनशील इलाका है, सरकार संकल्प रखती है कि ऐसे इलाकों में बढ़िया चिकित्सा सुविधा, सड़क की व्यवस्था की जाय तो मेरा आग्रह होगा कि यह छः बेड का हॉस्पीटल है, और एक यूनानी डाक्टर हैं और कुछ महीना पहले, आठ महीना पहले बड़ी महामारी फैली थी, डायरिया का बड़ा प्रकोप हुआ था, पूरा जिला जानता है, एक सौ लोग एक साथ बीमार पड़े थे, एक आदमी की मृत्यु हुई थी .. . .

अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लीजिए, या सुझाव दे दीजिए, जो करना हो ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, सुझाव है कि डाक्टरों का पदस्थापना हो जाय । छः बेड का हॉस्पीटल है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2634(श्री वशिष्ठ सिंह)

श्री आलोक कुमार मेहता : 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बिलारी किराये के मकान में संचालित है, जहॉ एक ए.एन.एम. पदस्थापित है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. स्वीकारात्मक है ।

4. राशि उपलब्ध होने पर बिलारी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का निर्माण कराया जाएगा ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, मेरा सब क्योश्चन स्वीकारात्मक है । 1978 से यहां स्वास्थ्य उप–केन्द्र चलता है, बहुत लम्बा समय हो गया और मैं सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूॅ कि यह बहुत बड़ा सवाल नहीं है, शीघ्र भवन का पैसा दिलवा करके इसको करवाया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको प्राथमिकता से दिखलवा लीजिए ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, प्राथमिकता नहीं, आपसे निवेदन कर रहे हैं आप समय सीमा बता कर के इस कार्य को पूरा करवाया जाय ।

अध्यक्ष : अगर प्राथमिकता में नहीं जायेगा वशिष्ठ जी, तब समय सीमा कैसे निर्धारित होगा ।

श्री वशिष्ठ सिंह : प्राथमिकता में तो हो ही गया कि स्वीकारात्मक है ।

अध्यक्ष : प्राथमिकता में होगी तब न समय सीमा होगी !

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, कुछ आश्वासन दिया जाय ।

श्री नंद किशोर यादव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूॅ कि जितने भी स्वास्थ्य उप–केन्द्र और ए.एच.पी.सी. के प्रश्न आते हैं महोदय, सभी में उनका जवाब हो रहा है कि धन की उपलब्धता के आधार पर कार्रवाई की जायेगी– मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूॅ कि क्या यह सही नहीं है कि बड़े पैमाने पर बिहार में स्वास्थ्य उप–केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रथमिक स्वास्थ्य कें्रद्र को 30 बेड में बदलने की योजना के लिए भारत सरकार ने नेशलन रूरल हेल्थ मीशन के अन्तर्गत एक हजार से अधिक की राशि बिहार के पास पेन्डिंग है, क्या उस रीशि से इस उप–केन्द्र के निर्माण की कोई येाजना है ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, जहां तक 30 बेड को अपग्रेडेशन की बात है, उस स्वास्थ्य उप–केन्द्र में ही उस राशि को खर्च किया जा सकता है, उसको सरकार गंभीरता से लेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने इतना कहा है कि एन.एच.आर.एम. में जो पैसा केन्द्र सरकार दे रही है, अगर देती है तो उससे प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्रों का भवन का निर्माण कराया जाय- इतना ही उनका सुझाव है ।

श्री नंद किशोर यादव : हजारों करोड़ सरकार के पास पड़ा हुआ है, एन.एच.आर.एम. का पैसा, जो भारत सरकार दिया है स्वास्थ्य उप-केन्द्र के लिए, ए.पी.एच.सी. बनाने के लिए- सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही है और बार बार कह रही है कि पैसा नहीं है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास एन.एच.आर.एम. का पैसा समाप्त हो गया, क्या उनके पास पैसा नहीं है ? मैं यह जानना चाहता हूँ महोदय । ऐसा क्यों जवाब दिया जा रहा है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है ? उस पैसे का क्या हुआ आखिर ? एन.एच.आर.एम. के पैसे का हुआ क्या ? क्यो घोटाला हो गई, क्या गड़बड़ी हो गई ? सरकार बताये इसके बारे में । एन.एच.आर.एम. का जो पैसा पड़ा हुआ है भवन निर्माण के लिए उसका क्या हुआ ? बताइये ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप दिखलवा लीजिए अगर एन.एच.आर.एम. के पैसे भवन निर्माण के लिए कर्णांकित हैं तो उस पैसे का बिहार सरकार उपयोग कर ले ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2635(श्री सरोज यादव)

अध्यक्ष : यह गृह विभाग को स्थानान्तरित है । प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।
स्थगित ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2636 (श्री राम विशुन सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

पटना शहर में चरणबद्ध रूप से ओपेन तार को केबुल से बदला जाना है । वर्त्तमान में आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजनान्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से खतरनाक एवं अधिक ए.टी. एण्ड सी. हानि वाले स्थानों पर ओपेन तार हटाकर केबुल तार लगाकर विद्युत की आपूर्त्ति की जा रही है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. प्रश्न में वर्णित स्थान पर अगले चरण में स्वीकृत आई.पी.डी.एस. योजनान्तर्गत ओपेन तार के स्थान पर केबुल तार लगाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए निविदा की प्रक्रिया की जा रही है । कार्य आवंटन के पश्चात इस कार्य को पूरा करा लिया जायेगा ।

श्री राम विशुन सिंह : कब तक? समय कुछ बतलाया जाय माननीय मंत्री जी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : टेन्डर की प्रक्रिया में है, जितना जल्दी टेन्डर फाईनल हो जायेगा, उसके बाद इसको कराया जायेगा ।

श्री राम विशुन सिंह : ठीक है, ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2637(श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन)

श्री आलोक कुमार मेहता : 1. स्वीकारात्मक है ।

जांच के क्रम में कुल एक हजार एक सौ चौदह दवाओं के मूल्य का अध्ययन किया गया जिसमें भारी अंतर पाया गया है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

खुदरा दूकानदारों द्वारा दवाओं की बिक्री अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं किया जाता है । अधिकतम खुदरा मूल्य का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है ।

3. ऐंटी कैंसर दवाइयों के मूल्य नियंत्रण के लिए एन.पी.पी.ए., भारत सरकार को पत्र लिखा गया है ।

ऐंटी कैंसर दवाइयों का मूल्य नियंत्रित करने के लिए उन दवाइयों को बेचने वाले दूकानदारों के साथ बैठक की गई । उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि ऐंटी कैंसर दवाइयों को एम.आर.पी. से कम दाम पर मरीजों को बेचा जाएगा। उस निर्णय का दवा दूकानदारों द्वारा पालन किया जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2638(श्री राहुल तिवारी)

श्री आलोक कुमार मेहता : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

मरम्मति हेतु भवन निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है ।

3. राशि उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जाएगा ।

श्री राहुल तिवारी : जी, धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2639(श्री वृज किशोर विन्द)

(माननीय सदस्य श्री वृज किशोर विन्द अनुपस्थित ।)

तारांकित प्रश्न संख्या-2640(श्री सुबोध राय)

श्री आलोक कुमार मेहता : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. ब्लड स्टोरेज सेन्टर खोलने हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने के बाद उक्त अस्पताल में ब्लड स्टोरेज सेंटर खोला जा सकेगा ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है और उन्होंने कुछ मजबूरी बतलाया है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि ब्लड बैंक के अभाव में सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल जैसे जगह में, जहां कि ट्रेन की घटनाओं से और जो महिलायें प्रसवकाल में आती हैं तो अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मर जाती हैं और उनके मरने के कारण की जब जांच होती है तो सिविल सर्जन और डी.एम. ये डाक्टर एवं नर्सों को ये कह कर बर्खास्त कर देते हैं कि उन्होंने लापरवाही बरती जब कि ब्लड बैंक है ही नहीं तो ऐसी अवस्था में ब्लड के लिए भागलपुर जेनरल अस्पताल जो है वहां रेफर करना पड़ता है, 25 कि.मी. पेसेंट को दूर जाना पड़ता है और वह तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है, इसी अवस्था को देखते हुये क्या सरकार जल्द से जल्द वहां पर ब्लड बैंक की स्थापना का विचार रखती है ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, माननीय सदस्य की इस भावना का सम्मान करते हुये विभाग इस पर गंभीरता से विचार करेगी ।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हैं, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

टर्न-19/01-04-2016-ज्योति

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनॉक 01 अप्रील, 2016 के लिए माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । आज दिनॉक 01 अप्रील, 2016 को सदन में सार्वजनिक हित के विषयों पर गैर सरकारी संकल्प का कार्य निर्धारित है ।

अतएव, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 19 (1) के तहत आज अन्य सभी सरकारी कार्य छोड़कर कोई दूसरे कार्य नहीं लिए जा सकते हैं जिसके फलस्वरुप उपर्युक्त कार्य स्थगन प्रस्ताव को अमान्य किया जाता है। शून्य काल , श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

शून्य काल

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुढ़नी प्रखण्ड में एन0एच0 77 से धरमुंहा तक 13-14 में ग्रामीण कार्य विभाग से पक्कीकरण की निविदा हुई थी । अभी तक सड़क निर्माण अधूरी है । रोज लोग गिर कर घायल हो रहे हैं । जनहित में यथाशीध्र बनाने की मांग करते हैं ।

श्री मो0 नेमतुल्ला : अध्यक्ष महोदय, गोपाल गंज जिला के दरौली प्रखण्ड के सिवान-सरफरा पीच रोड से कहला सत्यनारायण टोला से निकल कर नवादा से निकलकर वभनौली होते हुए कहला सुभानीटोला होते हुए नवादा पीच सड़क तक जाने वाली सड़क जर्जर स्थिति में है । बरसात में उक्त सड़क जलमय होने के कारण आम जनता को कष्ट झेलना पड़ता है । सड़कों से निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, नौर्थ कोयल नहर के नाउर, फुलवरिया, रिउर, विशुनपुर तेतरिया, कूशा, पांती, कुल्हड़िया, चपरी, मिर्जापुर, कड़मरी, महुंअरी, धूम्भी, बसडीहा, प्रीतमपुर वितरणी एवं उक्त वितरणियों में अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचता है ।

सरकार उक्त वितरणियों की उड़ाही एवं कुटकू जलाशय में गेट लगाने हेतु झारखण्ड सरकार एवं केन्द्र सरकार से वार्ता करे ।

श्री अशोक कुमार सिंह (रामगढ़) : रामगढ़ बड़ौरा पथ की दूरी 8 कि0मी0 है । यह पथ बिल्कुल टूट गया है । यह सड़क बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है एवं रामगढ़ से राजधानी आने के लिए सबसे नजदीक स्टेशन उत्तर प्रदेश का दिलदार नगर है, सरकार से उक्त सड़क के निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, बीते रात सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड में भीषण ओलावृष्टि से हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गयी है । आपदा विभाग के माध्यम से सरकार किसानों को मुआवजा दिलावें ।

श्री विनोद कुमार सिंह : कटिहार नगर में शिवमंदिर चौक से दौलतराम चौक, शहीद चौक से पानी टंकी चौक, गर्ल्स स्कूल रोड में, बाटा चौक से दुर्गा स्थान चौक तथा शहीद चौक से बाटा चौक तक अतिक्रमण के कारण यातायात तथा आवागमन अवरुद्ध रहता है, उक्त सड़कों में जबर्दस्त जाम रहता है । अतः अतिक्रमण हटाने की मांग करता हूँ ।

डा0 सुनील कुमार : नालन्दा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ में रामचन्द्र पुर बस स्टैण्ड के कारण सड़क जाम से मुक्ति हेतु शहर से दक्षिण जाने वाली सभी बसों तथा सवारी गाड़ी का परिचालन कारगिल चौक , पहाड़पुर में बने नये बस स्टैण्ड में अविलम्ब स्थानान्तरण हेतु शून्यकाल की सूचना देता हूँ ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : एन0बी0सी0सी0 द्वारा ग्रामीण कार्य प्रमंडल कटिहार अन्तर्गत वर्ष 2007 में प्रधानमंत्री की ग्राम्य सड़क योजना की दो सड़क हसनगंज से द्वासय एवं छींटाराड़ी सोनैली पथ से मेहदेदू तक का अधूरा निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु सरकार आवश्यक कदम उठावे ।

श्री राणा रणधीर : पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल हुई भारी आंधी-तूफान और ओलावृष्टि से गेहूँ तथा मक्के की फसल को भारी क्षति हुई है । जिसके कारण किसान भाईयों में गहरी निराशा है । मैं किसान भाईयों को हुई फसल क्षति की भरपाई हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

श्री ललन पासवान : पटना जिला अधीक्षक सचिवालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग द्वारा नियम के खिलाफ आवास संख्या- टू-इन-वन 2(6) आवंटित है । अनुसूचित जाति/जनजाति के कई वरीय प्रवाचक को उनकी वरीयता के अनुसार न प्रोन्नति मिली न आवास । सरकार से मांग करते हैं उक्त अवैध आवंटन को रद्द कर जाँच करावें ।

डा0 विनोद प्रसाद यादव : गया जिलान्तर्गत गया से शेरघाटी भाया चेरकी एम0डी0आर0 पथ काफी खराब है । यह पथ शेरघाटी अनुमण्डल को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है । पथ निर्माण विभाग से गया शेरघाटी भाया चेरकी पथ को स्टेट हाईवे में शामिल करने तथा अविलम्ब निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री अशोक कुमार सिंह (रफीगंज) : पटना नगर निगम अन्तर्गत वार्ड नं0-5 राजा बाजार आशियाना मोड़ पी0एन0बी0 बैंक के बगल में मां शाम्भवी वाटिका अपार्टमेंट के द्वारा पास नक्शा के विरुद्ध दूसरे तरफ दरवाजा खोला गया है । जनहित में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री मो0 नवाज आलम : शाहाबाद का पुराना जिला भोजपुर है । भोजपुर जिला को छोड़कर तीन नया जिला बना जिसका मुख्यालय पटना हुआ । आम जनों को महत्वपूर्ण कार्य से पटना आने में कठिनाई होती है । अतएव जनहित में बक्सर, भभुआ, रोहतास जिलों को मिलाकर आरा मुख्यालय करने हेतु मांग करता हूँ ।

श्री संजय सरावगी : दरभंगा शहर के एम0आर0एम0 + 2 कन्या उच्च विद्यालय का पुराना मुख्य भवन पूर्णत: ध्वस्त हो गया है जिससे नौवीं एवं दसवीं क्लास में नामांकित छात्राओं को पढ़ने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

अत: अविलम्ब सरकार नये भवन का निर्माण करावे ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : खगड़िया जिलान्तर्गत मानसी प्रखण्ड कार्यालय का अपना भवन नहीं रहने के कारण खुटिया पंचायत भवन में कार्य निष्पादन किया जाता है अत: सरकार जमीन अधिग्रहण कर उक्त प्रखण्ड कार्यालय भवन का निर्माण करावे ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव: नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा प्रखण्ड के बड़हनपुरा से चिकसौरा होते हुए दनियावाँ तक जाने वाली लोकाईन नदी का तटबंध की हालत जर्जर है जिसके कारण बरसात के मौसम में किसानों की धान की फसल बर्बाद हो जाती है ।

अतः सरकार से लोकाईन नदी के तटबंध जो हिलसा विधान सभा क्षेत्र से गुजरती है उसे सुदृढ़ करने की सरकार से मांग करता हूँ ।

डा0 रविन्द्र यादव : दिनॉक 25-03-2016 को जमुई जिला के झाझा थाना अंतर्गत रुकसाना खातून के घर में घुसकर अपराधी शलु खान ने अपहरण करने का प्रयास किया । झाझा कांड संख्या - 50/16 दर्ज है । शलु खान एक सी0सी0ए0 लगा हुआ अपराधी है । अतः अविलंब गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

श्री रामविशुन सिंह : भोजपुर जिला के अन्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड में सोन नहर के अन्तिम छोर पर पानी नहीं आने के कारण बरनांव, हरिगांव, बीमवां, हरदिया, आयर, बभनियांव दावा, अरैला, शिवपुर, हेतमपुर एवं चकवा पंचायत में किसान भूखमरी की स्थिति में है । सिंचाई हेतु लगाए गए पूर्व के बोरिंग को चालू एवं नये सरकारी बोरिंग लगाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करावें ।

श्री सरोज यादव : 31 मार्च 2016 को भोजपुर जिला के कृष्णगढ़ थाना में बभनगांवॉ पावर ग्रिड के लाईन मैन द्वारा किए गए फर्जी केस की उच्चस्तरीय जॉच करायी जाय एवं लाईनमैन को बर्खास्त किया जाय ।

टर्न-20/विजय/ 01.04.16

श्री यदुवंश कुमार यादवः सत्येन्द्र नारायण सिंह महिला महाविद्यालय सुपौल में कनीय शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया है । उक्त निर्णय से महाविद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गया है तथा पठन पाठन कार्य बंद है । महिला महाविद्यालय में बंद पठन पाठन कार्य को अविलंब चालू करवाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती भागीरथी देवीः पश्चिम चंपारण जिला के प्रखंड रामनगर के नगर पचायत अंतर्गत अंबदकर चौक से सटे त्रिवेणी कैनाल के पुलिया के उत्तर पूरब मांस-मछली रोड निर्माण की मांग करती हू ताकि शहर स्वच्छता अभियान ` तहत स्वच्छ रहे और गंदगी पानी में बहकर शहर की स्वच्छता बनाए रखे ।

श्री विद्यासागर केशरीः अररिया जिलान्तर्गत रमई पंचायत के बलुआ मौजा में परमान नदी पर बनने वाला पुल का निर्माण कार्य बंद है । सौरगांव पुल नाम से जाने वाला पुल दो विधान सभा को जोड़ता है। पुल नहीं बनने से लोगों में निराशा की स्थिति उत्पन्न

हो गयी है । लोगों में रोष है । सदन के माध्यम से शीघ्र पुल बनाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्षः घ्यानाकर्षण सूचना । श्री सत्यदेव राम ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमारः महोदय, एक मिनट, पूरे राज्य में साढ़े चार लाख संविदा कर्मी बहाल हैं । और राज्य सरकार ने घोषणा किया था कि इन संविदा कर्मियों को हम स्थायी करेंगे । इसके लिए समिति बनायी गयी थी लगभग साल भर होने जा रहा है हमारा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह होगा कि जो संविदा कर्मी साढ़े चार लाख पूरे बिहार में बहाल हैं विभिन्न विभागों में उनको नियमित करने के लिए सरकार से वक्तव्य की मांग करते हैं । सरकार से वेतन भुगतान का मांग करते हैं ।

श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0 से प्राप्त घ्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (गृह विभाग) की ओर से वक्तवय ।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए सदन के वेल में आ गए)

श्री सत्यदेव रामः अध्यक्ष महोदय, बिहार पुलिस में सिपाही पद की नियुक्ति के लिए अर्हक योग्यता में उंचाई-(1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के पुरूषों एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम 165 से.मी. (2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम 162 से.मी. (3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम 160 सें.मी. (4) भारतीय मूल के गोरखा के लिए (गोरखा बटालियन में) में न्यूनतम 158 सें.मी. तथा (5) सभी वर्गो की महिला के लिए न्यूनतम 155 सें.मी. निर्धारित किया गया है । जबकि अन्य राज्यों यथा- उत्तर प्रदेश में उक्त पद हेतु अनुसूचित जाति की महिला के लिए उंचाई-152 सें.मी. तथा अनुसूचित जन जाति के लिए 147 सें.मी. है । साथ ही रेलवे सुरक्षा बल में भी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की महिला के लिए न्यूनतम उंचाई 152 सें.मी. है ।

अतः अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की महिला के लिए सिपाही पद की भर्त्ती में न्यूनतम उंचाई 150 से.मी. निर्धारित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का घ्यान आकृष्ट करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

श्री सत्यदेव रामः जिस दिन हमलोगों का सवाल आ रहा है ये लोग उठा रहे हैं । जवाब सुनबे न करेंगे तो क्या बोलेंगे ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, बिहार पुलिस में बहाली हेतु (1) अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम उंचाई 165 सें.मी. (2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम उंचाई 162 सें.मी. (3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम उंचाई 160 से.मी0 (4) भारतीय मूल के गोरखा के लिए (गोरखा बटालियन में) न्यूनतम 158 से.मी. तथा (5) सभी वर्गो की महिला के लिए न्यूनतम उंचाई 155 से.मी. निर्धारित है ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, सुनायी नहीं पड़ रहा है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: उत्तर प्रदेश में सिपाही बहाली हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के पुरूषों के लिए न्यूनतम उंचाई 168 से.मी. तथा अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उंचाई 160 से.मी. निर्धारित है जबकि महिला अभ्यर्थी के लिए सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम उंचाई 152 से.मी. तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम उंचाई 147 से.मी. निर्धारित है ।

आर0पी0एफ0 में अनारक्षित एवं ओ0बी0सी0 के महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उंचाई 157 से.मी. तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उंचाई 152 से.मी0 निर्धारित है ।

विदित है कि हाल ही में 11464 पदों पर सिपाही नियुक्ति की पक्रिया पूर्ण की गई है, जिसमें महिलाओं की कुल संख्या-4179 है । इस नियुक्ति में सभी वर्गो की महिला के लिए न्यूनतम उंचाई 155 से.मी. ही रखी गयी थी ।

महिला के लिए निर्धारित न्यूनतम उंचाई में संशोधन का प्रस्ताव नहीं है ।

अध्यक्ष: उन्होंने कहा कि कोई कि कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री सत्यदेव राम: तो महोदय अभी सिपाही भर्त्ती में बड़े पैमाने पर महिलाएं इस उंचाई के कारण छंट गई हैं और लगातार छांटी जा रही हैं । तो सरकार इस बात की घोषणा कर दे कि हम अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 150 से.मी. उंचाई निर्धारित करते हैं ।

अध्यक्ष: सरकार इसको देखेगी, बैठिये ।

श्री सत्यदेव राम: इसकी घोषणा हो जाय ।

श्री ललित कुमार यादव, स0वि0स0 से प्राप्त घ्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला क मनीगाछी प्रखंड में पी0डब्लू0डी0 पथ बघांत से लक्ष्मीपुर, सकरी बाजार श्री सदन से ब्राह्मण टोला भाया मण्डल टोला सकरी पुरानी बाजार, उजान जनता चौक से गंगौली, पी0डब्लू0डी0 पथ बघांत से आनन्द नगर तक सड़क सहित उक्त प्रखंड एवं जिला के अन्य सड़क ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत विगत तीन वर्षो से निर्माणाधीन है । इन अधूरे सड़कों की जर्जर स्थिति से आवागमन अवरूद्ध है । जो भी निर्माण कार्य किये गये हैं, उसमें गुणवत्ता का कोई घ्यान नहीं रखा गया है, साथ ही एक कार्य पूर्ण नहीं करने के बावजूद भी विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से दूसरा कार्य भी पुनः उसी संवेदक को आवंटित किया गया जो नियम संगत नहीं है ।

अतएव उक्त मामलों की जांच कराकर भ्रष्ट पदधिकारियों एवं दोषी संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं निर्माण काय शीघ्र पूरा कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य ।

(व्यवधान जारी)

श्री शैलेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षित पथ प्रश्न चार पथों की स्थिति निम्नवत् है–

1. पी0डब्लू0डी0 पथ बघांत से लक्ष्मीपुर पथ– इस पथ की लंबाई 2.1 कि0मी0 है । कार्य प्रारंभ की तिथि 30.07.14 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 29.07. 15 है। पथ में पी0सी0सी0 तथा ग्रेड थ्री तक का कार्य पूर्ण हो चुका है । 4 आर0सी0सी0 पुलिया का कार्य प्रगति में है ।

2. सकरी बाजार से श्री सदन से ब्राह्मण टोला भाया मण्डल टोला पथ–इस पथ की लंबाई 0642 कि0मी0 है । कार्य प्रारंभ की तिथि 01.07.14 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 31.12.14 है । पथ में जी0एस0डी0 का कार्य 1717 मीटर में पी0सी0सी0 कार्य पूर्ण हो चुका है ।

3. उजान जनता चौक से गंगौली पथ– इस पथ की लंबाई 1.970 कि0मी0 है । कार्य आरंभ की तिथि 11.04.15 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 10.01. 16 है । पथ में पी0सी0सी0 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा फलैंक में मिट्टी का कार्य प्रगति पर है ।

4. पी0डब्नू0डी0 पथ बघांत से आनन्द नगर पथ- इस पथ की लंबाई 1. 035 कि0मी0 है । कार्य प्रारंभ की तिथि 22.04.15 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 21. 10.15 है । पथ में पी0सी0सी0 कार्य पूर्ण हो चुका है । एक सतह फलैट सोलिंग कार्य प्रगति में है ।

क्रमशः.....

टर्न-21/राजेश/1.4.16

क्रमशः

श्री शैलेश कुमार - महोदय, पथ निर्माण कार्य विशिष्टियों के अनुरुप कराया जाता है तथा गुणवत्ता जांच प्रमाण पत्र के आधार पर ही राशि भुगतान किया जाता है। कार्य में विलंब के कारण संवेदक के विपत्र से दंड स्वरुप 10 प्रतिशत की राशि की कटौती की जाती है। समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले संवेदकों की सूची मॉगी जा रही है तथा उन्हें डेबार कर अगली निविदा में भाग लेने से वंचित करने की कार्रवाई की जायगी।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादवः- अध्यक्ष महोदय, एम0एम0जी0एस0वाई0 और एस0सी0/एस0 टी0 स्पेशल कंपोनेन्ट मद से 2013-14, 14-15 में 60 योजना महोदय स्वीकृत है, उसमें से मुश्किल से 10 सड़के ही निर्मित हो सका है, 50 सड़कें ऐसी है महोदय, जिसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है। हम माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करते हैं, मैंने माननीय मंत्री महोदय को भी दिनांक 4.3.2016 को पत्र दिया, सचिव महोदय को भी पत्र दिया, तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि माननीय मंत्री जी और विभागीय सचिव जी अपने स्तर से जांच करके इसको कार्यान्वयन करा दें और दोषी पर कार्रवाई कर दें।

श्री शैलेश कुमारः- महोदय, मुख्य अभियंता (3) से इसकी जांच करवा लेते है ।

अध्यक्षः- ठीक है।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना ।</u>

अध्यक्षः- माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री राम विचार रायः- महोदय, मैं कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 34 (3) के अन्तर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर का वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्षः- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री विजय प्रकाश:- महोदय, मैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 30 (2) के तहत् बिहार न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) नियमावली, 2016 / ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा-35(4) के तहत बिहार ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन)(संशोधन) नियमावली, 2016 / बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1966 की धारा-44 (4) के तहत बिहार बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्त)(संशोधन) नियमावली, 2016 / बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की धारा-40 (5) के तहत् बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) नियमावली, 2016 / मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 की धारा-40 (3) के तहत् बिहार मोटर परिवहन कर्मचारी (संशोधन) नियमावली, 2016 / भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकाार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-62 (4) के तहत बिहार भवन एव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 / मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा-26 (7) के तहत् बिहार मजदूरी भुगतान (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-115 (2) के तहत् बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2016 की एक-एक प्रति को सदन के पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष:- बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1966 की धारा-44 (4) के तहत् बिहार बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रति सदन के पटल पर तीस दिनों एव बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की धारा-40 (5) के तहत् बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रति सदन के पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार:- अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता विपक्ष की भूमिका का भी निर्वहन नहीं कर रहे हैं,जब विपक्ष के माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी का उर्जा विभाग पर ध्यानाकर्षण जो विपक्ष के ही सदस्य है महोदय, उनका भी ये ख्याल नहीं रखते है,ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, विपक्ष के नेता की भूमिका ये अदा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको जब मालूम हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण नहीं है तो ये अपने मेम्बर को वेल में भेज देते हैं, इसतरह से संसदीय परम्पराओं का भी ये निर्वहन ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष:- अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

अन्तराल

टर्न:22/कृष्ण/01.04.2016

अंतराल के बाद

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती हैं । गैर-सरकारी संकल्प लिये जायेंगें ।

श्री मुंद्रिका सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सूचना देनी है ।

अध्यक्ष : कहिये ।

श्री मुंद्रिका सिंह यादव : महोदय, कल ही टुनटुन ठाकुर पिता श्री सूर्यदेव ठाकुर ग्राम जफरा थाना बेलागंज जिला गया की मृत्यु ट्रैक्टर दुर्घटना में हो गयी । उनकी 16 अप्रील को शादी होनेवोली थी । वह बिल्कुल निहायत गरीब था । पटना में निजी रूप से बिजली का काम करके परिवार का भरण-पोषण करता था। वह मर गया । मैं वहां था । शाम में जहानाबाद अस्पताल में उसे लाया गया था और वहीं डिक्लेअर कर दिया गया कि मृत है। कोई सहारा नहीं है । इसलिए मैं आपके माध्यम सें सरकार से मांग करता हूं कि 5 लाख रूपया मुआवजा और उसके एक छोटे भाई को नौकरी दी जाये ।

अध्यक्ष : गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, आज संयोग से विधान मंडल के दोनो सदनों में गैर-सरकारी संकल्प का कार्य निर्धारित है । इसलिए माननीय मंत्रियों के तरफ से अनुरोध आया है कि जो माननीय मंत्री यहां उपस्थित रहेंगे, उनका पहले ले लिया जायेगा और जो अभी नहीं रहेंगे, उनका बाद में लिया जायेगा ।

गैर-सरकारी संकल्प

क्रमांक-1 श्रीमती पूनम पासवान

अध्यक्ष : सुश्री पूनम पासवान । इनका स्वास्थ्य विभाग का है । स्वास्थ्य मंत्री ने बाद में लेने के लिये अनुरोध किया है ।

क्रमांक 2. श्री राम विलास पासवान

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड में बाराहाट को नया प्रखंड बनावे । ''

श्री श्रवण कुमार : महोदय, भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड के बाराहाट को नया प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में पूर्व से विभाग को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं

हुआ है । अतएव बाराहाट प्रखंड का दर्जा दिये जाने संबंधी प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है । संप्रति पंचायत आम निर्वाचन,2016 अधिसूचित है । फलस्वरूप तत्काल प्रखंड सृजन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपना प्रस्स्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : जी हां, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से मा0स0श्री राम विलास पासवान जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>कमांक-3 श्री प्रभुनाथ प्रसाद</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास संकल्प नहीं है ।

<u>कमांक-4 श्री फैसल रहमान</u>

अध्यक्ष : कमांक 4 मा0स0 श्री फैसल रहमान, माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

<u>कमांक-5 श्रीमती सुनिता सिंह चौहान</u>

श्रीमती सुनिता सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड के सिमर चौक से कस्तुरिया गांव होते हए मिसा पिपरिया गांव तक सड़क का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय,अभिस्तावित पथ की लंबाई 3.4 कि0मी0 है उक्त पथ के मार्ग रेखन पर पड़नेवााले बसावट यथा सिमर चौक,कस्तुरिया,घोरहा एवं दस्तखा गांव को पक्की सड़क से एकल संपर्कता प्राप्त है । सिमर चौक को शिवहर-मुजफ्फरपुर आर0सी0डी0 पथ से सिमर चौक से कस्तुरिया ग्राम को मुख्यमंत्री के ग्राम्य सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथ पक्की सड़क से तथा घोरहा से दस्तखा पी0सी0सी0 सड़क से एकल संपर्कता प्राप्त है । पिपरिया गांव से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित कुशहर,गोसगर की दूरी 300 मीटर है, जो ईटकृत है । प्रश्नाधीन पथ में पड़नेवाले सभी बसावटों को एकल संपर्कता प्राप्त है ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती सुनिता चौहान : महोदय, प्रखंड तरियानी शिवहर जिलान्तर्गत सिमर चौक से कस्तुरिया गांव होते हुये मिसा पिपरिया गांव तक सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर है जिसके

कारण आवागमन में काफी दिक्कत होती है । प्रखंड तरियानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है । अत: मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि प्राथमिकता के आधार पर इस सड़क का निर्माण कराने का आदेश देने की कृपा करें ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि आप संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्रीमती सुनिता सिंह चौहान : जी अच्छा। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती सुनिता सिंह चौहान जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा तीन-तीन विभाग है । विधान परिषद् में भी हमको जवाब देना है । इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरा पहले ले लिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । सूची के क्रमांक 16 पर पथ निर्माण विभाग का श्री रामनारायण मंडल जी का है । मा0स0 श्री रामनारायण मंडल ।

<u>क्रमांक 16 श्री रामनारायण मंडल</u>

श्री राम नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका शहर में वाहनों की अत्यधिक आवाजाही से हो रहे जाम से लोगों को निजात दिलाने हेतु बांका शहर के विजयनगर और जगतपुर के बीच से स्व0योगेन्द्र सिंह के मिल के पास से चांदन सुरक्षा तटबंध होकर बांका ढाकामोड़ मुख्य सड़क तक बाईपास सड़क का निर्माण करावे ।''

महोदय, बांका की आबादी बढ़ती जा रही है और वह जिला मुख्यालय है। वाहनों की संख्या बहुत अधिक हो गयी है । आये दिन सुबह,शाम,दोपहर रोज जाम की समस्या हो रही है । इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि वहां बाईपास का निर्माण करायें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, बरबीघा,जमुई,बांकाढाका मोड,पंचवाड़ा झारखंड बोर्डर तक पथांश को एन0एच0 333 ए के रूप में अधिसूचित किया गया है इस पथ के दो लेन एक सोल्डर की चौड़ीकरण और राज्य उच्च पथ के मानक के अनुरूप लाने हेतु सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डी0पी0आर0 तैयार करने की जिम्मेवारी आई0ए0एच0ई0 को सौंपी गयी है। आई0ए0एच0ई0 द्वारा डी0पी0आर0 तैयार करने की निविदा आमंत्रित की गयी है । पथ निर्माण विभाग द्वारा बाई पास की फिजिब्लिटी स्टडी करने का अनुरोध किया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री रामनारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय,मेरा कहना कुछ और था । यह बांका शहर जो है यह विजयनगर और जगतपुर के बीच में है और हम चाहते हैं कि जो सुरक्षा तटबंध है, सिचाई विभाग का, उसके ऊपर से सड़क का निर्माण हो जाय और आगे जाकर शहर से बाहर उसको निकाले । मैं यह चाहता हूं । इसलिए मुझे लगता है कि इसका उत्तर दूसरे तरह का आ गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जैसा माननीय सदस्य कह रहे है, उस हिसाब से फिजिब्लिटी दिखवा लीजिये ।

श्री रामनारायण मंडल : आप का आश्वासन मेरे पक्ष में हैं, इसलिए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से श्री रामनारायण मंडल जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

टर्न–23/सत्येन्द्र/1–4–16

क्रमांक–20, श्री विजय कुमार विजय

श्री विजय कुमार विजय: अघ्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिला के जमालपुर रेल इंजन कारखाना के अहाते में वर्ष 1905 में स्थापित केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण संस्थान 'इरिमी' (भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान) में बंद नामांकन को पुन: प्रारम्भ करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव: महोदय,मुंगेर जिला अवस्थित जमालपुर रेल इंजन कारखाना के अहाते में स्थापित इरिमी अभियंत्रण के अन्य शाखाओं को प्रारम्भ करने तथा इसे रेलवे विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा दिनांक 7–8–15 एवं 9–9–15 को माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार से पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है जिसकी पावती भी रेल मंत्रालय को प्राप्त है। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री विजय कुमार विजय: ठीक है,वापस लेते हैं।

अघ्यक्ष: ठीक है। सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक– 34,श्री नीरज कुमार सिंह

श्री नीरज कुमार सिंह: अघ्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला अन्तर्गत छातापुर प्रखंड के ग्राम पंचायत झखारगढ़ के सिबनी घाट पर

श्री गिरधर सिंह के घर के निकट सुरसर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण जनहित में यथाशीघ्र करावे।'

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव: वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन पुल ग्रामीण कार्य विभाग के पथ पर है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सुपौल जिले में पांच विधान-सभा क्षेत्र के लिए कर्णांकित राशि 11 करोड़ 22 लाख 30 हजार रू0 मात्र था। जिला संचालन समिति, सुपौल द्वारा विधान-सभावार पुलों की अनुशंसा भेजी गयी थी छातापुर विधान-सभा का संकल्पाधीन पुल क्रमांक 3 पर अनुशंसित है। राशि की उपलब्धता के अनुसार मात्र एक पुल का चयन छातापुर विधान-सभा क्षेत्र में किया जा सका है। राशि के अभाव में प्रसांगिक पुल का चयन संभव नहीं था। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री नीरज कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे छातापुर के लिए। महोदय, ये सुरसर नदी पुरे छातापुर को बीचों बीच बांटती है और इस पुल के लिए पूरे छातापुर विधान-सभा से 14 पुल का एन0ओ0सी0 ले लिया गया था विभाग से 2014 में ही और आर0ई0ओ0 से एन0ओ0सी0 लेकर पुल निर्माण निगम से बनाने का तय हुआ था महोदय लेकिन 2 साल हो गया एन0ओ0सी0 लिये हुए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम माननीय मंत्री महोदय से चाहते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में इसको निश्चित रूप से करा दें।

अध्यक्ष: अभी तो वापस ले लीजिये।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव: इसमें मैंने आपको बतलाया है कि राशि की उपलब्धता और ऑलरेडी यह तीसरे स्थान पर है तो राशि की उपलब्धता होगी तो हो जायेगी।

श्री नीरज कुमार सिंह: महोदय, बल्र्ड बैंक से कोशी इलाके के लिए पैसा लिया गया है। बल्र्ड बैंक से कर्ज लिया गया और बल्र्ड बैंक से इतना ज्यादा कर्ज लिया गया कि सिर्फ सुपौल ही नहीं, तीनों जिला में बहुत सारा काम अभी तक हुआ है लेकिन महोदय बल्र्ड बैंक के पैसा को जहां फल्ड एफेक्टेड एरिया था वहां लगाना था लेकिन उस पैसा का दुरूपयोग कर के कहीं और भी लगाया गया। महोदय, हम चाहते हैं कि बल्र्ड बैंक के फर्स्ट फेज में नहीं हुआ,सकेंड फेज में नहीं हो पाया तो कम से कम थर्ड फेज के पैसा से निश्चित रूप से इसे करा दिया जाय।

अध्यक्ष: अभी तो वापस ले लीजिये।

श्री नीरज कुमार सिंह: माननीय मंत्री अगर आश्वासन दे रहे हैं तो मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं इसे वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष: ठीक है, सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 24, श्री प्रमोद कुमार

श्री प्रमोद कुमार: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी नगर के चांदमारी चौक रामशरण द्वार से भाया माडर्न पब्लिक स्कूल,राजेन्द्र छात्रावास,सिंधिया गुमटी पी0डब्लू0डी0 पथ,चांदमारी चौक लाल बंगला से भाया रामाकांत सिंह अधिवक्ता के घर तक जर्जर नगर परिषद के पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहित कर निर्माण करावे।'

महोदय यह पथ निर्माण विभाग के मानक के अनुसार है इसलिए मंत्री महोदय से आग्रह है कि इसे अधिग्रहण कर के पी0डब्लू0डी0 नियम के अनुसार निर्माण करा दें। मोतिहारी पुराना शहर है पहले भी काम आपका वहां हुआ है।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव: प्रश्नाधीन पथ नगर परिषद, मोतिहारी के अधीन है। यह पथ पथ निर्माण के अधीन नहीं है। पथ में वाहनों की संख्या, उपलब्ध आर0ओ0डब्लू0 एवं पथ में उपयोगिगता एवं अध्ययन के बाद समीक्षोपरांत विभाग में अधिग्रहण पर विचार किया जायेगा। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध हैं वो अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री प्रमोद कुमार: माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन के आलोक में इसे वापस लेता हूॅ।

अध्यक्ष: ठीक है,सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-44,श्री व्यासदेव प्रसाद

श्री व्यासदेव प्रसाद: महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीवान जिलान्तर्गत पथ निर्माण विभाग की सीवान-कोइनी पथ अत्यंत जर्जर अवस्था में है,का निर्माण करावे।'

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव: सीवान जिला अन्तर्गत सीवान-कोइनी पथ की कुल लम्बाई 20 कि0मी0 है। यह पथ पूर्व में ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है वर्ष 2011-12 ग्रा0का0विभाग से यह पथ पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित हुआ था। पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ में अबतक कार्य नहीं कराया गया है। यह पथ 3 कि0मी0 में कच्चा है एवं शेष पथांश भी क्षतिग्रस्त स्थिति में है। इस पथ को वर्ष 16-17 के कार्य योजना में शामिल किया जा रहा हैं। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे संकल्प को वापस ले लें।

श्री वयासदेव देव: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूॅ।

अध्यक्षः ठीक है, सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

श्री मिथिलेश तिवारीः अध्यक्ष महोदय,37 नंबर पर मेरा है वो भूलवश ग्रामीण कार्य विभाग को चला गया था हमने सिक्रेटरी साहब को आग्रह किया था उसको पथ निर्माण विभाग में करने के लिए।

क्रमांक-61,लाल बाबु प्रसाद गुप्ता

श्री लाल बाबु प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड के गोरिया हराज गांव के सामने गंडक नदी पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे।'

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः संकल्पाधीन पुल स्थल बुढ़ी गंडक नदी पर गोरिया राज गांव के सामने ग्रामीण कार्य विभाग के पथ पर है। पुल पथ निर्माण विभाग के पथ पर नहीं है। इस नदी पर इस पुल स्थल के लगभग 10 कि0मी0 अप स्ट्रीम में पथ निर्माण विभाग के मोतिहारी ढाका पथ एन0एच0-54 के पथांश पर ललबेगिया में पुल निर्मित है एवं प्रश्नाधीन पुल के लगभग 10 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम में भी इसी नदी पर मोतिहारी मधुनी घाट पथ निर्माण विभाग के पथ पर मधुबिनी घाट में पुल निर्मित है। वर्त्तमान भाग में इस स्थल पर पुल निर्माण की योजना स्वीकृत नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री लाल बाबु प्रसाद गुप्ताः महोदय, यह जो पुल नहीं रहने से मोतिहारी से गोरिया जाने के लिए 25 कि0मी0 घुमकर ललबगिया से पुल पर होकर लोग जाते हैं। हुजूर 30 गांव को फौरगो करता है इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इसको बनवाने की कृपा की जाय।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अभी कोई योजना नहीं है आगे विचार करेंगे। अभी वापस ले लीजियेगा तब न?

श्री लाल बाबु प्रसाद गुप्ताः आश्वासन दे दें तो हम विचार करेंगे।

अध्यक्षः ठीक है, सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हआ।

टर्न-24/मधुप/01.4.2016

क्रमांक-52 : श्रीमती एज्या यादव

(अनुपस्थित)

क्रमांक–75 : श्री नरेन्द्र कुमार सिंह

(अनुपस्थित)

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, क्रमांक 56 पर मेरा प्रस्ताव है । रेल पुल के लिए भारत सरकार से अनुशंसा का है । यह तो रोड से होगा ।

अध्यक्ष : यह तो आपका ग्रामीण कार्य के लिए अंकित है । पथ निर्माण मंत्री जी को अभी उस सदन में जाना है, इसलिये उनसे संबंधित पहले लिया जा रहा है ।

क्रमांक–79 : श्री नीरज कुमार

श्री नीरज कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत कुरसेला प्रखंड के कुरसेला–फारबिसगंज स्टेट हाईवे–77 के नरैहिया के नजदीक से समेली गांव होकर एन.एच.–31 पार करते हुए मधेली होकर बरारी होते हुए रौनिया होकर सेमापुर होकर कटिहार तक की ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कराकर नये सिरे से निर्माण करावे।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, कटिहार जिला अन्तर्गत संकल्प से संबंधित पथ कुरसेला–फारबिसगंज एस.एच.–77 के नरैहिया के नजदीक से समेली गांव होकर एन. एच.–31 पार करते हुए मधेली होकर बरारी होते हुए रौनिया होकर सेमापुर होते हुये कटिहार तक पथ की कुल लम्बाई 50 कि0मी0 है जिसमें से मात्र लगभग 1 कि0मी0 पथांश पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत है । शेष 49 कि0मी0 ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है । पथ में वाहनों की संख्या पथ की उपलब्धता आर0ओ0डब्लू0 एवं पथ की उपयोगिता के अध्ययन के बाद उक्त पथ को विभाग में अधिग्रहण पर विचार किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री नीरज कुमार : वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार का यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-84 : श्री राजू तिवारी

श्री राजू तिवारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिले के अरेराज अनुमंडल अनतर्गत गंडक नदी से गोविंदगंज घाट से लेकर गोपालगंज घाट तक गंडक नदी में पीपा पुल का निर्माण करावे ।"

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के अरेराज अनुमंडल अन्तर्गत गंडक नदी में गोविंदगंज घाट तक पथ निर्माण विभाग का मोतिहारी तुरकौलिया गोविंदगंज पथ निर्मित है । गंडक नदी के दूसरी ओर गोपालगंज जिला पड़ता है । गोविंदगंज घाट एवं गोपालगंज घाट के बीच गंडक नदी पर कोई पुल नहीं है एवं अनब्रीज गैप है । इस स्थान से लगभग 8 कि0मी0 डाउन-स्ट्रीम में गंडक नदी पर एन0एच0 28 में डुमरिया घाट पुल निर्मित है । इस स्थल से लगभग 25 कि0मी0 अप-स्ट्रीम में गंडक नदी पर गोपालगंज एवं बेतिया के बीच विष्णुपुर पंचायत में यादवपुर, मंगलपुर पुल का निर्माण कर यातायात हेतु चालू कर दिया गया है । वर्त्तमान में इस स्थल पर पीपा पुल निर्माण का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, आग्रह है । दो जिला के लोग हैं और माननीय मंत्री जी का मातृभूमि है । पीपा पुल से हजारो किसानों का लाभ हो जायेगा । मंत्री जी थोड़ा आश्वासन दे दें ।

अध्यक्ष : आग्रह करते हुये संकल्प वापस कर लीजिये ।

श्री राजू तिवारी : आग्रह करके वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी का यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-87 : श्री विनोद प्रसाद यादव

(अनुपस्थित)

क्रमांक-92 : डॉ0 अशोक कुमार (139)

डॉ0 अशोक कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के लिए प्रस्तावित अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना रोसड़ा अनुमंडल मुख्यालय में करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी ।

डॉ0 अशोक कुमार : महोदय, क्या हुआ ?

अध्यक्ष : अभी नहीं हैं मंत्री । बाद में आयेंगे ।

क्रमांक-111 : श्री सुदामा प्रसाद

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला अंतर्गत पीरो प्रखण्ड मुख्यालय को जाम से निजात दिलाने के लिए गाटर पुल से बचरी पुल तक नये बाइपास का निर्माण करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, आरा-सासाराम पथ एस0एच0 12 के पीरो चौक के पास वाहनों के अनावश्यक एवं अवैध ठहराव के कारण कभी-कभी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है । आरा बाइपास के कि0मी0 32 में अवस्थित गाटर पुल तथा आरा-सासाराम के 40वें कि0मी0 में अवस्थित छतरी पुल के लिए एक नये बाइपास के निर्माण में ग्रीन लैंड के अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी । साथ ही साथ, जल संसाधन विभाग से अनापत्ति की आवश्यकता भी पड़ेगी । बाइपास निर्माण करने का निर्णय यातायात घनत्व, निधि की उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता इत्यादित पहलुओं पर विचार कर निर्णय लिया जाता है । वर्त्तमान में बाइपास निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री महबूब आलम : महोदय, उदारीकरण के इस दौर में हजारो की संख्या में गाड़ियॉ ग्रामीण सड़कों पर आ गई हैं । ग्रामीण जो शहरी क्षेत्र है, कसबा क्षेत्र में जाम की समस्या है इसलिये बहुत जरूरी है । मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूँ कि इस बाइपास पर विचार करें और निर्णय लें ।

अध्यक्ष : आग्रह करके वापस कर लीजिये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-121 : डॉ0 रामानुज प्रसाद

(अनुपस्थित)

श्री जर्नादन मांझी : अध्यक्ष महोदय, क्रमांक-66 पर मेरा भी था ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

क्रमांक–133 : श्रीमती आशा देवी

(अनुपस्थित)

क्रमांक–134 : श्री श्याम बाबू प्रसाद

श्री श्याम बाबू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी प्रखण्ड अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी के सेमरा घाट पर जनहित में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, संकल्प से संबंधित पुल स्थल बूढ़ी गंडक नदी पर सेमरा घाट ग्रामीण कार्य विभाग के पथ पर अवस्थित है । इस पुल स्थल से लगभग 10 कि0मी0 अप–स्ट्रीम में इसी नदी पर कटहा घाट पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा पुल का निर्माण किया जा रहा है एवं 10 कि0मी0 डाउन–स्ट्रीम में भी इसी नदी पर भुरकुरवा घाट पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण हो चुका है । वर्त्तमान में सेमरा घाट पर पुल निर्माण की योजना स्वीकृत नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद : महोदय, मेहसी प्रखंड है जो 15 पंचायत का प्रखंड है । 10 पंचायत मुख्य जो कार्यालय है, वहाँ है और 5 पंचायत बूढ़ी गंडक के उस पार पड़ता है और लोग 40 कि0मी0 घूमकर प्रखंड कार्यालय में आते हैं, नहीं तो नाव से आते हैं। नाव बराबर डूबती है, एक बार नाव डूबी, दो लोग मर गये जिसका एफ0आई0आर0 संख्या....

अध्यक्ष : अभी तो सरकार से आग्रह करके वापस ले लीजिये ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद : पुल निर्माण का आग्रह करते हुये संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक– 135 : श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी

(अनुपस्थित)

क्रमांक– 121 : डॉ0 रामानुज प्रसाद

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलांतर्गत सोनपुर विधान सभा क्षेत्र के दिघवारा प्रखंडान्तर्गत अकिलपुर

पंचायत के अकिलपुर-दिघवारा के बीच गंगा नदी पर एक पीपा पुल का निर्माण करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, सारण जिलान्तर्गत सोनपुर विधान सभा क्षेत्र के दिघवारा प्रखंडान्तर्गत अकिलपुर दिघवारा के गंगा नदी की उपधारा में बरसात के बाद पीपा पुल लगाने हेतु पर्याप्त डेप्थ ऑफ वाटर नहीं रहता है तथा मुख्यधारा से भी सम्पर्क टूट जाता है । अतः इस स्थल पर पीपा पुल लगाना सम्भव नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

टर्न-25/आजाद/01.04.2016

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि कितना दूर में पानी रहता है, इसका भी निरीक्षण करा लिया जाय । प्राइवेट लोग लगाकर के तीन-तीन पुल वहां, एक नहीं तीन पुल बनाकर के जनता की गाढ़ी कमाई की वहां लूट होती है और पैसा वसूला जाता है । अभी हमारे जिला के कई माननीय सदस्य और मंत्री जी बतायेंगे और यह तीन जिला को जोड़ता है सारण, गोपालगंज और सिवान के लोगों को पटना आने में अगर पुल जाम हो जाता है तो काफी दिक्कत होती है । यह बहुत ही आवश्यक है, सरकार इसपर गौर फरमाये । विभाग का जो जवाब है, वह संतोषप्रद नहीं है माननीय मंत्री जी ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब तो आप वापस ले लीजिए, तब न सरकार विचार करेगी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : माननीय मंत्री जी और अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर मैं इसे वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य डॉ0 रामानुज प्रसाद का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक 133 - श्रीमती आशा देवी</u>

श्रीमती आशा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना के दानापुर अनुमण्डल के अधीन खगौल लख से मोतीचौक जमालुद्दीनचक रेलवे गुमटी तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण करावे । ''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : पटना से दानापुर अनुमण्डल के अधीन खगौल लख से मोतीचौक जमालुद्दीनचक रेलवे गुमटी तक पथ की कुल लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 है, जिसमें

ए – खगौल लख से मोतीचौक तक कुल 1 कि0मी0 की लम्बाई में पथ चौड़ीकरण का 5.5 मीटर चौड़ा किया जा चुका है ।

बी – मोतीचौक से देवीस्थान तक कुल 500मीटर लम्बाई में जमीन उपलब्ध नहीं है, जहां पर आर0ओ0डब्लू0 मात्र 3 से 4 मीटर है, जिसके कारण मात्र 3 से 3.5 मीटर तक चौड़ीकरण कार्य किया गया है ।

सी – देवीस्थान से गुमटी तक कुल लम्बाई 1.5 कि0मी0 पथांश में से 1.25 कि0मी0 पथ का चौड़ीकरण कर 5.5 मीटर किया गया है ।

2. जमालुद्दीनचक में मात्र 300मीटर पथांश में स्थानीय विरोध के कारण चौड़ीकरण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है । जिला पदाधिकारी, पटना को मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग द्वारा खगौल जमालुद्दीनचक में स्थानीय विरोध के समाधान हेतु अनुरोध किया गया है।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्रीमती आशा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि लख से मोतीचौक जमालुद्दीनचक .....

अध्यक्ष : आशा जी, इसमें पूरक प्रश्न नहीं होता है । जो कुछ कहना है, कह दीजिए और प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्रीमती आशा देवी : बता देती हूँ सर, उसमें जो मोतीचौक से देवीस्थान बता रहे हैं कि वहां जमीन उपलब्ध नहीं है, मंत्री महोदय मैं इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि वहां जमीन उपलब्ध है, वहां पर लोग अतिक्रमण किये हुए हैं, ओटा दोनों तरफ बनाये हुए हैं । वहां काम भी लगा था 2013–14 में और वहां ओटा तोड़ने के चलते काम पूरा नहीं हुआ । इसलिए इसको देखवा कर काम करा दिया जाय, क्योंकि इससे जाम हरदम लगता है ।

अध्यक्ष : देखवा लीजियेगा । अभी तो वापस ले लीजिए ।

श्रीमती आशा देवी : जी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती आशा देवी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक 87 – श्री विनोद प्रसाद यादव

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :–

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के शेरघाटी प्रखंड अन्तर्गत सगाही से बेला होते गरीबचक तक 05 कि0मी0 सड़क को पथ निर्माण विभाग अधिगृहित कर निर्माण करावे । ''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : नये पथ का अधिग्रहण कर निर्माण एवं उनके सभी पहलूओं यथा उनकी भूमि की उपलब्धता, निधि की उपलब्धता, वर्तमान ट्रैफिक डेनसिटी इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाता है । उक्त पहलूओं का अध्ययन कर इस पथ का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना है ।

गया जिला के शेरघाटी प्रखंड अन्तर्गत सगाही से बेला होते हुए गरीबचक तक 05 कि0मी0 सड़क ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है । जिसका तत्काल पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित पथ का विभाग के द्वारा मेरे अनुरोध पर भेजा गया था और उसका फिजिब्लिटी रिपोर्ट भी विभाग को प्राप्त हो चुका है । इसको पिछले वित्तीय वर्ष में ही करवाना था । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि विभाग को जो फिजिब्लिीटी रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है, उसके आलोक में उसको निर्माण कराने की कृपा करें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक 75 – श्री नरेन्द्र कुमार सिंह</u>

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :–

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला अन्तर्गत मटिहानी विधान सभा क्षेत्र में एन0एच0–31 अवस्थित खातोपुर से कोठिया, सफापुर, दरियापुर, खड़गपुर महेन्द्रपुर होते खीरमपुर स्थित पी0डब्लू0डी0 सड़क तक ग्रामीण सड़क का अधिग्रहण कर पथ निर्माण विभाग सड़क का निर्माण करोव । ''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : बेगूसराय जिलान्तर्गत प्रश्नाधीन पथ एन0एच0–31 में खातोपुर से कोठिया, सफापुर, दरियापुर, खड़गपुर महेन्द्रपुर होते हुए खीरमपुर पथ ग्रामीण कार्य के अधीन है, जिसकी लम्बाई 11 कि0मी0 है । पथ में वाहनों की संख्या, पथ में उपलब्ध आर0ओ0डब्लू0 एवं पथ की उपयोगिता के अध्ययन के बाद ही विभाग में अधिग्रहण पर विचार किया जाता है । वर्तमान में इस पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि यह पथ अति आवश्यक है । इसलिए आग्रह है कि अधिग्रहण कर इस पथ को बनाने की कृपा करेंगे और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सिंह का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक 11 - श्री सत्यदेव सिंह

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल जिला अन्तर्गत कुर्था प्रखंड परिसर में जगदेव प्रसाद के शहादत स्थल के इर्द-गिर्द चहारदिवारी निर्माण एवं स्थल का जीर्णोद्धार करावे । ''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : कुर्था प्रखंड परिसर में जगदेव प्रसाद के शहादत स्थल के चारों तरफ चहारदिवारी बना हुआ है । यह कुर्था प्रखंड परिसर में ठीक प्रखंड कार्यालय के सामने है । प्रखंड की चहारदिवारी के अलावे मूर्ति की लगभग चहारदिवारी अलग से है तथा चहारदिवारी के ऊपर ग्रील एवं दो तरफ से गेट बना हुआ है । मूर्ति भी सही सलामत है । इस प्रतिमा का अनावरण दिनांक 05.09.95 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद द्वारा किया गया है । आवश्यकतानुसार मूर्ति के रंग-रोगन की व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी से प्राथमिकता सूची अनुमोदित कराकर पूर्ण करा दिया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस ले लें ।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, शहीद स्थल के उत्तरी छोर में और यह प्रखंड का परिसर है और वह जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है । वह जो स्थल है, उसका कहीं भी चहारदिवारी नहीं है । मेरा निवेदन है कि वे बिहार के बिहार लेनीन कहे जाते थे .....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, स्थल का हर ऐंगिल से फोटो लिया गया है, ग्रील का भी फोटो है।

अध्यक्ष : सत्यदेव जी, माननीय मंत्री जी के पास सारी सूचनायें हैं, आप अपनी सूचना देकर प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सत्यदेव सिंह का प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, अगर जल संसाधन एवं योजना एवं विकास विभाग का पहले ले लिया जाता .....

अध्यक्ष : आपको भी उस सदन में जाना है ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : जी ।

अध्यक्ष : क्रम से भी आपका ही पहला है, उसके बाद आपका ले लिया जायेगा ।

क्रमांक 3 - श्री प्रभुनाथ प्रसाद

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत अगियाँव प्रखंड के अगिआँव बड़ी नहर में चार स्पेन पुल का निर्माण करावे।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आरा मुख्य नहर से 63.90 कि0मी0 पर अवस्थित पुल जो गड़हनी अगियाँव पथ के छठे कि0मी0 पर है, वह वर्ष 2015 के अक्टूबर में क्षतिग्रस्त हो गया । आवागमन चालू रखने के लिए स्थल पर डाईभरसन का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा किया गया है तथा क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर पुल निर्माण के संबंध में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने एवं कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई पथ निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ प्रसाद का प्रस्ताव वापस हुआ।

टर्न-26/अंजनी/दि0 1.4.16

क्रमांक-18-श्री रमेश ऋषिदेव

श्री रमेश ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखंड प्रखंड के रानीपट्टी वितरनी नहर में गोपालपुर महादलित टोला के शिव मंदिर के उत्तर सुशील यादव के खेत के निकट नहर में पुल एवं स्लुईस गेट का निर्माण करावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमाप्रखंड प्रखंड के अधीन प्रश्नगत स्थल पूर्वी कोशी मुख्य नहर के आर0डी0-60.206 निस्तारित रानी पट्टी वितरणी के आर0डी0 149.80 पर अवस्थित है । निर्धारित मापदंडों के अनुसार 150 से 1000 क्यूसेक क्षमता वाली नहरों पर अवस्थित कुल पुलों के बीच की औसत दूरी 1.60 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए । जबकि प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में पूर्व से ही आर0डी0 148.60 एवं 151.60 पर एकपथीय सड़क पुल निर्मित है, जिनके बीच की दूरी 0.92 किलोमीटर है, अत:

प्रश्नगत स्थल पर सड़क पुल अनुमान्य नहीं है । प्रश्नगत स्थल के निकट जल जमाव की निकासी हेतु सर्वेक्षणोपरांत तकनीकी रूप से संभावना पाये जाने पर सीधे निर्माण हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर को पत्रांक 307 दिनांक 14 माच,2016 से निर्देशित किया गया है, अतः अनुरोध है कि माननीय सदस्य संकल्प वापस लने की कृपा करें ।

श्री रमेश ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, दो बस्ती है गोपालपुर और मछहा, बारिस के समय में दोनों बस्ती में काफी पानी जमता है, पानी निकलने का कहीं कोई साधन नहीं है, इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी कम-से-कम पानी निकासी के लिए वहां एक पुल बना दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आग्रह करके वापस लिजिए ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : मैने तो कहा है कि वह ऑलरेडी चीफ इंजीनियर को इन्स्ट्रक्सन दिया जा चुका है ।

अध्यक्ष : अब वापस ले लिजिए ।

श्री रमेश ऋषिदेव : ठीक है, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री रमेश ऋषिदेव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-21-श्री अशोक कुमार सिंह</u>

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला में एन0एच0-02 के नीचे कर्मनासा मुख्य नहर विस्तार एवं कुलहड़िया माईनर का पक्कीकरण(लाइनिंग) करावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिलान्तर्गत संकल्पाधीन कर्मनासा मुख्य नहर विस्तार की कुल लम्बाई 10.73 किलोमीटर है तथा रूपांकित जलश्राव 198 क्यूसेक है एवं कुलहड़िया वितरणी जो कर्मनासा मुख्य नहर विस्तार के दायें तटबंध से निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 9.96 किलोमीटर तथा रूपांकित जलश्राव 43 क्यूसेक है । वर्ष 2013-14 में कर्मनासा सिंचाई प्रणाली के जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत संकल्पाधीन दोनों नहरों का जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ कर वर्ष 2015-16 में पूर्ण कराया गया है । करीब 2015 में सिचाई के दौरान कर्मनासा मुख्य नहर के रूपांकित जलश्राव 315 क्यूसेक के विरूद्ध 300 क्यूसेक जलश्राव प्रवाहित कर मुख्य नहर विस्तार एवं कुलहड़िया वितरणी के अंतिम छोर तक सिंचाई की

सुविधा उपलब्ध कराकर निर्धारित खरीफ लक्ष्य 10,114 हेक्टेयर के विरूद्ध 9980 हेक्टेयर उपलब्धि हासिल किया गया है । उक्त वर्णित परिस्थिति में संकल्पाधीन नहरों के पक्कीकरण लाईनिंग की कोई आवश्यता प्रतीत नहीं होती है, अत माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि जीटी रोड से नीचे कर्मनासा नहर का पानी कभी नहीं आता है । जी0टी0 राड से नीचे और नहर के अंतिम छार तक पंप का ही पानी आता है । महोदय, पंप का महंगा पानी सप्ताह में एक बार नहर निश्चित रूप से टूटती है तो मैं अनुरोध करूँगा कि इसका लाईनीकरण कराया जाय, पंप के नहर का लाईनिंग होना भी चाहिए ।

अध्यक्ष : अनुरोध कर दीजिए, प्रस्ताव अपना वापस ले लिजिए ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि

अध्यक्ष : अनुरोध तो कर चुके, प्रस्ताव वापस ले लिजिए ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, मैं सरकार से आश्वासन के लिए खड़ा हूँ । महोदय, आप भी जानते हैं, माननीय मंत्री जी भी जानते हैं, वे गये हुए हैं, इलाके के एक-एक लोगों की मांग है, महोदय उस पंप का पानी महंगा होता है, जमुनिया पंप कैनाल का लाईनिंग है उसी नहर में महोदय..

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव के बारे मे अपनी राय दीजिए । वापस लेना चाहते हैं या हम इसपर वोट कराकर करायें ।

श्री अशोक कुमार सिंह : नहीं महोदय, मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-25-श्री राजकुमार साह</u>

श्री राजकुमार साह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत लालगंज ब्लॉक के पंचायत राज-बसंता जहानाबाद में स्थित गंडक नदी के किनारे बसंता घाट पर ईंट का सीढ़ी निर्माण करावे ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, वैशाली जिलान्तर्गत लालगंज ब्लॉक के पंचायत राज-बसंता जहानाबाद में बसंता घाट स्थल गंडक नदी पर अवस्थित तिरहुत तटबंध के 67-68 किलोमीटर के बीच अवस्थित है । इस स्थल पर तटबंध से नदी की धारा 800 मीटर दूर बहती है तथा तटबंध से लगभग 375 मीटर की दूरी पर

नदी भाग में कई छोटे-छोटे मंदिर एवं चबूतरा बना हुआ है, जहां आवागमन हेतु तटबंध को तोड़ते हुए कच्ची सड़क निर्मित है । बाढ़ अवधि में अधिकतम जलश्राव की स्थिति में नदी का पानी कच्ची सड़क तक पहुंच जाता है एवं जलश्राव कम होने पर नदी की धार मंदिर से दूर चली जाती है । इस स्थल पर ईंट का सीढ़ी निर्माण कराने की कोई उपयोगिता नहीं है, वैसे भी जल संसाधन विभाग द्वारा तटबंधों पर सीढ़ी निर्माण का कार्य नहीं किया जाता है, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजकुमार साह : महोदय, तटबंध से तो अन्दर है, वहां पर सीढ़ी नहीं रहने के वजह से नदी साईड को इतना काट देता है, उसमें बहुत सारे लोग डूब गये हैं, मर गये हैं और हाजीपुर में मैंने स्वयं देखा है कि घाट के किनारे हैं ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजकुमार जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जल संसाधन विभाग घाट पर सीढ़ी नहीं बनाता है, इसलिए आप वापस ले लीजिए ।

श्री राजकुमार साह : महोदय, आश्वासन तो दिया जाय कि वहां पर फिर से सर्वेक्षण कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : जल संसाधन विभाग नहीं करता है, इसलिए इस विभाग से तो वापस ले लीजिए।

श्री राजकुमार साह : ठीक है, मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री राजकुमार साह जी का संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रमांक-60-श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ज्ञानू</u>

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ज्ञानू : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बाढ़ विधाान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुशंसित योजना के बकाया एक करोड़ की राशि तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 की दो करोड़ की राशि यथाशीघ्र उपलब्ध करावे ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, बिहार विधान सभा की अधिसूचना संख्या-1695 दिनांक 1.11.2014 से तत्कालीन माननीय सदस्य विधान सभा क्षेत्र बाढ़, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ज्ञानू की 15वीं विधान सभा की सदस्यता रद्द कर दी गयी । सदस्यता रद्दीकरण से संबंधित वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में अग्रतर कार्रवाई संभव है, अतः अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ज्ञानू : महोदय, यह जो फंड है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना कोई विधायक का फंड नहीं होता है और यह फंड लैप्स नहीं करता है । मेरी जगह पर

दूसरा विधायक कोई जीतकर आते तो उन्हीं की अनुशंसा होती इसमें । ऐसे भी हम पांच महीने से विधायक इस वित्तीय वर्ष में हैं, इस वित्तीय वर्ष का भी पैसा नहीं गया, नवम्बर में तो चुनाव हो गया था, उस समय से हम विधायक हैं तो 2015-16 का भी पैसा नहीं गया । जहां तक माननीय उच्चतम न्यायालय की बात है, उच्चतम न्यायालय ने तो स्टे कर दिया है हाई कोर्ट के और्डर को, वह विधायक माना है, केवल वित्तीय लाभ हम नहीं ले सकेंगे, सैलरी, टी0ए0, डी0ए0 नहीं ले सकेंगें, इसपर केवल रोक है । लास्ट जो सत्र था उसमें भी हम भाग लिये थे, इसलिए इसपर हम आश्वासन चाहते हैं माननीय मंत्री जी का, इसमें बतलायें कि क्या है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो कहा है कि उच्चतम न्यायालय से कोई निदेश प्राप्त होने पर ही सरकार...

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ज्ञानू : महोदय, मैं तो पांच महीना से एम0एल0ए0 हूँ । उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की आवश्यकता कहां है । क्या हम वर्ष 2015-16 में पांच महीने से एम0एल0ए0 नहीं हैं ? वर्ष 2015-16 में एक करोड़ रूपया वाला हो सकता है, वह भी नहीं होना चाहिए, यह फंड लैप्स नहीं करता है । जो एम0एल0ए0 होंगे, वही अनुशंसा करेंगे । हमारे जगह पर जो जीतकर आते, वही तीन करोड़ की अनुशंसा करते । यह सर्वथा उचित नहीं है, मंत्री इसपर जबाब दें ।

टर्न-27/शंभु/01.04.16

अध्यक्ष : इसपर सबलोग खड़े मत होइये । सीधी बात है, गैर सरकारी संकल्प का तरीका है, माननीय सदस्य मूव करते हैं अपनी बात कहते हैं, सरकार अपनी बात कहती है, बात वहीं खत्म हो जाती है। मैं अगर कुछ कहने का मौका देता हूँ, इसका मतलब सारे लोग बोलने लगें किसी प्रस्ताव पर तो यह उचित नहीं है, उसके निष्पादन का तरीका है।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ज्ञानू : मैंने जो कहा तथ्य उसपर माननीय मंत्री जवाब तो दे दें ।

अध्यक्ष : सरकार को अब लगता है कुछ नहीं कहना है, इसलिए अब आप ही को फैसला करना है, वापस लीजिएगा कि हम इसको वोट के लिए रखें ?

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ज्ञानू : वोट के लिए करवा दीजिए, हम वापस नहीं लेंगे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बाढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुशंसित योजना के बकाया एक करोड़ की राशि तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 की दो करोड़ की राशि यथाशीघ्र उपलब्ध करावे।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

क्रमांक-53-श्री विनय बिहारी

श्री विनय बिहारी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लौरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लखनी चंवर से सिकरहना (गंडक) नदी तक पानी निकासी के लिए पक्का नाला का निर्माण करावे।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, लौरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लखनी चंवर से सिकरहना नदी तक पानी निकासी के लिए नाला के निर्माण से संबंधित विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकिनगर को निदेश दिया गया है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री विनय बिहारी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष : सभा की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-63-श्री दिनकर राम

श्री दिनकर राम : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत मेजरगंज प्रखण्ड के बहेड़ा ग्राम पंचायत के उत्तर में मनुषमारा नदी पर स्लूइस गेट का निर्माण करावे।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बैकपास के माध्यम से सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पांच ग्रामों बहेड़ा, चांदी, रजवाड़ा, सोनवर्षा, चिकना एवं भीम मलकेश्वर में अधवारा समूह की नदियों पर सर्वेक्षण कर सिंचाई योजना की संभाव्यता पर प्रतिवेदन तैयार करवाया गया है। विभाग द्वारा केन्द्रीय जल आयोग, नयी दिल्ली को बैकपास से डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने हेतु निधि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा

अब तक इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। विभाग द्वारा इस योजना का डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया गया है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री दिनकर राम : आप जब जल संसाधन मंत्री थे सर, आश्वासन है मेरे पास कॉपी है। मैं अपने हित में नहीं जिला हित में मांग करता हूँ।

अध्यक्ष : जो आश्वासन दिया था अभी भी माननीय मंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं आपको इसलिए वापस कर लीजिए।

श्री दिनकर राम : जी, इसलिए आपका निदेश, सभा की सहमति मैं वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष : सभा की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक–71–श्रीमती रंजु गीता

श्रीमती रंजु गीता : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के बंगराहा ग्राम में अधवारा नदी पर सिंचाई युक्त बराज सह उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल पहुंच पथ के साथ निर्माण की स्वीकृति प्रदान करावे।''

श्री राजीव रंजन सिंह : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के बंगराहा ग्राम में अधवारा नदी पर सिंचाई युक्त बराज सह उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल पहुंच पथ के निर्माण हेतु सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया गया है। अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्रीमती रंजु गीता : महोदय, माननीय मंत्री महोदय के सकारात्मक आश्वासन के आलोक में मैं अपना गैर सरकारी संकल्प वापस लेती हूँ।

अध्यक्ष : सभा की सहमति से माननीय सदस्या का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक–72–श्री रत्नेश सादा

श्री रत्नेश सादा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत पतरघट प्रखंड के गोलमा पश्चिमी पंचायत के पिपराघाट में 6 स्पेन पुल का निर्माण करावे।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, नदियों में पुल निर्माण का कार्य जल संसाधन विभाग की परिधि में नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

अध्यक्ष : यही तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जल संसाधन को गया कैसे पुल बनाने का काम?

श्री रत्नेश सादा : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष : सभा की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-76-श्री गिरिधारी यादव

श्री गिरिधारी यादव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिलान्तर्गत फुलीडुमर प्रखंड के जल संसाधन विभाग, बीजीखोरवा प्रमंडल के जीर्णशीर्ण कानी मोह बियर का जीर्णोद्धार करावे।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, बांका जिलान्तर्गत बेलहर प्रखंड में सहरोई नदी पर निर्मित कानी मोह बियर जल संसाधन विभाग की संरचना नहीं है। इसका निर्माण जिला प्रशासन द्वारा कराया गया था इसलिए इसका जीर्णोद्धार जल संसाधन विभाग के कार्यक्षेत्र की परिधि में नहीं आता है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री गिरिधारी यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह है लेकिन इर्रीगेशन के कैनाल पर ही बना हुआ है । हम माननीय मंत्री से चाहेंगे कि इसपर विचार करें और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष : सभा की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-94-श्री सुरेश कुमार शर्मा

(इस अवसर पर माननीय सदस्य द्वारा संकल्प नहीं पढ़ा गया।)

क्रमांक-98-श्री रामचन्द्र सहनी

श्री रामचन्द्र सहनी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण के प्रखंड रामगढ़वा के भेड़िहारी ग्राम से आगे त्रिवेणी, गुदरा, लालपरसा होते हुए सिकरहना पुल तक कैसरे हिन्द तटबंध के अधूरे हिस्से का निर्माण करावे।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, सिकरहना बूढ़ी गंडक एवं उसके सहायक नदियों पर तटबंधों के निर्माण उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु परामर्शी मल्टी मेनटेक इन्टरनेशनल प्रा0लि0 अहमदाबाद के माध्यम से विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम किया जा रहा है जिसमें प्रश्नागत तटबंध के अधूरे हिस्से का निर्माण कार्य भी शामिल है। विस्तृत योजना प्रतिवेदन दिनांक 15 अप्रील, 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री रामचन्द्र सहनी : आश्वासन के आलोक में मैं वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष : सभा की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-118-श्री सुवाष सिंह</u>

श्री सुवाष सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में विधायक मद से पूर्व में निर्मित सामुदायिक भवनों एवं घाटों का संधारण भी सम्मिलित करे।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में जीर्णोद्धार की योजनाएं सम्मिलित नहीं हैं । वर्तमान में योजनाओं के जीर्णोद्धार को मार्गदर्शिका में समावेशित करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री सुवाष सिंह : महोदय, यह पूरे बिहार का मामला है, सारे विधायक लोग सब जगह घाटों का निर्माण कराये बड़े पैमाने पर, सामुदायिक भवन बनाये, लेकिन उसके रख-रखाव के अभाव में और मार्गदर्शिका में नहीं रहने के कारण इसकी जगह पर हमलोगों को नया बनवाना पड़ेगा । इसलिए सरकार से आग्रह है कि पूरे बिहार की समस्या है यह, सरकार से आग्रह है कि इसको मार्गदर्शिका में शामिल किया जाय।

अध्यक्ष : ठीक है, ये आपका सरकार से आग्रह है।

टर्न-28/अशोक/01.04.2016

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय एक बात हम साफ कर देना चाहते हैं, रिपेयरिंग का जो काम है वह मार्ग-दर्शिका में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रिपेयरिंग का काम नॉन-प्लान से होता है, गैर-योजना से होता है और जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास की योजना है वह योजना मद का पैसा है, तो योजना मद में गैर योजना मद को शामिल नहीं किया जा सकता है ।

श्री सुबाष सिंह : तो महोदय, मैं जानना चाहता हूँ, उसका रख-रखाव . . . . .

अध्यक्ष : यह पूरक का नहीं न है, अभी तो वापस लेने का है ।

श्री सुबोध सिंह : ये तो ऐसे ही नष्ट हो जायेगा ।

अध्यक्ष : आपने वापस लिया ? सुबाष जी, आपने वापस लिया ?

श्री सुबाष सिंह : वापस क्यों लेंगे, वह बहुत महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष : वापस इसलिए लीजिएगा, यदि वापस नहीं लीजिएगा तो हमें वोट कराना पड़ेगा ।

श्री सुबाष सिंह : वोट करा दिया जाय । यह सबकी समस्या है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में विधायक मद से पूर्व में निर्मित सामुदायिक भवनों एवं घाटों का संधारण भी सम्मिलित करे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक -120 श्रीमती गायत्री देवी

श्रीमती गायत्री देवी : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत दलकावा ग्राम से होकर बहने वाली झीम नदी पर पक्का बांध का निर्माण लघु जल संसाधन विभाग से करावे ।"

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत दलकावा ग्राम से होकर झीम नदी नहीं अपितु गोगा नदी बहती है, वर्तमान में गोगा नदी पर पक्का बांध बनाने की कोई योजना नहीं है । जहां तक झीम नदी का प्रश्न है, इसके बायें एवं दायें तटबन्ध का निर्माण कार्य प्रगति में है, उक्त योजना में तटबन्ध शीर्ष पर ब्रीक कार्य सन्नहित है। अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, झीम नदी के किनारे रहने वाले किसानों को पानी रहते हुये, पानी का उपयोग नहीं कर पाते हैं । सरकार भी क्या किसानों के हित में काम करना चाहती है ? अतः मंत्री महोदय जी से आग्रह करती हूँ कि दलकावा में बांध-सह-बियर का निर्माण कराने के लिए आश्वासन दे ।

अध्यक्षः ठीक । मंत्री जी ने तो कहा कि योजना नहीं है, आश्वासन भी देने की स्थिति में नहीं है, अब फैसला आपको लेना है । क्या आप वापस लेती हैं ? वापस ले लिये ठीक है।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : आप सीधे कहिये वापस लिया कि नहीं लिया ? सदन की सहमति से वापस हुआ ।

क्रमांक-129 श्री मनोज कुमार

श्री मनोज कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड के सोनहथु पंचायत के सोनहथु गॉव में नेगी नाला पर बांध बनाकर उसके पानी को आहर के माध्यम से पटना नहर के देवहरा उपवितरणी लाइन में किराने की व्यवस्था करे । "

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड के सोनहथु पंचायत से होकर नेगी नाला नहीं बल्कि बेगी नाला गुजराता है, यह नाला सदीपुर डेहरी से निस्सृत होकर लगभग 15 कि.मी. की दूरी तय करते हुये बंगाली बीघा गांव के पास पुनपुन नदी में मिल जाता है, पटना मुख्य नहर के यू.एस. के सिंचित क्षेत्रों के निगार का पानी एवं बरसात का पानी इस नाला से प्रवाहित होते हुये पुनपुन नदी में मिल जाता है । इस नाला पर बांध बनाकर इसके पानी को आहर पैन के माध्यम से उपवितरणी में नहीं गिराया जा सकता है क्योंकि पटना मुख्य नहर के 23 वें कि.मी. से निस्सृत माली वितरणी के माध्यम से इस देवहरा वितरणी लम्बाई 9.82 कि.मी. में इसके रूपांकित 70 क्यूसेक जलस्राव प्रवाहित किया जाता है एवं रूपांकित जल स्राव से अधिक जल स्राव नहर में प्रवाहित करना तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मनोज कुमार : महोदय, ये बेहतर जल प्रबन्धन लेकर कोई दूसरा भी साधन हो सकता है समुचित पानी का प्रबन्धन करने का, तो इस आग्रह के साथ कि सरकार इस बारे में सोचे जल प्रबन्धन के मामले में और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक 132-श्री विजय कुमार सिन्हा

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के बड़हिया-मोकामा टाल के लिए जल प्रबंधन कार्यो को जनहित में शीघ्र पूरा करावे "

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, मोकामा टाल क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल लगभग एक लाख छः हजार हैक्टेयर है, के समेकित विकास हेतु, मोकामा टाल क्षेत्र जल

निस्सरण एवं जल के बेहतर आर्थिक उपयोग का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार कराने का कार्य विभाग द्वारा परामर्शी सिगमा रिजॉर्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड से कराया जा रहा है, योजना प्रतिवेदन का ड्राफ्ट डी.पी.आर. परामर्शी द्वारा तैयार कर विभाग को समर्पित किया गया है, विभागीय समीक्षा के पश्चात् परामर्शी को योजना के कुछ बिन्दुओं पर यथा प्रस्तावित अशोक धाम से गोनामा बांध के टाल सीमा तक विस्तारीकरण करना, प्रस्तावित डायभर्सन योजनाओं को आह0र-पइन से जोड़े हुये समेकित करना, पइन की सफाई तथा इसके लाईनिंग की सम्भाव्यता का अध्ययन करना तथा सर्वेक्षण कार्य में इनोडेशन मैप का सैटेलाईट इमेजरी से सत्यापित करने का कार्य प्रतिवेदन में सन्नहित करने हेतु निदेशित किया गया है । योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है, विभाग प्रयासरत है कि योजना का डी.पी.आर. तैयार कराकर इसका कार्यान्वयन शीघ्र प्रारम्भ कराया जाय । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, यह गैर सरकारी संकल्प पिछले सत्र में भी पूरे पांच वर्ष उठाते रहे, और आश्वासन मिलता रहा इस बार थोड़ी प्रगति हुई है कि एजेंसी और कंसल्टेंसी शुरू हुआ लेकिन महोदय, तत्काल में पटोहरा से कोयलापाड़ी, सकरी पैइन उड़ाही कर हजारों एकड़ जमीन को लाभ मिल सकता है, यह तो तत्काल में कर दें चूंकि यह एक लम्बी योजना है तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि कम से कम पइन उड़ाही का कार्य इधर तो प्रारम्भ कर दें ताकि अगले वित्तीय वर्ष में हजारों किसान लाभन्वित हो सके ।

अध्यक्ष : ठीक । यह तो आपकी बात हुई, यह तो आपने अपना आग्रह किया, सरकार ने जो आपसे आग्रह किया उस पर क्या फैसला हुआ ?

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, प्रगति तो फिर दो महीने, तीन महीने के बाद . . . . .

अध्यक्ष : आपने तो कहा है कि प्रगति हुई है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : हां प्रगति तो, तीन महीने के बाद फिर सेशन आयेगा और फिर गैर सरकारी संकल्प आवेगा महोदय । तब हम उस आलोक में वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-4 श्री फैसल रहमान</u>

श्री फैसल रहमान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिले के ढाका से मोहब्बतपुर टोला पोखर होते हुए हनुमान नगर तक सड़क का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार : अभिस्तावित स्थल पथ की लम्बाई 2.5 कि.मी. है जो आंशिक ईंटीकृत है। इस पथ के एक छोर पर ढाका है, जो आर.सी.डी. के पथ पर है तथा दूसरे छोर पर हनुमान नगर है जो आपकी सरकार आपके द्वार योजना से निर्मित पथ पर अवस्थित है । मोहब्बतपुर टोला ढाका-वेलवाघाट पी.डब्लू.डी. पथ पर स्थित है तथा इसके अलावे कोई भी बसावट इस रेखांकन पर नहीं होने के कारण इसे किसी भी कोर नेट वर्क में सम्मिलित नहीं किया जा सका है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री फैसल रहमान : महोदय, उस रोड के नहीं रहने के कारण लगभग दर्जनों गांव प्रभावित होता है और बरसात के दिनों में आने-जाने में बहुत कठिनाइयां होती है। मेरा मंत्री जी से आग्रह होगा कि इस पर विचार करेंगे ।

मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-6 श्री जितेन्द्र कुमार राय

श्री जितेन्द्र कुमार राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के मढ़ौरा प्रखंड अंतर्गत मढ़ौरा कृषि फार्म की 13 एकड़ भूमि में कृषि महाविद्यालय की स्थापना करावे ।"

.

टर्न-29-01-03-2016-ज्योति

श्री राम विचार राय : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के मढ़ौरा प्रखंड के कृषि फार्म में कृषि महाविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-7 - श्री शकील अहमद खाँ

श्री शकील अहमद खाँ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत बलिया बलौन को प्रखंड का दर्जा दिलावे ।''

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बलिया बलौन को प्रखंड का दर्जा दिए जाने के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है । प्राप्त अनुरोध के आलोक में कटिहार जिलान्तर्गत बलिया बलौन को प्रखण्ड का दर्जा दिए जाने के संबंध में विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, कटिहार को निर्देश दिया गया है । सम्प्रति पंचायत आम निर्वाचन 16 अधिसूचित है, तत्काल प्रखंड सृजन की कार्रवाई नहीं की जा रही है । अतएव, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लने की कृपा करें ।

श्री शकील अहमद खॉ : प्रस्ताव जरुर वापस लेंगें लेकिन मैं सदन में चार बिन्दु बताना चाहता हूँ कि कटिहार जिला में खास तौर पर कटिहार जिला बैकवर्ड रीजन में आता है । दूसरा एम0एस0डी0पी0 के अंतर्गत 7 जिला है उसमें बैकवर्ड मायनरिटी यह जिला आता है । तीसरा बिन्दु है कि सवा लाख की आबादी के बीच में महानंदा पुल है और मैं अपील करता हूँ कि इसके लिए प्रयास किया जाय । धन्यवाद । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से वापस हुआ ।

क्रमॉक-8- श्री अरुण कुमार सिन्हा

श्री अरुण कुमार सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना में प्रेमचंद रंगशाला से अगमकुआँ तक सैदपुर नाला को पाटकर इस पर सड़क निर्माण करावे।''

महोदय, सैदपुर नाला के दोनों ओर घनी आबादी है, इसलिए आशियाना नगर नाला के तर्ज पर सैदपुर नाला को ढक कर सड़क बनायी जाय इससे जहॉ एक तरफ उस घनी आबादी को दुर्गन्ध एवं प्रदूषित वातावरण से निजात मिलेगी वहीं दूसरी तरफ सगुना मोड़ से इन्कम टैक्स से आगे डाक बंगला चौराहा तक और नाला रोड मोड़ से पटना सिटी तक नया मार्ग मिलेगा जो अशोक राज पथ -बारी पथ से आगे तक के जाम से मुक्त करेगा अतः राजधानी को प्रदूषण के असर में कमी आयेगी एवं ट्रैफिक जाम से निवारण हेतु महत्वपूर्ण कदम होगा, अतः मेरा अनुरोध होगा और संभवतः सरकार ने इसको गंभीरता से लिया भी है इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे निवेदन को स्वीकार किया जाय ।

श्री महेश्वर हजारी : वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित सैदपुर नाला को पाट कर सड़क बनाने के लिए डी0पी0आर0 बनाने हेतु बुडको को निर्देशित किया गया है । बुडको के पत्रांक 3586 दिनॉक 14-12-2015 द्वारा डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु परामर्शी मे0

रुद्राभिषेक इन्टरप्राईजेज प्रा0लि0 का चयन किया गया है । एकरारनामा के अनुसार परामर्शी को दिनॉक 13-06-16 तक डी0पी0आर0 समर्पित कर देना है । परामर्शी द्वारा उक्त कार्य के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । इसका अनुमोदन किया जा चुका है । परामर्शी द्वारा डी0पी0आर0 का फिजिब्लिटी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है । डी0पी0आर0 प्राप्त होने के उपरांत निधि की उपलब्धता के आलोक में योजना की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री अरुण कुमार सिन्हा : सरकार को, इस ओर और गंभीर होने का निवेदन करते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से वापस हुआ ।

<u>क्रमॉक -9- श्री अनिल कुमार यादव</u>

श्री अनिल कुमार यादव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत एन0एच0 -57 से भॅगहा वितरणी पर दरगाहीगंज होते हुए कन्हैली तक सड़क का निर्माण करावे । ''

(इस अवसर पर श्री हरि नारायण सिंह ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ बगहा वितरणी के बांध पर अवस्थित है जो जल संसाधन विभाग से संबंधित है । उक्त पथ पर अवस्थित बसावट दरगाहीगंज एवं कन्हैली को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । उक्त कारणों से अभिस्तावित पथ राज कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है उक्त पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अनिल कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, कहना चाहूँगा कि मैं तो संकल्प वापस लेता हूँ लेकिन दरगाहीगंज जो गांव है उसको कोई दूसरी सड़क उपलब्ध नहीं है वो केवल बगहा वितरणी के बगल में है , बहुत घनी आबादी है मेरा आग्रह होगा कि फिर से सर्वे कराकर उसपर निर्माण कराने के बारे में विचार करें ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमॉक–10– श्री विद्या सागर सिंह निषाद

श्री विद्या सागर सिंह निषाद : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अंतर्गत ग्राम + पंचायत –हरपुरभिण्डी में मध्य विद्यालय से श्री विन्देश्वर बैठा के घर तक पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 7 सौ मीटर है जो ईटकृत है । पथ राज्य कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमॉक 11 पर अंकित पथ टी–4 से यादवटोला का पथांश है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार निर्माण कराया जा सकेगा अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विद्या सागर सिंह निषाद : प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से वापस हुआ ।

क्रमॉक –12– श्री सी0एन0गुप्ता

डा0 सी0एन0गुप्ता : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह छपरा (सारण) शहर को यातायात जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु घाघरा एवं गंगा के किनारे 14.0 कि0मी0 लम्बी इनई–बड़ा तेलपा रोड का इनई से महराजगंज तक चौड़ीकरण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित प्रश्न दो पथों से संबंधित है । एक महराजगंज से बड़ा तेलपा ग्राम तक पथ – इस पथ की लम्बाई 8.5 कि0मी0 है । जिसमें 6.5 कि0मी0 पूर्व से निर्मित पथ है एवं शेष दो कि0मी0 कच्ची पथ है । यह पथ किसी भी राज कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । नंबर –2– बड़ा तेलपा से इनई ग्राम तक पथ – इस पथ की लम्बाई 5.5 कि0मी0 है जो पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

डा0 सी0एन0गुप्ता : जो कार्य अधूरा है उसके पूरा करने के बारे में आग्रह के साथ मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमॉक -13- श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जनहित एवं प्रशासनिक हित में प्रखंड गोरेयाकोठी में से एक नये प्रखण्ड का गठन करे । ''

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, सिवान जिला अन्तर्गत गोरेयाकोठी में से एक नया प्रखंड का दर्जा दिए जाने के संबंध में विभाग को कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, अतएव गोरैयाकोठी में से एक नया प्रखंड का दर्जा दिये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है । सम्प्रति पंचायत आम निर्वाचन, 2016 अधिसूचित है फलस्वरुप तत्काल प्रखण्ड सृजन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिह) : मा0 सदस्य क्या अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, सिवान जिला के अन्तर्गत प्रखंड गोरेयाकोठी है और 22 पंचायत है । 15 कि0मी0 की दूरी पर मुख्यालय से पंचायत है । लोगों को आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है । साथ ही प्रशासन को भी जाने में दिक्कत होती है । अगर एक्सीडेट हो गया, आपदा कोई हो गया तो जनता कों 15 कि0मी0 आने में परेशानी उठानी पड़ती है और प्रशासन को भी जाने में दिक्कत होती है । सरकार की नीयत है कि 7 पंचायत पर एक प्रखण्ड का गठन किया जायेगा ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह): अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : जी जी, वापस ले रहे हैं - सरकार जनता के हित में वचनबद्ध है, तो जनता के हित में नये प्रखण्ड का गठन होना चाहिए । मैं यह प्रस्ताव देता हूँ और सरकार इसपर विचार करे । सरकार का विचार शिरोधार्य है , मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमॉक-14-श्री सुरेन्द्र कुमार

श्री सुरेन्द्र कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औराई प्रखंड अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय अवस्थित रामजीवट उच्च विद्यालय को मॉडल हाई स्कूल में परिवर्तित करे । ''

टर्न–30/विजय/01.04.16

श्री श्रवण कुमार: सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रत्येक प्रखंड में मॉडल विद्यालय की स्थापना की योजना बंद कर दी गई है। राज्य योजना अंतर्गत प्रखंडवार मॉडल स्कूल स्थापना की कोई योजना नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुरेन्द्र कुमार: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–15 – श्री नारायण प्रसाद

श्री नारायण प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा इलाका नौतन एवं बैरिया प्रखंड मुख्यालय के बीच में उच्च शिक्षा के विकास हेतु महाविद्यालय की स्थापना करावे।"

श्री श्रवण कुमार: सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के तहत राज्य के उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय स्थापित/संचालित नहीं है । इस नीति के तहत पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश 543 दिनांक 30.08.2013 द्वारा दी जा चुकी है । पश्चिम चंपारण जिले के नौतन एवं बैरिया प्रखंड मुख्यालय के बीच में महाविद्यालय स्थापना का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नारायण प्रसाद: सभापति महोदय, आज राज्यों की आबादी बढ़ रही है, जिलों की आबादी बढ़ रही है, प्रखंडों की बढ़ रही है । आज जिला पश्चिमी चंपारण में मात्र तीन कॉलेज हैं और उसमें एडमिशन लड़कों का नहीं हो रहा है । लड़के लोगों की इच्छा है कि हम पढ़ाई को आगे करें और सरकार की नीति भी है शिक्षा नीति । तो हम चाहते हैं कि जिस अनुपात में बच्चों की इच्छा जागृत हो रही है पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है एडमिशन कॉलेजों में नहीं मिल रहा है । उस स्थिति में दो प्रखंडों के बीच में एक महाविद्यालय बनना अनिवार्य है, जब राज्य शिक्षित होगा तो

देश शिक्षित होगा । तब शिक्षा की बात हम करेंगे इसलिए मेरा निवेदन होगा मंत्री महोदय से ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): मा0 सदस्य आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री नारायण प्रसाद: आश्वासन दे दें मैं प्रस्ताव वापस करता हूं ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-17 - श्री लक्ष्मेश्वर राय

श्री लक्ष्मेश्वर राय: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत खुटौना प्रखंड के एम0एन0एन0पी0 योजना के तहत बन रही एकहत्था से फुलकाही तक जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क के अधूरे कार्य को पूर्ण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार: महोदय, अभिस्तावित पथ की कुल लंबाई 9.48 कि0मी0 है जो एम0एन0पी0 योजना अंतर्गत निर्माणाधीन है । पथ की 6.3 कि0मी0 में कालीकरण एवं सी0सी0 पेमेंट का कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष पथ का काम प्रगति में है जिसे मई,16 तक पूर्ण करा लिया जाएगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय: महोदय, उस पर जांच भी सड़क किया जाय जो बना है लगता है बहुत अधूरा के साथ था । उसका गुणवत्ता भी कम है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 20 -श्री विजय कुमार खेमका

श्री विजय कुमार खेमका: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती कि वह पूर्णिया जिला अंतर्गत निम्न पंचायतों कवईया, लालगंज, हरदा, सहरा, मजरा, सतकोडिरिया, रहुआ, गंगेली और गोवासी को मिलाकर प्रखंड का दर्जा प्रदान करे ।"

श्री श्रवण कुमार: सभापति महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत कवईया, लालगंज, हरदा, सहरा, मजरा, सतकोडिरिया, रहुआ, गंगेली और गोवासी प्रखंड को दर्जा दिये जाने के संबंध में पूर्व से विभाग को प्रस्ताव अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । आपसे प्राप्त संकल्प अनुरोध के आलोक में पूर्णिया जिला अंतर्गत कवईया, लालगंज, हरदा, सहरा, मजरा, सतकोडिरिया, रहुआ, गंगेली और गोवासी पंचायत को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के

संबंध में प्रखंड सृजन संबंधी विहित परिपत्र में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को निदेश दिया गया है । प्रखंड सृजन से संबंधित मामले के संदर्भ में संबंधित जिला पदाधिकारी से पूर्व प्रतिवदेन मंतव्य प्राप्त होने पर प्रस्ताव सचिवों की समितियों के समीक्षार्थ रखी जाती है । इससे प्राप्त अनुशंसा प्राप्त प्रस्ताव को मंत्रियों के सम्मुख विचारार्थ रखा जाता है तत्पश्चात् मंत्रियों के समूह द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की जाती है । संप्रत्ति पंचायत आम निर्वाचन 2016 अधिसूचित है परंतु तत्काल प्रखंड सृजन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विजय कुमार खेमका: सभापति महोदय, पूर्णिया जिला के अंतर्गत इस्ट ब्लॉक में 14 पंचायत है और के0 नगर में 18 पंचायत है और उसका केन्द्र हरदा पंचायत पड़ता है। आबादी काफी बढ़ गई है और लोगों को तीन पंचायत और छ: पंचायत दोनों जगह जाने में काफी कठिनाई होती है । और काफी पुराने समय से यह मांग की जा रही है वहां की जनता के माध्यम से कि हरदा को पंचायत बनाया जाय । मैं सदन में आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं वैसे भी मंत्री जी नये सदस्यों को निराश नहीं करते हैं । मुझे विश्वास है कि मुझे भी निराश नहीं करेंगे । आग्रह करूंगा कि हरदा को पंचायत बनाने से वहां की जन समस्या दूर होगी । मंत्री जी हरदा को प्रखंड बनाना है और आपसे कोई निराश नहीं हुआ है मुझे आशा है कि निराश नहीं होंगे । औरा सदन के माध्यम से मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-22 -श्री अरूण कुमार (192-संदेश)</u>

श्री अरूण कुमार: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुरी भाषा को राज्य की तीसरी राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करे । "

सभापति (श्री हरि ना0 सिंह): माननीय मंत्री ।

श्री अरूण कुमार: आप अवगत हैं महोदय कि राज्य में हिन्दी और उर्दू को प्रथम एवं द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है । राज्य के भोजपुरी भाषियों की संख्या सबसे अधिक है ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): जवाब तो होने दीजिये ।

श्री अरूण कुमार: परंतु यह उपेक्षित है जबकि यह केवल बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में, विदेश में भी, मॉरिशस में बोली जाती है ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः बैठेंगे वे तब न ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): बैठ जाइये आप।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय, भोजपुरी भाषा के विकास विस्तार के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन भोजपुरी अकादमी कार्यरत है । जिनके अधीन भोजपुरी भाषा के विकास से संबंधित सभी कार्य किये जाते हैं । भोजपुरी अकादमी भोजपुरी भाषा के विकास के लिए कटिबद्ध है । वह बखूबी अपना कार्य कर रही है । भोजपुरी भाषा के साथ साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रीय भाषायें जैसे मगही, मैथली, बज्जिका एवं अंगिका आदि भी बोली जाती है । अतएव भोजपुरी भाषा के साथ साथ इन क्षेत्रीय भाषाओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा । क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर भाषाई प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । अतः भोजपुरी भाषा को राजभाषा की मान्यता प्राप्त नहीं है । इसलिए भोजपुरी भाषा को तीसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने में कठिनाई है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संकल्प को वापस लें ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): क्या माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं?

श्री अरूण कुमारः जब भाषा लागू नहीं है इसीलिये जब शपथ लेना था तो सब लोग अपनी अपनी भाषा में बोले लेकिन हम भोजपुरी नहीं बोल सके । हम अनुरोध करेंगे कि भोजपुरी भाषा को लागू किया जाय । हम संकल्प वापस लेते हैं ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से मा0 सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-31/राजेश/1.4.16

सभापतिः- क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री अरुण कुमारः- वापस तो लेबे करब लेकिन हम माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करब कि भोजपुरी भाषा के लागू करल जाय, हम वापस ले लेलही।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह):- सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक-23, श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ।</u>

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहः- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड के तोल मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कराये।"

श्री श्रवण कुमार:- सभापति महोदय, विभागीय संकल्प संख्या- 1021 दिनांक 5.7.2013 में माध्यमिक विद्यालय से विभिन्न पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। उक्त संकल्प में निहित प्रावधानों में जिला पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के उपरान्त प्रश्नगत विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने पर विचार किया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह:- ठीक है, पोजिटिव है लेकिन सभापति महोदय, पूर्व में श्री पी0के0शाही मंत्री थे,उन्होंने कहा था कि जमीन उपलब्ध करा दीजिये, मैं उत्क्रमित कर दूंगा, तो जमीन तो मैंने उपलब्ध करा दिया, इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ कि ये कम से कम इस काम को करा दें।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह):- सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-26, श्री मुजाहिद आलम ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-27, श्री तारकिशोर प्रसाद ।

श्री तारकिशोर प्रसाद:- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वोत्तर बिहार का महत्वपूर्ण शहर कटिहार स्थित हवाई अड्डा मैदान को विकसित कर हवाई सेवा प्रारंभ करें।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव:- महोदय, राज्य अवस्थित कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार हवाई अड्डा मैदान यूं तो लंबाई में काफी छोटा है तथा यहाँ से वाणिज्यिक सेवा का संचालन संभव नहीं है। इस हवाई अड्डा की भूमि को सरकार अतिक्रमण से बचाव के लिए चहारदीवारी कार्य निर्माण हेतु 2015-16 में 254.96 लाख रुपये की स्वीकृति ज्ञापांक-485 दिनांक 9.3.16 के द्वारा प्रदान करते हुए इस राशि को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना को उपलब्ध करा दी गयी है। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस ले लें।

श्री तारकिशोर प्रसाद:- महोदय, चहारदीवारी निर्माण के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और आगे हेलीपैड और छोटी जहाज को उतरने की व्यवस्था कर देते, इस प्रत्याशा में मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह):- सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-28, श्रीमती रेखा देवी ।

श्रीमती रेखा देवी:- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला में धनरुआ प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-वीर में दरधा नदी पर पुल का निर्माण करावें।''

श्री शैलेश कुमार:- महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्थापित पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत केन्द्रीय एजेंसी एन0पी0सी0सी0 द्वारा निर्मित बी0टी0-1 से ननौरी पथ में दरधा नदी में अवस्थित है,जिसकी चौड़ाई 70 मीटर है,पुल स्तर के अप स्टीम में 2. 50 किलोमीटर पर तथा डाउन स्टीम में 5 किलोमीटर की दूरी पर दरधा नदी पर पूर्व से ही पुल अवस्थित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 15-16 के मीसिंग ब्रीज के प्रपोजल में यह क्रमांक 6 पर शामिल है। पुल का परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर ग्रामीण विकास मंत्रालय ,भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसका निर्माण किया जा सकेगा। अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्रीमती रेखा देवी:- महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह):- सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती रेखा देवी जी का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-29, श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता:- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कुढ़नी विधान सभा क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र के 14 पंचायतों को मिलाकर मनियारी को अलग प्रखंड का दर्जा प्रदान करें।''

श्री श्रवण कुमार:- सभापति महोदय, मुजफ़्फरपुर जिलान्तर्गत मनियारी को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में श्री मनोज कुमार,स0वि0स0 से पूर्व में विभाग को प्रस्ताव अनुरोध का प्राप्त हुआ है। प्राप्त अनुरोध के आलोक में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मनियारी को

प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में प्रखंड सृजन संबंधी परिपत्र अद्यतन 16 कॉलम में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया गया है, जो अब तक प्रतीक्षारत है। प्रखंड सृजन से संबंधित मामले के संदर्भ में संबंधित जिला पदाधिकारी से पूर्ण प्रतिवेदन मंतव्य प्राप्त होने पर प्रस्ताव को सचिवों के समिति के समक्ष समीक्षार्थ रखी जाती है,समिति से प्राप्त अनुशंसित प्रस्ताव को मंत्रियों के समूहों के विचारार्थ रखा जाता है। तत्पश्चात् मंत्रियों के समूह द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। सम्प्रति पंचायत चुनाव 2016 अधिसूचित है,फलस्वरुप तत्काल प्रखंड सृजन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री केदार प्रसाद गुप्ताः- हुजूर, मुजफ्फरपुर जिला का जो कुढ़नी विधान सभा है,वह 39 पंचायत का एक प्रखंड है,जिसके वजह से जब सरकार के जनपयोगी जितना भी कार्य वह पूर्वी क्षेत्र वह मनियारी साईट का पूर्वी क्षेत्र है,वहाँ तक लोगों को नहीं पहुंच पाता है, हरिशंकर मनियारी से तुर्की प्रखंड अभी वर्तमान में है सर, वह 20 कि0मी0 है,सरकाकर के पास पहले भी मुजफ्फरपुर जिला के उप समाहर्ता प्रभारी जिला विकास प्रशाखा के पत्रांक-213 दिनांक 3.3.15 को प्रस्ताव आया है सर, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि बिहार के विकास के जो निश्चय है,उसमें कुढ़नी की जनता को क्यों सरकार विकास से वंचित रखना चाहती है,अगर सरकार कुढ़नी का विकास चाहती है तो पूर्वी क्षेत्र के 14 पंयायत मोहम्मदपुर मोबारक,चैनपुर वाजिद,अमरख,जमरुआ हरिशंकर मनियारी, मानमनियारी चितरौली, रतरौली, सोनवर्षा,बख्तियारपुर परिहार,शाहपुर मिर्चा पकाई,रघुनाथपुर,मधुवन, किनारु को मिलाकर एक अलग प्रखंड बनाने का जिसकी आबादी एक लाख, 76 हजार 489 है सर, जनहित में हम चाहेंगे माननीय मंत्री जी बिहार के बहुत ही चर्चित मंत्री है और बहुत काम करते हैं जैसा कि हम जानते हैं, हम आशा करते हैं कि माननीय मंत्री जी जितना जल्दी हो, लोकहित में,जनहित में मनियारी को प्रखंड बनावें, माननीय मंत्री जी के आश्वासन के साथ मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह):- सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी का संकल्प वापस हुआ।

टर्न–32/कृष्ण/01.04.2016

क्रमांक 30 श्री नरेन्द्र नारायण यादव

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मधेपुरा अन्तर्गत उदाकिशुनगंज के अधीन जिला संचालन समिति,मधेपुरा एवं राज्य संचालन समिति द्वारा पारित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खाड़ा को शीघ्र चालू करावे ''

श्री आलोक कुमार मेहता : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संप्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खाड़ा आंगनबाड़ी केन्द्र में संचालित है । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्ण रूप से संचालित करने के लिये भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश समाहर्त्ता,मधेपुरा को दिया गया है । भूमि एवं भवन निर्माण हेहतु राशि उपलब्ध होने पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्ण रूप से चालू करा दिया जायेगा ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : सभापति महोदय, इस अतिरिक्त स्वा0उपकेन्द्र के लिए ग्रामीणों ने लगभग 4 एकड़ जमीन महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करा दिया है ओर वहां से पी0एच0सी0 की दूरी 18 कि0मी0 और खगड़िया जिला और सहरसा जिला के सीमा पर अवस्थित है और वहां के लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में अविलंब वहां पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वा0केन्द्रचालू कराया जाय ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा अभिस्तावित इस विषय को दिखवाता हूं और जल्द से जल्द इसके निर्माण को देखता हूं ! साथ ही माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय मंत्री के आश्वासन के आलोक में मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): सदन की सहमति से मा0स0श्री नरेन्द्र नारायण यादव जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 31 डा0 सुनील कुमार

डा0 सुनील कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''वह नालन्दा जिला के बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित छज्जू महल्ला, मनीबाबा अखाड़ा एवं शोहन कुआं स्थित श्मशान घाट की घेराबंदी करावे।''

श्री महेश्वर हजारी : महोदय, यह गृह विभाग में स्थानान्तरित हुआ है ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): यह स्थानान्तरित हुआ ।

डा0 सुनील कुमार : किस तिथि को आयेगा ? इसको 4 तारीख को करा दिया जाय ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): ठीक है । 4 तारीख को करा दिया जाय।

क्रमांक 32 श्रीमती समता देवी

श्रीमती समता देवी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखंड के ग्राम लाडू के सामने फल्गू नदी में पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल पर फल्गु नदी की चौड़ाई लगभग 400 मीटर है । इस स्थल के दोनों ओर ग्रामीण कार्य विभाग की कोई सड़क निर्मित नहीं है । फलत:अभिस्तावित पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्रीमती समता देवी : मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): सदन की सहमति से मा0स0श्रीमती समता देवी जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 33 श्री यदुवंश कुमार यादव

श्री यदुवंश कुमार यादव : सभापति महोदय, मैं अभिस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करता हूं कि वह सुपौल और सहरसा जिला के दोनों कोशी तटबंध के अंदर अवस्थित भू-राजस्व गांवों की जमीनों का सर्वे दफा 106 में लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करावे ।''

डा0 मदन मोहन झा : सभापति महोदय, इस संबंध में सूचित करना है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम,1885 की धारा 106 के अन्तर्गत सर्वे एवं सेट्लमेंट की कार्रवाई के दौरान आपत्तियों के निष्पादन की व्यवस्था थी । परन्तु 2011 में बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम,2011 के प्रवृत्त होने के कारण बिहार काश्तकारी अधि0 1885 के अन्तर्गत सर्वे एवं सेट्लमेंट के प्रावधान अप्रभावी हो गये । सरकार के अभिज्ञानमें यह तथ्य आया कि उक्त अधिनियम की धाारा 106 आदि के बहुत से मामले अभी भी निष्पादन के लिये लंबित चले आ रहे हैं । जबकि नये सिरे से पुन: सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया गया है । फलत: लंबित मामले के

निष्पादन हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोवस्त अधि0, 2011 में आवश्यक प्रावधान करने हेतु नियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें।

श्री यदुवंश कुमार यादव : सभापति महोदय, कोसी की धारा परिवर्त्तनशील है । जहां सर्वे के समय गांव था आज वहां नदी है और जहां नदी थी, आज वहां गांव बसा हुआ है और खेती हो रही है । जहां नदी थी, वह रैयती जमीन का नक्शा नदी बनाकर खाता बिहार सरकार के नाम से खुल गया, जिसका लगान 1990 तक लिया गया और जब वह जमीन नदी से ऊपर आयी तो रैयतों ने दफा 106 में ससमय आवेदन दिया । अचानक बीच में दफा 106 में कार्रवाई बंद कर दी गयी और अब सरकार उस जमीन को बिहार सरकार अपनी जमीन मान करके गैर रैयतों के साथ बंदोवस्त करती है, बिना राजस्व, बिना उसका कीमत लिये अधिग्रहण करने का काम करती है और किसान बीच में मारा जा रहा है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जबतक सर्वे का कार्य पूरा न हो जाये या दफा 106 की कार्यवाही पूरी न हो रैयतों की जमीन को सरकार द्वारा अवैध ढंग से बंदोवस्त न किया जाय और अगर सरकार द्वारा ली जाय तो जो पुराना सर्वे का जमीन का कागजात है, उसके आधार पर ले करके उसके राजस्व या उसके कीम की अदायगी की जाय ।

डा0 मदन मोहन झा : महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैंने यह स्वीकार किया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोवस्त अधि0, 2011 के प्रवृत्त हो जाने के कारण उस नियम में कुछ त्रुटि रह गया, उसमें संशोधन करवा रहे हैं । माननीय सदस्य का कहना सही है । लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अभी अपना संकल्प वापस ले लें । निश्चित रूप से मैं विचार करूंगा उनकी जो मांग है ।

श्री यदुवंश कुमार यादव: माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): सदन की सहमति से श्री यदुवंश कुमार यादव जी का संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक 35 श्री चन्द्रसेन प्रसाद</u>

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के एकंगरसराय प्रखंड अंतर्गत बिहार-एकंगरसराय में पचमुहमा से ग्राम

हासेपुर पथ का नामकरण स्व0 रामस्वरूप प्रसाद मा0 पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक के नाम पर करे । ''

श्री शैलेश कुमार : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ का नामाकरण स्व0रामस्वरूप प्रसाद माननीय पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक नामाकरण करने का प्रस्ताव दिया गया है । इस संबंध में स्पष्ट करना है कि किसी भी महापुरूष के नाम पर किसी भी पथ का नामाकरण ग्रामीण काार्य विभाग द्वारा नहीं किया जाता है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : वापस तो लेना ही है । कहना चाहते हैं कि अगर कही से किया जा सकता है तो इसको कराया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह):: सदन की सहमति से श्री चन्द्रसेन प्रसाद जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 36 श्री दिनेश चन्द्र यादव

श्री दिनेश चन्द्र यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला के दो प्रखंड ब नमा इटहरी एवं सलखुआ को जोड़ने वाली सड़क रामधाारी चौक,बनमा से हथरा (पी0एम0जी0एस0वाई0सड़क) तक 02 कि0मी0 सड़क का निर्माण (नाला पर पुल सहित) करावे ।''

सभापति जी, यह मात्र 2 कि0मी0 ग्रामीण सड़क है और इसका निर्माण इसीलिये नहीं हुआकि एक तरफ पथ निर्माण विभाग की सड़क बनी हुई है और दूसरी तरफ स्टेट हाईवे है। इसी होकर लोग प्रखंड मुख्यालय जाते हैं इसी हो कर लोग अनुमंडल मुख्यालय जाते हैं और इसी होकर लोग रेलवे स्टेशन पुपरिया जाते हैं । इसीलिये यह काफी महत्वपूर्ण है । इसलिए इस सड़क की महत्ता और उपयोगिता को देखते हुये इस 2 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराने की कृपा करें ।

श्री शैलेश कुमार : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ कच्ची है । उक्त पथ के दोनों छोर पर बसावट बनमा एवं हथरा को संपर्कता प्राप्त है । उक्त पथ के बीच में कोई बसावट नहीं है । उक्त कारणो से उक्त पथ कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । प्रश्नाधीन पथ एवं पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : सभापति महोदय, हमने पहले ही कहा कि पथ काफी महत्वपूर्ण है और प्रश्न यह भी है कि पथ कोर नेटवर्क में नहीं है । क्या यह दूसरे राज्य का सड़क है ? इसी राज्य के शासक को उस रोड का निर्माण कराना है। तो उसको थोडा रिलैक्स करके क्योंकि उसी सडक से लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं,प्रखड एवं अनुमंडल मुख्यालय जाते हैं । तो इतना तो होना चाहिए कि उस सड़क का निर्माण करा दें, मात्र 2 कि0मी0 है । हम आपसे आग्रह करते हैं कि उसका निर्माण करवा दें ।

श्री शैलेश कुमार : हम दिखवा लेंगे ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): सदन की सहमति से श्री दिनेश चन्द्र यादव जी का संकल्प वापस हुआ।

टर्न-33/सत्येन्द्र/1-4-16

क्रमांक-37,श्री मिथिलेश तिवारी

श्री मिथिलेश तिवारी: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अन्तर्गत सलेमपुर घाट से गंडक नदी पर गोविन्दगंज-अरेराज (पूर्वी चम्पारण)को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करावे।'

श्री शैलेश कुमार: महोदय,अभिस्तावित स्थल पर 3000 मीटर लंबे स्पेन के पुल की आवश्यकता है। गंडक नदी से दक्षिण तट पर सलेमपुर घाट है तथा उत्तरी तरफ गोबिन्दगंज घाट है। अरेराज से गोबिन्दगंज जाने वाली पथ पथ निर्माण विभाग का है तथा एस0एच0 101 से सलेमपुर घाट तक जाने वाली पथ ग्रामीण कार्य विभाग का है। वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री मिथिलेश तिवारी: सभापति महोदय,मैंने पहले भी अनुरोध किया था। यह प्रश्न जो है सचिवालय की गलती से चला गया है ग्रामीण कार्य विभाग को लेकिन माननीय मंत्री जी सरकार के तरफ से जवाब दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चूंकि मेरे हाथ में पत्र है नितिन गडकरी साहब का मैंने वहां भी लिखा था और

केन्द्रीय मंत्री का पत्र मेरे नाम से आया हुआ है उन्होंने अग्रिम कार्य के लिए अपने विभाग को निर्देशित किया है और चूंकि दोनों तरफ पहले से और बहुत पौराणिक काल से सड़क है और आज भी वहां बक्सर से लोग सालों भर जल लेकर के जाते हैं और अरेराज में सोमेश्वर नाथ महादेव को चढ़ाते हैं। झारखंड में देवघर के बाद अगर सबसे बड़ा कोई पौराणिक स्थल है तो वह है और महादेव जी का जो मंदिर है जहां सालों भर लोग जाते हैं और उसी घाट से लोग जाते हैं जहां पीपा पुल के लिए गोबिन्दगंज के माननीय विधायक जी ने इस बात को उठाया था वो पुल बनाना बहुत आवश्यक है महोदय। केन्द्र सरकार भी इसके लिए सकारात्मक है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर के उस पुल का निर्माण कराये। जहां आवश्यकता होगी हमलोग भी उसमें पुरा ताकत लगायेंगे लेकिन पुल का निर्माण हो। मैं राज्य सरकार द्वारा वहां पुल बनाने की प्रत्याशा में अपना प्रस्ताव संकल्प लेता हूॅ।

सभापति(हरि नारायण सिंह)सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-38,श्री जिवेश कुमार

श्री जिवेश कुमार: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के जाले एवं सिंहवारा प्रखंड अन्तर्गत बंद पड़े स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को यथाशीघ्र चालू करावे।'

श्री आलोक कुमार मेहता: सभापति महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिले के जाले एवं सिंहवारा प्रखंड के बंद पड़े 7 उपकेन्द्रों को शीघ्र चालू करने हेतु सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है। इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस ले लें।

श्री जिवेश कुमार: आश्वासन के आलोक में मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूॅ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह)सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-39,श्री संजय कुमार सिंह

श्री संजय कुमार सिंह: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला अन्तर्गत विक्रमगंज नगर पंचायत के तेन्दुनी बार्ड नं0-05 में विक्रमगंज-डुमरांव मुख्य मार्ग पर उपलब्ध खाली पड़े सरकारी जमीन पर बस स्टैंड का निर्माण करावे।'

श्री महेश्वर हजारी: महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित सरकारी जमीन दो विभाग यथा पथ निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के क्षेत्रान्तर्गत आंशिक रूप से पड़ता है। दोनों विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् डी0पी0आर0 तैयार कराया जायेगा। डी0पी0आर0 प्राप्त होने के पश्चात् निधि की उपलब्धता के आलोक में बस स्टैंड निर्माण की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री संजय कुमार सिंह: मैं वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री श्रवण कुमार: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक बैठक की अवधि विस्तारित की जाय।'

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) प्रश्न यह है कि

'आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक बैठक की अवधि विस्तारित की जाय।'

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

<u>क्रमांक-40,श्री अशोक कुमार चौधरी</u>

श्री अशोक कुमार चौधरी: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह आर्थिक जनगणना में छुटे हुए बी0पी0एल0 परिवारों को आर्थिक जनगणना में सम्मिलित करने की व्यवस्था करावें।'

श्री श्रवण कुमार: सभापति महोदय,ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के सर्वेक्षण का कार्य कराया गया जो वर्ष 2015 में पूर्ण हो चुका है। इस जनगणना की सूची में छुटे हुए व्यक्ति अथवा परिवारों के नाम जोड़ने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। विभागीय पत्रांक संख्या 18719 दिनांक 23-5-14 एवं पत्रांक संख्या 245 सी0 दिनांक 5-8-14 द्वारा आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के डाटा बेस पूर्ण रूप से अद्यतन करने की प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से पत्राचार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वैसे पात्र परिवारों को जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित नहीं है वो सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु अंतरिम व्यवस्था के तहत अच्छादन के संबंध में विभागीय पत्रांक संख्या 190639 दिनांक 2-7-14 द्वारा सभी जिलों को

पूरक बी0पी0एल0 सूची में नाम जोड़ने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य सरकार इसके लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री अशोक कुमार चौधरीः प्रस्ताव को मैं वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-41,श्री जितेन्द्र कुमार

श्री जितेन्द्र कुमारः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के कतरी सराय प्रखंड के मैरा जर्जर छिलका का पुनर्निर्माण करावे।'

श्री आलोक कुमार मेहताः सभापति महोदय, नालंदा जिला के कतरी सराय प्रखंड के मैरा छिलका का सर्वेक्षण कराया जायेगा । सर्वेक्षणोपरांत तकनीकी दृष्टिकोण से योजना संभाव्य पाये जाने पर बजट उपलब्धता के आधार पर प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री जितेन्द्र कुमारः सभापति महोदय,इस छिलका से हजारों एकड़ भूमि सिंचित होती थी और जीर्णशीर्ण होने के कारण अभी सिंचाई बाधित है और 15वीं विधान-सभा में भी सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था तो किसान के हित में प्राथमिकता के तौर पर इस वित्तीय वर्ष में करने की कृपा करना चाहेंगे यही हमारा आग्रह है। मैं मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह)सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

टर्न-34/मधुप/01.4.2016

क्रमांक-42 : श्री नितिन नवीन

श्री नितिन नवीन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह केन्द्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप विकलांग, विधवा, हिमोफीलिया एवं थेलेसीमिया रोग से ग्रस्त राज्यकर्मियों का पदस्थापन उनकी इच्छानुसार किये जाने का प्रावधान करे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक 881 दिनांक 03.6.2009 की कंडिका 4.2.ग में कर्मचारी के स्वयं गम्भीर रूप से अस्वस्थ होने

के आधार पर इच्छानुसार पदस्थापना हेतु अभ्यावेदन समर्पित करने का प्रावधान है । इस प्रावधान के अंतर्गत विकलांग, हिमोफीलिया एवं थेलेसीमिया रोग से ग्रसित कर्मियों के इच्छानुसार पदस्थापन पर विचार किया जाता है । विधवा कर्मचारी के संबंध में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री नितिन नवीन : मैं अपना वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-43 : श्री ललन पासवान

श्री ललन पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड के गुप्ताधाम पर्यटन स्थल को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित कर राजकीय गुप्ताधाम महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष करावे ।''

श्रीमती अनिता देवी : महोदय, पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है । गुप्ताधाम महोत्सव के आयोजन हेतु जिलाधिकारी, कैमूर से प्रतिवेदन की माँग की जा रही है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अगले वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता को देखते हुये गुप्ताधाम महोत्सव का आयोजन कराने का विचार किया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री ललन पासवान : कैमूर नहीं, चेनारी गुप्ताधाम रोहतास में पड़ता है - एक संशोधन । रोहतास में पड़ता है, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने स्वीकार किया, रोहतास को जोड़ दिया ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री ललन पासवान : प्रस्ताव वापस ले लिये ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-45 : श्री संजय सरावगी

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा, पटना एवं भागलपुर राजकीय नेत्रहीन विद्यालय एवं दरभंगा राजकीय मूकबधिर विद्यालय को +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करे ।''

श्री अशोक चौधरी : समाज कल्याण विभाग को स्थांतरित है ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, इसका या तो आज जवाब करा दिया जाय या फिर 4 तारीख पर रख दिया जाय ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : 4 तारीख को ।

<u>क्रमांक-48 : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह</u>

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्र्गत सरियतपुर ग्राम में चीनी उद्योग की स्थापना हेतु एस0आई0पी0पी0, पटना द्वारा 26.10.2007 को मंजूरी दी गयी तथा राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी, का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करावे ।''

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ग्राम सरियतपुर प्रखंड चकिया में 8000 टी0सी0डी0 क्षमता की नई चीनी मिल एवं उसके साथ 26 एम0डब्लू0 का सह विद्युत इकाई तथा 120 के0एल0पी0डी0 की डिस्टलरी लगाने की परियोजना हेतु मे0 कमलापुर सुगर रिफाइनरी लिमिटेड, केलकता को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के द्वारा दिनांक 26.10.2007 को स्वीकृति प्रदान की गई थी । राज्य सरकार के द्वारा निजी सहकारिता सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी मिल लगाने हेतु चीनी मिल गन्ना आधारित उद्योग लगाने हेतु चीनी एवं गन्ना प्रोत्साहन नीति, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत सुविधाएँ दी जाती हैं । यह सभी सुविधाएँ प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत चीनी मिलों को अनुमान्य है । विभागीय पत्र संख्या 501 दिनांक 13.5.2005 के द्वारा मे0 कमलापुर सुगर रिफाइनरी लिमिटेड, कोलकता को चीनी मिल स्थापित करने हेतु क्रय किये जाने वाले 176 एकड़ भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्राधिकार पत्र जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं जिला सब रजिस्ट्रार, मोतिहारी को दिया गया था । जहाँ तक चीनी मिल का निर्माण कराने का शीघ्र प्रश्न है, इसमें राज्य सरकार की भूमिका प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत सुविधा मुहैया कराने तक है एवं मिल का निर्माण कार्य निवेशक को करना है । इसमें राज्य सरकार की कोई अन्य भूमिका नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, दो मिनट । राज्य सरकार ने जो एग्रीमेंट किया कमलापुर सुगर फैक्टरी के मालिक के साथ, उसमें कहा कि तीन साल में इनको चीनी मिल बनाना है। 2007 में यह प्रस्ताव की स्वीकृति उन्होंने दे दी, राज्य मंत्रिपरिषद् ने भी उसकी स्वीकृति दे दी । इनका कहना है कि 176 एकड़ जमीन किसानों ने दिया, सस्ते दर

पर किसानों ने जमीन दे दिया । आठ साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उस चीनी मिल लगाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई । मैं जानता हूँ कि प्रस्ताव वापस लेना पड़ेगा, माननीय मंत्री जी आश्वासन इतना तो करें कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, जो किसान सस्ते में जमीन दे दिया चीनी मिल लगाने के लिए, आज तक चीनी मिल लगाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपका विभाग तीन सात का एग्रीमेंट किया था कि तीन साल में इनको चीनी मिल लगा देना है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई । मैं प्रस्ताव वापस कर लूँगा लेकिन आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, जरा आश्वासन तो दे दीजिये ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद : आप बुलायें तो ! सरकार तो चीनी मिल लगाने के लिए बैठी है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सरकार बैठी है महोदय, तो किसान ने भी जमीन दे दिया । आपने जाकर उसका शिलान्यास भी कर दिया, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उस समय केन्द्रीय मंत्री थे, माननीय शरद पवार जी, सबलोग जाकर उसका शिलान्यास भी कर दिये, सरकार भी आपकी है, आपने एग्रीमेंट भी किया है तो जरा आप उसको प्रेरित तो करिये, प्रेशर तो करिये कि चीनी मिल लगावे नहीं तो किसान का जमीन वापस करे, नहीं तो किसान की जमीन का पुनः मुआवजा दिलवाइये ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : ठीक है, देख लेंगे । वापस आप ले लें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : कुछ आश्वासन दे देते माननीय मंत्री जी ! हम प्रस्ताव वापस लेंगे लेकिन आश्वासन दे दीजिये ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद : निवेशक को खबर किया जायेगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रमांक-49 : श्रीमती कविता सिंह</u>

श्रीमती कविता सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीवान जिले के दरौंदा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिसवन प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज का स्थापना करावे ।''

श्री अशोक चौधरी : महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार की वर्त्तमान नीति के तहत सिर्फ अनुमंडलों में सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने की योजना है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं हैं । सीवान जिले के

दरौंधा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिसवन प्रखंड में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : क्या माननीय सदस्या अपना संकल्प वापस लेंगी ?

श्रीमती कविता सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि सिसवन प्रखंड अन्तर्गत जो चौड़ी क्षेत्र है, उसमें रघुनाथपुर विधान सभा क्षेत्र भी आते हैं, एकमा के कुछ भाग भी आते हैं, बच्चों को शिक्षा लेने में बहुत कठिनाई होती है । या तो उन्हें सीवान जिले में जाना पड़ता है या तो छपरा जाना पड़ता है ।

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप इसपर अपना ध्यान दें और स्पष्ट बतावें कि क्या आपकी योजना है कि वहाँ आप डिग्री कॉलेज खोलवा सकते हैं ?

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : आप अपना संकल्प वापस लेंगी ?

श्रीमती कविता सिंह : माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में, हमको आश्वासन दे दें कि मैं वहाँ डिग्री कॉलेज खोलूँगा, मैं अपना प्रस्ताव लेती हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रमांक-50 : श्री आनंद शंकर सिंह</u>

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद प्रखंड के जिला मुख्यालय से करमा ग्राम होते हुए राम नरेश हाल्ट को जोड़ने वाली जर्जर ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क का पी0सी0सी0 निर्माण करावे ।''

टर्न-35/आजाद/01.04.2016

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तावित पथ की लम्बाई 14.7 कि0मी0 है। यह पथ अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी-1 में शामिल है । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री आनन्द शंकर सिंह का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 51 - श्री निरंजन कुमार मेहता

श्री निरंजन कुमार मेहता : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिलान्तर्गत उदाकिशुनगंज प्रखंड में एक चीनी मिल की स्थापना करावे । ''

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद : सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों एवं मजदूरों के हित में राज्य में निजी, सार्वजनिक सहकारिता क्षेत्र में चीनी मिलों एवं गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है एवं इसके आलोक में संशोधित प्रोत्साहन नीति 2014 की घोषणा की गई है। संशोधित प्रोत्साहन पैकेज 2014 के माध्यम से राज्य में चीनी उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नांकित छूट प्रोत्साहन करने की घोषणा की गई है :-

1. चीनी उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क की भुगतान से छूट ।

2. चीनी मिल डिस्ट्रीलियरी एवं उसके साथ-साथ अधिकृत उत्पादन इकाई के स्थापना के क्रम में अचल पूँजी निवेश पर 20 प्रतिशत अनुदान जिसके अन्तर्गत चीनी मिल एवं सह विद्युत उत्पादन इकाई के लिए अधिकतम 15 करोड़ रू0 एवं डिस्ट्रीलियरी के लिए अधिकतम 5 करोड़ रू0 अनुदान की सीमा रखी गयी है ।

3. चीनी मिल स्थापना के उपरान्त 5 वर्षों तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्त्ति ।

4. चीनी मिल स्थापना के उपरान्त 5 वर्षों तक क्रय कर परचेज टैक्स के अदायगी से छूट । छोआ पर प्रशासनिक चार्ज की क्षतिपूर्त्ति ।

डिस्ट्रीलियरियों द्वारा क्रय किये गये छोआ के निमित्त भुगतान किये गये वैट की प्रतिपूत्ति सह विद्युत उत्पादन इकाईयों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत के लिए बिहार राज्य से संबंधित उपक्रमों के माध्यम से क्रय करने की व्यवस्था की गई है ।

उपरोक्त प्रोत्साहन पैकेज से प्रेरित होकर मधेपुरा जिलान्तर्गत उदाकिशुनगंज प्रखंड में नये चीनी मिल लगाने से संबंधित किसी निवेशक का प्रस्ताव आने पर सरकार द्वारा चीनी मिल स्थापित कराने के दिशा में वैधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निश्चित रूप से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट समय चाहूँगा और माननीय मंत्री महोदय को किसान के हित में दो शब्द बोलूँगा और उसके बाद मैं अपना प्रस्ताव वापस लूँगा ।

माननीय सभापति महोदय, प्रखंड उदाकिशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय का प्रखंड है। उदाकिशुनगंज अनुमंडल में प्रखंड उदाकिशुनगंज, ग्वालपारा, बिहारीगंज, चौसा, पुरैनी एवं आलमनगर सम्मिलित है । सम्पूर्ण अनुमंडल में सरकारी आंकड़ा के अनुसार 20हजार हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है । यह सरकारी आंकड़ा है माननीय मंत्री महोदय । यहां अच्छे एवं उत्तम किस्म के गन्ने का उत्पादन होता है परन्तु चीनी मिल नहीं रहने के कारण गन्ना उत्पादक किसानों को सही कीमत नहीं मिल पाती है । पूर्व में यहां के किसान वनमनखी सरकारी चीनी मिल में गन्ना भेजने का काम करते थे । परन्तु वह चीनी मिल भी वर्षों से बन्द है । अतः किसानों के हित में सरकार अनुमंडल मुख्यालय उदाकिशुनगंज के प्रखंड उदाकिशुनगंज में एक चीनी मिल की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ताकि गन्ना उत्पादक किसानों को सही कीमत मिल सके तथा इससे इलाके के बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावना भी होगी । सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द वहां के किसान हित में चीनी मिल खुले । आज वहां 150 रू0 क्विंटल किसान मजबूर होकर गन्ना को बेच देते हैं औने-पौने भाव में । अगर वहां पर चीनी मिल माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से खुलता है तो सरकारी दर है 265रू0 प्रति क्विंटल, इससे किसानों को दुगुना फायदा होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जायेगी ।

मैं माननीय मंत्री जी के पूर्ण आश्वासन पर अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता का संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक 54 - श्री सूबेदार दास</u>

श्री सूबेदार दास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला के मखदुमपुर प्रखंड अन्तर्गत धरनई पंचायत के ग्राम पिपरा मोड़ से ग्राम जनकपुर तक लिंक रोड में पी0सी0सी0 एवं पुलिया का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लम्बाई 2 कि0मी0 है। यह पथ पिपरा से जनकपुर होते हुए गनियारी पथ के नाम से राज्य कोरनेटवर्क में सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक 23 पर अंकित है । इस पथ में जनकपुर मतदाता सूची के अनुसार आबादी 425 एवं गनियारी मतदाता सूची के अनुसार 270 आबादी

अनजुड़े बसावट हैं । राज्य में सर्वेक्षित अनजुड़े बसावटों का सर्वेक्षण कर पूरक कोरनेटवर्क तैयार किया जा रहा है । तद्नुसार अभिस्तावित पथ एवं पुलिया के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री सूबेदार दास : सभापति महोदय जी, माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सुबेदार दास का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 55 - श्री विजय कुमार मंडल

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक 56 - श्री मुन्द्रिका सिंह यादव

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला मुख्यालय के राजाबाजार में एन0एच0-110 पर रेलवे लाईन के ऊपर पुल निर्माण के लिए भारत सरकार के पास अनुशंसा करे । ''

श्री चन्द्रिका राय : जहानाबाद जिला मुख्यालय के राजाबाजार में एन0एच0-110 पर रेलवे लाईन के ऊपर पुल निर्माण हो जाने से स्थानीय लोगों को रेलवे लाईन क्रौस नहीं करना पड़ेगा, दुर्घटना की संभावना नहीं होगी और समय की बचत होगी और जाम से भी छुटकारा मिलेगा ।

अत: उक्त स्थान पर ओवरब्रिज बनाने हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय से सिफारिश करेगी ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : बहुत,बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री मुन्द्रिका सिंह यादव का संकल्प स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक 56 - श्री अवधेश सिंह

श्री जीवेश कुमार : महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे अधिकृत किया है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : ठीक है ।

श्री जीवेश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर में वर्ष 2004 से संचालित केन्द्रीय विद्यालय, जिसका अपना

भवन नहीं है और दूसरे भवन में चल रहा है, को अपना भवन के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध करावे । ''

श्री अशोक चौधरी : जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा दिनांक 28.03.2016 को यह सूचित किया गया है कि केन्द्रीय विद्यालय के भवन हेतु हाजीपुर महुआ रोड में अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ के द्वारा 5 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है ।

अत: हम माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं कि संकल्प को वापस ले लें ।

श्री जीवेश कुमार : धन्यवाद, इस आश्वासन के साथ मैं संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अवधेश सिंह का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक 58 - श्री अशोक कुमार सिंह</u>

श्री अशोक कुमार सिंह(224) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के रफीगंज-ओबरा पथ में दनई पुल के पास से ग्राम पड़रिया तक 3.50 कि0मी0 सड़क का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लम्बाई 5 कि0मी0 है, जिसे राज्य कोरनेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक-31 पर अंकित है । राज्य में सर्वेक्षित अनजुड़े बसावटों की पहचान कर पूरक राज्य कोरनेटवर्क तैयार किया जा रहा है। यदि प्रश्नागत पथ पथांश के किसी अनजुड़े बसावट को सम्पर्कता की आवश्यकता होगी तो इस पथ पथांश का तदनुसार निर्माण किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस ले लें ।

श्री अशोक कुमार सिंह(224) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कि वहां घनी आबादी है, इसलिए इसी वित्तीय वर्ष में सड़क का निर्माण कराने का प्रयास करें और मैं उनके आश्वासन के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह का संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-36/अंजनी/दि0 1.4.16

<u>क्रमांक-59-श्री अजीत शर्मा</u>

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर नगर पंचायत के 1 से 51 वार्डों में शुद्ध जलापूर्त्ति हेतु

02 वर्ष पूर्व एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्पोषित योजनान्तर्गत पाईप बिछाने एवं जलमीनार का निर्माण कार्य शुरू करावे ।''

श्री महेश्वर हजारी : महोदय, एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त भागलपुर जलापूर्त्ति योजना प्रोजेक्ट–1 के कार्यान्वयन हेतु अनुमानित लागत कुल 93 मिलियन यू0एस0 डालर लगभग रूपया 4 अरब 93 करोड रूपये की योजना एवं उसपर संभावित व्यय की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गयी है । इस कार्य का एकरारनारमा 11 जुलाई, 2014 को मेसर्स पैन इंडिया इनफ्राप्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड रैनहिल यूटिलिटिज से सम्पन्न हुआ है । एकरारनामा की राशि 2 अरब 89 करोड़ 77 लाख रूपया है । एकरारनामा के तहत संवेदक को निम्नलिखित कार्य करना है – सेवा सुधार योजना (सर्विस इम्प्रुभमेंट प्लान) बनाना, इसके तहत पुराने जलापूर्त्ति प्रणाली का बेस लाईन बनाना, सुधार एवं निवेश योजना के तहत नये कार्यों का डिजाईन एवं ड्राइंग बनाना, रख–रखाव एवं प्रबंधन प्रक्रिया एवं नीति बनाना है जो 2 फरवरी 2016 में पूर्ण कर लिया गया है । पुराने जलापूर्त्ति प्रणाली के रख–रखाव एवं संचालन, पुराने जल संशोधन संयंत्र का जीर्णोद्धार, नये पाईप लाईन बिछाना 423 किलोमीटर, नये जल मीनार बनाना 18 अदद, घरेलू जल मीटर लगाना 55 हजार अदद, जीर्णोद्धारित जलापूर्त्ति प्रणाली का रख–रखाव एवं संचालन । पुराने जलापूर्त्ति प्रणाली का रख–रखाव एवं संचालन का कार्य जुलाई,2015 से प्रारंभ कर दिया गया है । नये कार्य में एक अदद जलमीनार का कार्य बराड़ी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कार्य स्थल पर प्रारंभ किया गया है । अन्य कार्यों के लिए संवेदक द्वारा कार्य योजना समर्पित किया गया है । नये कार्यों को पूर्ण कराने की अवधि 2019 है जबकि रख–रखाव एवं संचालन कार्य 2022 तक संवेदक को करना है । कार्यान्वयन की धीमी गति के कारण भूमि की अनुपलब्धता रही है, परन्तु अब इस समस्या का भी हल निकाल लिया गया है । गहन अनुश्रवण की जा रही है एवं योजना निर्धारित समय में पूरी करने का प्रयास किया जायेगा । अतः मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूँगा कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री अजीत शर्मा : सभापति महोदय, मैं कुछ बात माननीय मंत्री महोदय को बतलाना चाहूंगा कि संवेदक ने जो एग्रीमेंट किया है, उनके दो वर्ष पूरे हो गये और अभी तक सिर्फ डिजाईन, ड्राइंग, मेन्टेनेंस पॉलिसी कर पाया है । पाच वर्ष उसका एकरारनामा का समय है, आप समझ सकते हैं कि भागलपुर शहर में जल का बहुत किल्लत है और पहले भी नगर विकास मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी होते थे, 31 बोरिंग कराये गये थे, उसमें से 28 बोरिंग बालु फेंक रहा है, उसकी भी जांच नहीं हुई और पानी का इतना किल्लत है कि वह अभी दो वर्ष में सिर्फ डिजाईन और ड्राइंग करेगा तो

तीन वर्ष जो बचे हैं, वह पूरा जो 453 किलोमीटर जो आप बतला रहे थे, 18 अदद जल मीनार, 55 हजार मीटर लगाना है, एक भी मीटर पाईप नहीं बिछा है और न ही पाईप गिरा है । इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि इसका आप लक्ष्य क्वार्टरली, हाफअर्ली, एनुअली फिक्सड कर दीजिए, उसका प्रोग्रेस देखिए । कार्य धीमी गति होने का कारण जमीन अनुपलब्धता नहीं थी । नगर निगम में जो मुख्य पार्षद होते हैं, जिसको मेयर कहते हैं, पदाधिकारी और उनका इगो की लड़ाई है, क्लेस है चूंकि नगर निगम यह समझता है कि मेरा अधिकार खत्म हो रहा है, मेरा मालिकपना खत्म हो रहा है चूंकि यह सरकार पैसा दे रही है । हम आग्रह करेंगे कि आप कड़ाई से काम करायें और बोरिंग जो फेल हुआ है, उसकी जांच करा लिजिए और जनता को नया बोरिंग लगाकर पानी मुहैया कराइए । मंत्री महोदय, सिर्फ आश्वासन दें दें, हम अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे । ठीक है, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी का संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रमांक-62-श्री रामसेवक सिंह</u>

श्री रामसेवक सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल की अनुमंडलीय अस्पताल, हथुआ को मेडिकल कॉलेज के रूप में उत्क्रमित करावे ।''

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, राज्य में सरकारी 10 और निजी 4, कुल 14 चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है । निकट भविष्य में पांच नये चिकित्सा महाविद्यालय क्रमशः पूर्णियां, सारण, छपरा, मधेपुरा एवं पटना के बिहटा में खोले जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत पांच नये चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने हैं, इसके लिए स्थल का चयन सरकार द्वारा किया जा रहा है । तत्काल गोपाालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल की अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ को मेडिकल कॉलेज के रूप में उत्क्रमित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । हम माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री रामसेवक सिंह : सभापति महोदय, मैं इस गैर सरकारी संकल्प को इसलिए लाया हूँ कि मेडिकल कॉलेज खोलने में बिहार में बहुत जगह जमीन की किल्लत होती है और हथुआ में जो अनुमंडल अस्पताल है उसके सटे लगभग सैंकड़ों एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि विभिन्न जगहों पर मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव आया है, यदि नये सिरे से मेडिकल कॉलेज

खोलने का प्रस्ताव आये तो वहां भूमि की उपलब्धता को देखते हुए निश्चित रूप से वहां मेडिकल कॉलेज बनाने की कृपा करेंगे । मैं मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री रामसेवक सिंह जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-64-डॉ0 फैयाज अहमद

डॉ0 फैयाज अहमद : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत सौरांठ सभा गाछी मैथिल ब्राह्मणों के वैवाहित निर्णय हेतु वर्ष 1326 में पंची व्यवस्था के साथ प्रारंभ हुआ, इस विश्व प्रसिद्ध धरोहर की रक्षा हेतु परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराकर चाहारदिवारी, सौंदर्यीकरण एवं पंजियों का कम्प्यूट्रीकरण सरकार करावे ।''

श्री (डॉ0) मदन मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, सौराठ सभा गाछी की भूमि दरभंगा महाराज की है, जिसकी जमाबंदी महारानी कामसुन्दरी और राजलक्ष्मी के नाम से पंजी-2 में है । अतः यह रैयती भूमि है, जिसपर अतिक्रमणवाद नहीं चलाया जा सकता है एवं सरकारी राशि से निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है । जहांतक पंजियों का प्रश्न है, यह पंजियां निजी पंजीकारों की सम्पत्ति है, जिनके कम्प्यूट्रीकरण सरकारी खर्चे से कराने में कठिनाई है, अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस लें लें।

डॉ0 फैयाज अहमद : माननीय सभापति महोदय, यह तो हमाने माननीय मंत्री जी के मन की बात को रखा है, चूंकि पूरा मिथिला तो महाराजा दरभंगा का ही राज और जमीन रहा है और आज भी है । हमारे रहिका ब्लॉक में ही दरभंगा महाराज का ही प्रोपर्टी है लेकिन वहां ब्लॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है । यह तो राष्ट्रीय धरोहर है और माननीय मंत्री जी कई मर्तबा जिला पदाधिकारी को लिख चुके हैं, उनके हाथ में है, जो अतिक्रमण हो रहा है, उससे मुक्त करायें, उसका चाहारदिवारी करा दें, आग्रह करते हैं आपके माध्यम से और हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं, मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य डॉ0 फैयाज अहमद जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–65–श्री नौशाद आलम

श्री नौशाद आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि–

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंडान्तर्गत मस्तान चौक कॉलेज मोड़ से जनता चौक जालमिलिक तक जाने वाली सड़क का मरम्मतिकरण कार्य करावे ।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ श्रेणी–2 में सम्मिलित है, उक्त पथ की मरम्मति का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री नौशाद आलम : सभापति महोदय, यह सड़क मुख्यालय को जोड़ता है और जर्जर स्थिति में है, इसको बनाने की कृपा की जाय, इस आश्वासन के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री नौशाद आलम जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–66–श्री जर्नादन मांझी

श्री जर्नादन मांझी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि–

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिलान्तर्गत अमरपुर विधान सभा क्षेत्र के कुसुमखर एवं पूर्वी बासुदेवपुर ग्राम के बीच चान्दन नदी पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य करावे।''

टर्न–37/शंभु/.01.03.16

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल की लंबाई 220 मीटर होगी। उक्त पुल कुसुमखर से वासदेव पुर पूर्वी तट पर अवस्थित है। उक्त पथ राज्य कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है, क्योंकि कुसुमखर एवं मुख्य बसावट बासदेवपुर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित पथ कुल्हड़िया से बासदेवपुर से संपर्कता प्राप्त है। उक्त पुल के डाउन स्ट्रीम में 6 कि0मी0 एवं अप स्ट्रीम में 8 कि0मी0 पर पुल निर्मित है। अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री जनार्दन मांझी : सभापति महोदय, यह पुल बन जाने से नाथनगर और धौयैया विधान सभा-तीन विधान सभा के लोगों को सुविधा होगी। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि उस पुल को विशेष परिस्थिति में ध्यान में रखा जाय, बनाया जाय और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-67-श्री रामानन्द प्रसाद सिंह

श्री रामानन्द प्रसाद सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत प्रखंड परबत्ता के पंचायत खजरैठा के जी0एन0 बांध खजरैठा गांधी चौक ढाला से गौरा गोपी धार में 85 मीटर लम्बा पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल से किसी बसावट को संपर्कता प्राप्त नहीं हो रही है, बल्कि यह खेती के लिए उपयोगी होगी। सम्प्रति विभाग की प्राथमिकता बसावट को संपर्कता प्रदान करना है। उक्त कारण से अभिस्तावित पुल एवं पहुंच पथ कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है। उक्त पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प लेने की कृपा करें।

श्री रामानन्द सिंह : मैं वापस लेता हूं।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-68-श्रीमती सावित्री देवी

श्रीमती सावित्री देवी : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि जमुई जिला के चकाई विधान सभा क्षेत्र के सोनो प्रखंड में बाबा झुमराज स्थान बटिया एवं अमरनाथ धाम पचपहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करावे।''

श्रीमती अनीता देवी : महोदय, राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन स्थल अवस्थित है। जिनके विकास हेतु विभाग अब तक पर्यटन रोड मैप का निर्माण किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके पर्यटकीय स्थलों के विकास की योजना है। विभागीय ज्ञापांक 1008, दिनांक 17.03.16 एवं पत्रांक 1064, दिनांक 21.03.16 के द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई से प्रतिवेदन की मांग की गयी है, प्रतिवेदन अप्राप्त है। प्रतिवेदन

प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें।

श्रीमती सावित्री देवी : धन्यवाद, मैं वापस लेती हूँ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-69-श्री भाई वीरेन्द्र

श्री भाई वीरेन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड स्थित हल्दी छपरा पुराना टोला मिरचैया बाबा के सटे पश्चिम सोन सोता में पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित स्थल के दोनों ओर ग्रामीण कार्य विभाग की कोई पक्की सड़क निर्मित नहीं है और यह पुल स्थल विभागीय मार्गरेखन पर नहीं है। इस पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नही है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री भाई वीरेन्द्र : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुल बनाने का मैंने आग्रह किया माननीय मंत्री जी से वहां सैंकड़ों बीघा जमीन कई पंचायत के लोगों का वहां पर है और वही जानेआने का रास्ता है, बरसात के दिनों में जाना बंद हो जाता है या नाव से लोग जाते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। इसलिए विशेष परिस्थिति में माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से कि आश्वासन दें और उसपर कार्रवाई करें बनाने का, मैं निश्चित रूप से।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री भाई वीरेन्द्र : मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-70-श्री भोला यादव

श्री भोला यादव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में स्वीकृत एवं कार्य प्रारंभ किये गये दरभंगा कुशेश्वर स्थान

रेलवे लाइन का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करे।''

श्री चन्द्रिका राय : महोदय, रेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में स्वीकृत एवं कार्य प्रारंभ किये गये दरभंगा कुशेश्वर स्थान रेलवे लाइन का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी। माननीय सदस्य श्री भोला यादव जी से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने का कष्ट करें।

श्री भोला यादव : धन्यवाद, वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प स्वीकृत हुआ।

क्रमांक–73–श्रीमती कुंती देवी

(माननीय सदस्या द्वारा संकल्प नहीं पढ़ा गया।)

क्रमांक–74–श्री अशोक कुमार (208)

श्री अशोक कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत तिलौथु प्रखंड मुख्यालय में महिला कॉलेज की स्थापना करावे।''

श्री अशोक चौधरी : महोदय, संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है। रोहतास जिलान्तर्गत तिलौथु प्रखंड मुख्यालय में महिला कॉलेज स्थापित करने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं कि संकल्प वापस ले लें।

श्री अशोक कुमार : सभापति महोदय, रोहतास, नौहट्टा, तिलौथु तीन प्रखंड- तिलौथु से लेकर उत्तर प्रदेश के बार्डर तक सौ कि0मी0 में कोई महिला कौलेज या सरकारी कौलेज नहीं है। सरकार हमारी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए संकल्पित है। ऐसी परिस्थिति में उग्रवाद इलाका है, महिलाएं भी उग्रवाद में चली जा रही हैं, सेंसेटिव इलाका है, वहां सरकार महिला महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं करेगी तो कहां करेगी ? इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि कुछ नियम से अलग हटकर के और अशोक कुमार तो बहुत महान आदमी है, उसके नाम का भी तो असर दिखावें और इसपर विचार करें, नाम का भी तो असर दिखावें और विचार करें महिलाओं के लिए कुछ करने का काम करें और आश्वासन दें मैं वापस करता हूँ।

मो0 इलियास हुसैन : अनुरोध कर सकते हैं, नियम से हटकर काम नहीं होगा।

श्री अशोक कुमार : सभापति महोदय, अनुरोध ही कर रहे हैं, इनका भी इलियास साहब का भी विधान सभा क्षेत्र सटा हुआ है, इनकी भी लड़कियां पढ़ने के लिए परेशान है। इनसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि कम से कम आश्वासन दे दें कि जब सरकार विचार करेगी तो वहां महिला महाविद्यालय खोलवाने का विचार करेगी।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : पहले अपना प्रस्ताव तो वापस ले लें ?

श्री अशोक कुमार : हां, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ, आश्वासन दे दें।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-77-श्री सैयद अबु दौजाना

श्री सैयद अबु दौजाना : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अंतर्गत मतौना टोला से मतौना गांव तक सड़क का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पथ की लंबाई 1 कि0मी0 है जो मतौना टोला से आगे की ओर गयी है। जहां कोई बसावट नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत यदुपट्टी से मतौना ग्राम होते हुए मतौना टोला तक पथ निर्मित है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य, क्या प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री सैयद अबु दौजाना : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-78-श्री मो0 तौसीफ आलम

श्री मो0 तौसीफ आलम : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरपुर प्रखंड के चिकाबाड़ी पंचायत के चुनीबारी गांव के चुनीबारी धार में पुल का निर्माण करावे।''

टर्न–38/अशोक/01.04.2016

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल मुख्यमंत्री ग्राम्य सम्पर्क सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित पथ पर अवस्थित है, उक्त स्थल पर 4 X 16.5 मीटर आकार का उच्चस्तरीय पुल के निर्माण हेतु टेक्नों फिलिब्लिटी रिपोर्ट की मांग की गई थी, रिपोर्ट आने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई किये जाने की सम्भावना है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री हरि नारायण सिंह): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–80– श्री नवाज आलम

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह आरा के बिंदटोली से होते हुए बलबतरा जाने वाली सड़क में गांगी नदी पर बरहबतरा पुल का निर्माण करावे ।"

श्री महेश्वर हजारी : वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित पुल के निर्माण हेतु 342.14 लाख(तीन करोड़ बयालीस लाख चौदह हजार रूपये) मात्र का डी.पी.आर. आरा नगर निगम द्वारा तैयार किया गया है । निधि की उपलब्धता के आलोक में इसके निर्माण पर निर्णय लिया जाएगा ।

श्री मो0 नवाज आलम : धन्यवाद मंत्री जी ।

सभापति(श्री हरि नारायण सिंह): सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–81–श्री उमेश सिंह कुशवाहा

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के महनार अनुमण्डल अंतर्गत नारायणपुर ढेठपुरा को अन्य चार पंचायत को जोड़कर प्रखंड का दर्जा प्रदान करे । "

श्री श्रवण कुमार : वैशाली जिलान्तर्गत नारायणपुर डेढपुरा को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में आम जनता/जनप्रतिनिधियों से विभाग को प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है । प्राप्त अनुरोध के आलोक में वैशाली जिलान्तर्गत नारायणपुर डेढपुरा को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में प्रखंड सृजन संबंधी विहित प्रपत्र(अद्यतन 16 कॉलम) में वांछित प्रतिवदेन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, वैशाली को निदेशित किया गया है, जो अब तक प्रतीक्षित है ।

प्रखंड सृजन से संबंधित मामले के संदर्भ में संबंधित जिला पदाधिकारी से पूर्ण प्रतिवेदन/मंतव्य प्राप्त होने पर प्रस्ताव को सचिवों के समिति के समीक्षार्थ रखी जाती

है। समिति से प्राप्त अनुशंसित प्रस्ताव को मंत्रियों के समूह के विचारार्थ रखा जाता है, तत्पश्चात मंत्रियों के समूह द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की जाती है । संप्रति पंचायत आम निर्वाचन, 2016 अधिसूचित है । फलस्वरूप तत्काल प्रखंड सृजन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है । अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा: महोदय, जनहित में यह बहुत जरूरी है, मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जनहित में इसको प्राथमिकता देते हुये, इसे प्राथमिकता देंगे । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री हरि नारायण सिंह): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 82- श्री राजेश कुमार(222)</u>

श्री राजेश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा प्रखंड के महाराजगंज टंडवा पथ में ग्राम-बेलदास के पास बतरे नदी पर पुल निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार : वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल की लम्बाई 200 मीटर है और निर्मित लागत 9 करोड़ 15 लाख 59 हजार है और इसके दोनों ओर के पथों की मरम्मति का कार्य चल रहा है । संसाधन की उपलब्धता के आधार पर पुल निर्माण संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजेश कुमार : सभापति महोदय, यह जो पुल है, जो होलिया नदी पर है वहां पर, और यह झारखंड से पहाड़ी भाग से बरसाती नदी है और बरसात में यह आलम होता है कि वहां का और 20 फीट डेप्थ में यह नदी चली गई है और यहां से, मेरे विधान सभा क्षेत्र का, नवी नगर का दस पंचायत और कुटुम्बा प्रखण्ड का बीस पंचायत- ये दोनों मिलाकर के मेरा विधान सभा क्षेत्र है हुजूर, तो मेरा आग्रह है कि तीन महीना जो बरसात का सीजन आता है, उस समय में हमलोगों को भी जाने में कठिनाई होती है तो सरकार से आपके माध्यम द्वारा मांग करता हूँ कि वह पुल को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर,चूंकि वहां पर लॉ एण्ड का भी प्रोब्लम होता है, वह उग्रवाद प्रभावित इलाका है, और पैट्रौलिंग पार्टी भी इसी तरफ रह जाती है, उधर की पैट्रौंलिग पार्टी इधर नहीं आती है तो मैं सरकार से मांग करता हूँ सदन के माध्यम से इसे प्रथम प्राथमिकता के आधार पर इस पुल का निर्माण करावे । और प्रस्ताव में वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री हरि नारायण सिंह): सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–83–श्री सुनील कुमार(क्षेत्र संख्या–28)

श्री सुनील कुमार(क्षेत्र संख्या–28) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखंड के लगमा पंचायत के बलुआ गॉव से रूपौली जाने वाली सड़क में हाई स्कूल के समीप लक्ष्मणा नदी पर पुल का निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित स्थल के अप–स्ट्रीम में एक कि.मी. की दूरी पर वाजिदपुर–हरिछपरा पथ पर तथा डाउन स्ट्रीम में एक कि.मी. की दूरी पर लगमा–रूपौली पथ पर पुल निर्मित है, वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुनील कुमार(क्षेत्र संख्या–28) : महोदय, मंत्री जी ने अपने जावब में कहा है कि हरिछपरा में भी पुल है और लगमा में भी पुल है, लेकिन लगमा में जो पुल बना हुआ है उसमें एक तरफ सम्पर्क पथ ही नहीं है, बिना सम्पर्क पथ के ही पुल बना हुआ है। दूसरी बात हमने अपने सवाल में कहा है कि बलुआ उच्च विद्यालय के पास, जहां बलुआ उच्च विद्यालय अवस्थित है के बगल में लक्ष्मणा नदी है और नदी के उस तरफ से बच्चों को नदी पार करके आना पड़ता है, या तो चचरी के पुल से आना पड़ता है या नाव का सहारा लेना पड़ता है, कभी–कभी दुर्घटना भी होती है इसलिए वहां पुल की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, और उस तरफ दलित, कमजोर, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, पढ़ने का दूसरा कोई विद्यालय ही नहीं है, उधर के विद्यार्थियों को बलुआ उच्च विद्यालय में ही आना पड़ता है, इसलिए वहां पुल की बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि उसको प्राथमिकता में रखें और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूॅ ।

सभापति(श्री हरि नारायण सिंह): सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–85– श्री चन्दन कुमार

(माननीय सदस्य श्री चन्दन कुमार अनुपस्थित)

क्रमांक–86– श्री समीर कुमार महासेठ

(माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अनुपस्थित)

क्रमांक–89 श्री राम विशुन सिंह

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के कटैया से बलिगांव भाया इसाढ़ी, तेदुनी एवं जगदीशपुर, सोनवर्षा एन.एच. 30 से अरैला तक की जर्जर सड़क का पक्कीकरण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ ग्रामीण कार्य विभाग का कोई पक्की सड़क निर्मित नहीं है तथा इस स्थल से मात्र 2.50 कि.मी. की दूरा पर अप-स्ट्रीम में पंचाने नदी पर पुल निर्मित है, अभिस्तावित पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राम विशुन सिंह : माननीय मंत्री महोदय ये आग्रह है कि सड़क की स्थिति को देखते हुये, इसको दिखलवावें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री हरि नारायण सिंह): सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक -90-श्रीमती प्रेमा चौधरी

श्रीमती प्रेमा चौधरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत बड़हिया को प्रखंड का दर्जा दिलावे ।"

टर्न-39-01-04-2016-ज्योति

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, वैशाली जिलान्तर्गत बड़डीहा को प्रखंड का दर्जा दिए जाने के संबंध मे श्रीमती सादकिन फातिमा, सदस्य, जिला परिषद् , वैशाली द्वारा विभाग को अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है । प्राप्त अनुरोध के आलोक में वैशाली जिलान्तर्गत बडडीहा को प्रखण्ड का दर्जा दिए जाने के संबंध में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, वैशाली को निर्देशित किया गया है । सम्प्रति पंचायत आम निर्वाचन 2016 अधिसूचित है फलस्वरुप तत्काल प्रखण्ड सृजन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है । अतएव, माननीय सदस्या से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा की जाय ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी : धन्यवाद । मैं संकल्प वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमॉक 91 - श्री राजेन्द्र कुमार

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के तुरकौलिया प्रखंड अंतर्गत हरदिया पंचायत के ग्राम -हरदिया में मुख्य स्टेट हाईवे रोड से झापस पटेल के घर से नोनिया टोली होते हुए पुनः आगे स्टेट हाइवे रोड तक पी0सी0सी0 एवं पुलिया का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 1.25 कि0मी0 है जो कच्ची है । इस पथ पर झपास पटेल का घर एवं नोनियाटोला पड़ता है । झपास पटेल एवं नोनियाटोला दोनों को कोठवा-मोतिहारी स्टेट हाईवे से सम्पर्कता प्राप्त है । इस पथ में कोई नया बसावट नहीं होने के कारण इस पथ को कोर नेट वर्क में शामिल नहीं किया जा सका है अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि वहॉ घनी बस्ती है।

बसावट की बात तो दूसरी है , वहॉ घनी बस्ती है । पुनः दिखवा लिया जायेगा, आग्रह होगा कि पुनः जॉच करवा कर, उसको प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाय, कारण कि वहॉ रिपोर्ट अब किस तरीके से आया है लेकिन घनी बस्ती है । जहॉ से शुरु हो रहा है वह रास्ता अंतिम तक काफी घनी बस्ती है और लोगों को बरसात के दिनों में काफी परेशानी होती है इसलिए आग्रह होगा कि पुनः जॉच करवा कर प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाय । इसके साथ ही हम अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमॉक 92-डा0 अशोक कुमार (139)

डा0 अशोक कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के लिए प्रस्तावित अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना रोसड़ा अनुमंडल मुख्यालय में करावे । ''

श्री जय कुमार सिंह : महोदय, राज्य सरकार के 7 निश्चय के अनुपालन में सभी जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना किया जाना है । विभागीय पत्रांक 241 दिनॉक 22-01-2016 द्वारा समस्तीपुर जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु

सड़क या रेल मार्ग से जुड़ा हुआ विकसित न्यूनत्तम 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु समाहर्ता, समस्तीपुर से अनुरोध किया गया है । समस्तीपुर जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना समाहर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए उक्त भूमि पर की जायेगी । भूमि उपलब्ध होते ही अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी । अतः माननीय सदस्य डा0 अशोक कुमार जी से निवेदन है कि अपना संकल्प वापस लें ।

डा0 अशोक कुमार : महोदय, मेरा आग्रह है कि रोसड़ा अनुमंडल मुख्यालय सड़क और रेल मार्ग दोनों से जुड़ा है और समस्तीपुर जिला मुख्यालय के मात्र 20 कि0मी0 में अवस्थित है । बहुत अच्छा सड़क सम्पर्क है तो वहाँ के लिए सरकार अगर डी0एम0 को ये निर्देश दे देती है कि रोसड़ा में देखा जाय तो उसके लिए हम आभारी रहेंगे । इसी आग्रह के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमाँक -93-श्री मो0 आफाक आलम

श्री मो0 आफाक आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के लागन भमरा पंचायत के फक्कर-टकिया घाट पर कोशी नदी पर पुल का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ पी0एम0जी0एस0वाय0 अंतर्गत पथ निर्मित है एवं दूसरी तरफ 2 कि0मी0 पथ कच्ची है जिसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ब्रिक्स सम्पोषित अंतर्गत निर्माण हेतु चयन किया गया है । उक्त पथ एवं प्रश्नाधीन पुल का डी0पी0आर0 बनाने की प्रक्रिया में है । जिसे ब्रिक्स डब्लू0 बी0 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जायेगा । स्वीकृति के पश्चात् पथ के साथ पुल का निर्माण कराया जा सकेगा । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री मो0 आफाक आलम : सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो उसको बनवा दिया जाय ।

सभापति : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमॉक 96- श्री लाल बाबू राम

श्री लाल बाबू राम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा प्रखंड के एन0एच0 भेरगरहा चौक से इटहॉ होते हुए जहॉगीरपुर चौक तक जाने वाली जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 5.40 कि0मी0 है । पथ राज्य अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी - वन में सम्मिलित है । पथ का डी0पी0आर0 तैयार करा लिया गया है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ का मरम्मती कार्य कराया जा सकेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री लाल बाबू राम : मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमॉक 96- श्री विनोद कुमार सिंह

श्री विनोद कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि कटिहार जिलान्तर्गत पी0डब्लू0डी0 पथ कंतनगर शरीफगंज से बड़ी बथना शिवमंदिर चौक होते हुए मनसाही चौक तक जाने वाली ग्रामीण कार्य विभाग की अत्यंत जर्जर हो चुके सड़क का पुनर्निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ पी0डब्लू0डी0 पथ कंतनगर शरीफगंज से बड़ी बथना शिवमंदिर चौक होते हुए मनसाही चौक पथ पी0डब्लू0डी0 शरीफगंज से बड़ी बथना शिवमंदिर चौक होते हुए मनसाही चौक से महारंगी तक पथ जिसकी लम्बाई 6 कि0मी0 है का पथांश है । प्रश्नाधीन पथ मरम्मती हेतु मनसाही प्रखण्ड के श्रेणी- वन की पथों की सूची के क्रमॉक 2 पर अंकित है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार इसका निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री विनोद कुमार सिंह : सभापति महोदय, प्रस्ताव तो वापस लेना ही है । निधि की उपलब्धता के बारे में इन्होंने कहा है , पॉच छः कि0मी0 मात्र है उसका पुनर्निर्माण कराना है । पहले से रोड बना हुआ है । पॉच छः साल से सड़क जर्जर है । एक जानकारी हम देना यह चाह रहे हैं कि हमारे मनिहारी के माननीय विधायक यहॉ बैठे हुए हैं उनका भी मुख्य सड़क है और पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के बिहार सरकार के पथ निर्माण राज्य मंत्री रहे हैं उनका भी वही मार्ग है और सौभाग्य से मेरा भी वही

सड़क है । हम चाहते हैं कि सभापति महोदय, कि निधि की उपलब्धता तो होगी ही, इसी वित्तीय वर्ष में करा देने का और सक्षम मंत्री हैं, अच्छे मंत्री हैं, हम श्रद्धापूर्वक कहना चाहेंगे कि इसको बनवा दें। हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

सभापति : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक-97- श्री अशोक कुमार (132)

श्री अशोक कुमार : माननीय सभापति जी , मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के वारिसनगर विधान सभा क्षेत्राधीन मथुरापुर-इलमासनगर-डुमरा आर0सी0डी0 पथ में डकारी मोड़ से बलहा विश्वनाथ तक जाने वाली जर्जर सड़क का जनहित में निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 18.3 कि0मी0 है जिसका निर्माण पी0एम0जी0एस0वाय0 योजनान्तर्गत केन्द्र एजेन्सी एन0ण्च0पी0सी0 द्वारा दो चरणों में कराया गया है । नंबर-1 - डकारी चौक से विश्वनाथपुर चैनल 00 से 9.0 कि0मी0 तक - इस पथ के संबंध में केन्द्र एजेन्सी सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि यह पथ अनुरक्षण अवधि में है । इस पथ में धान क्रय केन्द्र है जिससे भारी वाहनों का आवागमन होते रहता है जिसके चलते कुछ जगहों पर आंशिक गढ्ढे हो गए हैं पथ का अनुरक्षण कार्य शीघ्र करा लिया जायेगा । नंबर-2 - डकारी चौक से विश्वनाथपुर चैनल 9 से 18.30 कि0मी0 तक - इस पथ के संबंध में केन्द्र एजेन्सी सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस पथ में 8.6 कि0मी0 कार्य जून 2010 में पूर्ण करा लिया गया है ।

टर्न-40/विजय/01.04.16

श्री शैलेश कुमार: क्रमश:....तथा 700 मीटर की लंबाई में एप्रोच तथा नाला पर पुल का प्रावधान नहीं रहने के कारण इस कार्य को 31.07.15 को फोर्स क्लोज कर दिया गया तथा ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल समस्तीपुर को दिनांक 31.08.15 को हस्तांतरित कर दिया गया है । इस पथ के संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता से तकनीकी प्रतिवेदन की मांग की जा रही है तत्पश्चात् अग्रतर कार्रवाई करना संभव हो सकेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अशोक कुमार: माननीय सभापति जी, इस पथ की आधी लंबाई जो सड़क की है वह तटबंध से होकर गुजरता है । और तटबंध की वह स्थिति नहीं है अभी तटबंध भी काफी ध्वस्त हो गया है । अगल बगल बूढ़ी गंडक का बांया तटबंध है ये । तो तटबंध भी दिखाना पड़ेगा इनको । तटबंध की मरम्मति भी आवश्यक है । तटबंध ठीक होगा तभी सड़क भी ठीक हो पायेगा । इसलिए दो विभाग का मामला है । सभापति महोदय, कृपया माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लेंगे ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): प्रस्ताव वापस लिया ।

श्री अशोक कुमार: जी ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-99 (श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम)

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अनुमंडल स्तर पर आई0टी0आई0 एवं प्रखंड स्तर पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाने सहित आइ0टी0आई0 एवं अन्य भवनों के उन्नयन एवं रख रखाव के बृहद कार्यक्रम को देखते हुए श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत श्रम संसाधन आधारभूत संरचना निगम की स्थापना करे ।"

श्री विजय प्रकाश: सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडल स्तर पर आई0टी0आई0 एवं प्रखंड स्तर पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाने सहित आई0टी0आई0 एवं अन्य भवनों के उन्नयन एवं रख रखाव का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध करता हूं कि प्रस्ताव को वापस लिया जाय ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम: महोदय, आप अवगत हैं कि भवन निर्माण, पथ निर्माण आदि अभियंत्रण विभागों के पास काम की अधिकता है जिसके कारण उनको भी विवश होकर निगम की स्थापना करनी पड़ी है । गैर अभियंत्रण विभागों की तो बात ही क्या स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग आदि में निगम की स्थापना की गयी है । स्किल डेवलपमेंट आइ0टी0आइ0 खोले जाने का जो बड़ा लक्ष्य सामने है उसकी पूर्त्ति दूसरे विभाग को काम देकर नहीं हो सकेगा । श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत यदि निगम बनाया जाता है तो उस पर गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण एवं अनुश्रवण होगा । महोदय, इसलिए अनुरोध है कि इस संकल्प को स्वीकार किया जाय तथा श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत श्रम संसाधन आधारभूत संरचना निगम की स्थापना की जाय । अंतत: मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्या का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–100 (श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन)

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन: सभापित महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर नगर परिषद क्षेत्र तमगरदही घाट बुढ़ी गंडक पुल के निकट से वाया चकनुर स्लूइस गेट होते हुए चकहुसैन दुर्गा स्थान पोखरैड़ा, सिधिया चौक होते हुए इमली चौक तक बाइपास का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार: महोदय, यह जल संसाधन विभाग को स्थानान्तरित है ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): स्थानान्तरित है ।

क्रमांक–101 (श्री फराज फातमी,स0वि0स0)

श्री फराज फातमी: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवारा प्रखंड के कलिगांव पंचायत के भड़वाड़ा बौंका चौक से बरिऔल चौक तक जाने वाली सड़क के खनुआ चौर में खिरोई नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार: महोदय, अभिस्तावित स्थल पर 25 मीटर लंबे उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता है । यह पुल भड़वाड़ा चौक से बरिऔल चौक जाने वाली पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ पर अवस्थित है एवं पथ का निर्माण केन्द्रीय एजेंसी सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा कराया गया है । पुल का प्रस्ताव पी0एम0जी0एस0वाई0 मिसिंग ब्रिज के अंतर्गत तैयार करने का निदेश संबंधित कार्यपालक अभियंता को दिया जा रहा है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री फराज फातमी : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और बड़ी खुशी की बात होगी अगर वे इसी वित्तीय वर्ष में जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उस पुल का निर्माण कराने में मदद करें । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–102(श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय,स0वि0स0)

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला के पंचदेवरी प्रखंडान्तर्गत ग्राम–तेतरियां ध्रुपसाह के घर से रामपुर तक जाने वाली पथ पर स्याही नदी में आवागमन हेतु पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार: महोदय, अभिस्तावित स्थल पर 3 मीटर लंबे स्पैन का पुल पूर्व से निर्मित है । तेतरियां से रामपुर पथ की लंबाई 2 कि0मी0 है जो ईटकृत है । यह पथ स्टेट कोर नेटवर्क क्रमांक 38 पर सम्मिलित है । वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि यू0पी0 बिहार के बार्डर का इलाका है जहां पर लोगों के आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पुल का निर्माण कराने का व्यवस्था करना चाहेंगे ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): और प्रस्ताव वापस भी करें ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय: वापस तो लेना ही है लेकिन मंत्री जी का आश्वासन चाहते हैं ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): ठीक है देख लेंगे ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय: मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-103 (श्रीमती पूनम देवी यादव,स0वि0स0)</u>

श्रीमती पूनम देवी यादव: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत मानसी प्रखंड स्थित गंडक नदी के चुकती घाट पर पुल का निर्माण करावे ।

श्री शैलेश कुमार: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के अपस्ट्रीम में लगभग 600 मीटर की दूरी पर नबार्ड योजना अंतर्गत पुल स्वीकृत है एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्रीमती पूनम देवी यादव: माननीय सभापति महोदय जी, ये जो पुल चुकती घाट नदी पर है वह महत्वपूर्ण पुल है । और जो पदाधिकारी इनको सर्वे कर रिपोर्ट दिये हैं एक नदी से दूसरे नदी छोड़कर दिया है कि 600 मीटर है । जबकि एन.एच. से चलेंगे तो 4 कि0मी0 की दूरी है । माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि आये दिन वहां दुर्घटना भी होते रहता है तो जनहित में कोई आश्वासन दें मंत्री जी ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): ठीक है माननीय मंत्री देख लेंगे ।

अपना प्रस्ताव तो वापस ले लें ।

श्रीमती पूनम देवी यादव: मा0 मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्या का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-104 (श्री रणधीर कुमार सोनी,स0वि0स0)

श्री रणधीर कुमार सोनी: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखंडान्तर्गत विमान पंचायत के रेवता ग्राम में उच्च विद्यालय की स्वीकृति जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा दी गयी थी, जबकि उक्त विद्यालय के भवन निर्माण की निविदा विमान ग्राम के नाम से निकाली गयी है, उक्त विद्यालय की स्थापना रेवता ग्राम में ही करावें ।"

श्री अशोक चौधरी: महोदय, विभागीय संकल्प संख्या-1021 दिनांक 05.07.2013 के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में आच्छांदित किया जाना है । जिला पदाधिकारी शेखपुरा के पत्रांक 270 दिनांक 29.06.2010 द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन के आधार पर विमान पंचायत में संकल्प में निहित प्रावधानों के आलोक में निर्दिष्ट मापदंड पूर्ण करने वाले मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री रणधीर कुमार सोनी: 2010 में 2014 का भी है लेटर डी0एम0 का । 2014 के आधार पर किया जा रहा है जबकि जांच करके 2014 में डी0एम0 ने रेवता गांव के लिए किया। वह जमीन बिल्कुल गलत है । और विभाग ने उसको छिपाके 2010 के प्रतिवेदन पर उसको कर रहा है । यही तो है विभाग का खेल ।

श्री अशोक चौधरी: ठीक है माननीय सदस्य लिखकर दे दें । संकल्प अपना वापस ले लें।

श्री रणधीर कुमार सोनी: डी0एम0 का बजाप्ते चिट्ठी है 2014 का । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-105(श्री राज कुमार राय,स0वि0स0)

श्री राजकुमार राय: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत बिथान प्रखंड में करेह नदी पर फुहिया घाट में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य करावे ।"

श्री शैलेश कुमार: महोदय, अभिस्तावित स्थल फुहिया घाट से दोनों तरफ कच्ची पथ है । उक्त स्थल के अपस्ट्रीम में 8 कि0मी0 की दूरी पर तथा डाउनस्ट्रीम

में 10 कि0मी0 की दूरी पर उच्चस्तरीय पुल पूर्व से निर्मित है । वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजकुमार रायः सभापति महोदय, करेह नदी के फुहिया घाट तीन जिला के तीन विधान सभा को बाढ़ क्षेत्रों को प्रभावित करता है । महोदय, प्रति वर्ष बाढ़ में दुर्घटना से कई लोगों की मौत हो जाती है । मैं सरकार से सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि करेह नदी पर फुहिया नदी में पुल निर्माण करने का आग्रह करता हूं महोदय ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): दिखवा लेंगे आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री राजकुमार रायः ठीक है । महोदय मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

टर्न-41/राजेश/1.4.16

क्रमांक-106, श्री राज किशोर सिंह ।

श्री राज किशोर सिंहः- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली प्रखंड के फूलाढ़ पंचायत स्थित चक पिताम्बर ग्राम से मंसूरपुर ग्राम तक क्षतिग्रस्त एवं जर्जर सड़क का शीघ्र निर्माण करावें।''

श्री शैलेश कुमारः- महोदय, अभिस्तावित पथ की लंबाई 2.5 कि0मी0 है। पथ राज्य अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी-1 में सम्मिलित है। निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ की मरम्मति का कार्य कराया जा सकेगा। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंहः- महोदय, वापस तो लेना ही है लेकिन माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह ढ़ाई किलोमीटर का यह सड़क है और इससे 50 हजार लोग लाभान्वित होंगे,एक बार नहीं तो इसको दिखवा लीजिये कि यह कितना इम्पौरटेंट सड़क है। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह):- सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री राज किशोर सिंह जी का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-107, श्री रामदेव राय ।

श्री रामदेव रायः- महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड स्थित सदौली बलान पदी पर पुल का निर्माण करावे ''।

श्री शैलेश कुमार:- महोदय,अभिस्तावित स्थल के अप स्टीम में 6 कि0मी0 की दूर पर उच्चस्तरीय पुल तथा डाउन स्टीम में 2.5 कि0मी0 की दूरी पर स्क्रू पाईल पुल पूर्व से निर्मित है। वर्णित स्थल पर प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री रामदेव राय:- महोदय, कुल गलत जवाब है और आप समझ लीजिये कि 10 वाँ बार यह होगा वापस लेने का सवाल, 10 बार इस विधान सभा में इस पुल के बारे में आश्वासन दिया जा चुका है। विगत सत्र में भी माननीय मंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं,फिर भी आप कहते है कि दो किलोमीटर पर पुल है, मैं चैलेंज करता हूँ, यह गलत जवाब है, आपका विभाग इसकी समीक्षा कर जवाब नहीं भेजता है,केवल आप समझते हैं कि सदस्य लोग वापस कर ही लेंगे और काम समाप्त, तो यह बात होने वाली नहीं है.....

अध्यक्ष:- आप वापस कर लीजिये।

श्री रामदेव राय:- हम वापस क्यों करेंगे, आप जवाब दीजिये।

श्री शैलेश कुमार:- हम इसकी जांच करवा लेंगे।

अध्यक्ष:- माननीय मंत्री जी कह रहे है, आपने जो कहा है कि गलत जवाब है,उसकी वह विभाग से जांच करा लेंगे।

श्री रामदेव राय:- क्या इस जांच में मुझको रखेंगे ?

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य को भी बुला लीजियेगा।

श्री शैलेश कुमार:- महोदय, ठीक है।

श्री रामदेव राय:- मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष:- सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रमांक-108, श्रीमती लेशी सिंह ।</u>

श्रीमती लेशी सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1 में शामिल मारकण्डेय जाति का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कराकर अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करावे।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः- महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि किसी जाति विशेष को बिहार के हेतु अधिसूचित अनूसूचित जनजाति की सूची में समावेशन, विलोपन संबंधी विषय भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में है। मारकण्डेय जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे कृपया अपना प्रस्ताव को वापस लें।

श्रीमती लेशी सिंहः-माननीय अध्यक्ष महोदय,जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है यह मामला,यह वहाँ से होना है, तो मैं बता दूं कि अभी हाल ही में सरकार ने कई एनेक्सर-1 के जाति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है तो यह मारकण्डेय जाति जो है,इसका टाईटल मुनि है,यह सामाजिक रुप से काफी पिछड़ा है महोदय और यह महादलित के समान है और मजदूरी करता है,महादलित में भी जो ऋषि होता है,कहीं मांझी लिखाता है,हमलोगों के इलाके में महादलित मुनि भी टाईटल है, इसलिए इनका स्थिति बहुत ही खराब है,इसलिए इनका सामाजिक स्थिति ये मजदूरी करते हैं और इनकी राजनीतिक स्थिति यह है महोदय कि मात्र मेरे जानकारी में महोदय, इस जाति की स्थिति बहुत ही खराब है और राजनीतिक रुप से दो मुखिया राज्य में और शैक्षणिक स्थिति यह है महोदय कि इनका एक भी इस जाति का आज तक न तो बी0डी0ओ0 बना है, न दारोगा बना है, न इंजीनियर बना है और न ही डाक्टर बना है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करुंगी कि वे इनका सर्वेक्षण करा लें और सर्वेक्षण कराके इसको अनुसूचित जाति में शामिल कराये महोदय,क्योंकि बहुत ही दयनीय स्थिति है।

अध्यक्षः- इस अनुरोध के साथ आप वापस कर लीजिये।

श्रीमती लेशी सिंहः- अध्यक्ष महोदय, इसपर माननीय मंत्री जी कुछ बोले, कम से कम सर्वेक्षण तो करा ले।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः- महोदय, इसको दिखवा लेंगे लेकिन जितना प्रस्ताव गया भारत सरकार में आज तक वहाँ इन्टरटेन ही नहीं किया गया,इसलिए आग्रह है कि इसे वापस ले लीजिये।

अध्यक्षः- अब वापस कर लीजिये।

श्रीमती लेशी सिंहः- ठीक है महोदय। मैं तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगी कि वे इसपर विचार करें, इस भाव के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस करती हूँ।

अध्यक्षः- सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती लेशी सिंह जी का संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रमांक-109, श्री कृष्ण कुमार ऋषि ।</u>

श्री कृष्ण कुमार ऋषिः- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत बनमनखी अनुमंडल में निबंधन कार्यालय खोलवाये।''

श्री अब्दुल जलील मस्तानः- अध्यक्ष महोदय, अनुमंडल पर जनसंख्या के अनुसार नया निबंधन कार्यालय नहीं खोला जाता है बल्कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार उसके पूरा होने पर खोला जाता है। नियमानुसार नया निबंधन कार्यालय खोले जाने हेतु औसतन 8 हजार का दस्तावेज चूंकि निबंधन प्रतिवर्ष होना चाहिए, परन्तु समाहर्ता, पूर्णिया से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर विगत तीन वर्षों में यथा- 2012-13 में 2865, 2014-15 में 2804 एवं 2015-16 में 2540 दस्तावेजों का निबंधन सम्पादित हुआ है, जो निर्धारित मापदंड से आधे से भी कम है। अतः बनमनखी अनुमंडल में नया निबंधन कार्यालय खोले जाने का मामला ही नहीं है।

अध्यक्षः- माननीय सदस्य, यह मापदंड में नहीं आ रहा है, इसलिए सरकार इसको नहीं कर सकती है। इन्होंने साफ कहा है,इससे साफ क्या कहा जा सकता है।

श्री कृष्ण कुमार ऋषिः- ठीक है सर, साफ कहा है लेकिन वहाँ भवन है सर, सब-डिवीजन है, एस0डी0ओ0 बैठते हैं, कोर्ट चलता है, कोई चीज की कमी नहीं है केवल सरकार की इच्छा हो तो खुल जायेगा, केवल इच्छा जाहिर करने की है।

अध्यक्षः- अभी यह मामला नहीं आ रहा है, इसलिए इसको वापस ले लीजिये।

श्री कृष्ण कुमारऋषिः- ठीक है। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

अध्यक्षः- सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

टर्नः 42/कृष्ण/01.04.2016

<u>क्रमांक 110 डा0राजेश कुमार</u>

डा0राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केशरिया प्रखंड के पूर्वी सरोत्तर पुरैना ग्राम के पूरब राघव नाला पर पुल निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पुल सरोत्तर पुरैना गग्राम के पूरब राघव नाला पर है । प्रश्नागत स्थल के दोनों ओर बसावट है, यह पुल पुरैना ग्राम नारायणपुर ग्रम के बीच में पड़ता है । यह पथ ग्रमीण कार्य विभाग के अरेखन पर नहीं रहने के कारण किसी भी कोर नेट वर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है । वर्णित पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करे ।

डा0 राजेश कुमार : महोदय, मैं अपन प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से डा0 राजेश कुमार जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 112 श्री मेवालाल चौधरी

श्री मेवा लाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर के पंचायत चम्पाचक एवं हवेली खड़गपुर प्रखंड के पंचायत मंझगाय के बीच ग्राम कठना के नजदीक एक पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग से करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना एल 052 पी0डब्ल्यू0डी0 रोड खड़गपुर जमुई, रायपुरा, तेतरियापुर भाया सिंचाई नगर वी0आर0 51 पथ के अन्तर्गत प्रस्तावित है । स्वीकृति हेतु प्रस्ताव स्वीकार किया जा रहा है । ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् उक्त पुल का निर्माण कराया जा सकेगा ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मेवा लाल चौधरी : महोदय, यह पुल इतना महत्वपूर्ण है कि वह दो प्रखंडों को आपस में जोड़ता है ।

अध्यक्ष : चौधरी जी, सरकार ने कहा है कि कार्रवाई कर रही है ।

श्री मेवा लाल चौधरी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से श्री मेवा लाल चोधरी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक 113 श्री सरोज यादव

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बड़हरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बड़हरा प्रखंड के ग्राम केशोपुर में आई0टी0आई0 संस्थान की स्थापना करावे । ''

श्री विजय प्रकाश : महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम केशोपुर बडहरा प्रखंड भोजपुर जिलान्तर्गत है और वर्तमान में भोजपुर जिलान्तर्गत 4 प्रकार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,पीरो, केथुआ, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,बिहियां एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा संचालित है, जिसमें भोजपुर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडलों, प्रखंडों के सुयोग्य

युवक, युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं । सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक अनुमंडल में एक आई0टी0आइ0 बनाय जाना हळ । बड़हरा प्रखंड आरा अनुमंडल मे पडता है एवं वहां पूर्व से ही एक सरकारी आई0टी0आई0 है ।

अत: माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सरोज यादव : महोदय मैंअपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 114 श्री कुमार सर्वजीत

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम डुमरी चट्टी के ढ़ाढ़र नदी के पूर्वी छोर से शाह पोखर जयपुर, मझगांव से गम्हरी मंझला होते हुये दुन्दु तक सड़क का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम डुमरी चट्टी ढ़ाढ़र नदी के पूर्वी छोर से शाहपोखर, जयपुर, मझगांव से गम्हरी मंझला हाहेते हुये दुन्दु ग्राम तक जाती है। इस पथ की लंबाई 15 कि0मी0 है । इस पथ का प्रथम 5 कि0मी0 लंबा पथांश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सी0एन0सी0पी0एल0 में प्रस्तावित है, जिसका लिंक रूट संख्या एल जीरो 95 है । उक्त श्पथ का अंतिम 2 कि0मी0 पथांश ग्राम दुन्दु के निकट वन क्षेत्र में पड़ता है इस पथ को मार्ग रेखन में जयपुर, मंझगांव, शाहपोखर,गम्हरी तथा दुन्दु अनजुड़े .गांव पड़ते हैं । यह पथ आंशिक रूप से विभिाग मार्ग रेखन पर अवस्थित है । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और पूरा इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है । जब भी घटना होती है तो उस इलाके में पुलिस अपनी गाड़ी से जाना नहीं चाहती है । पैदल जाना पड़ता है । जब घटना घट जाती है तो अगर शाम को 4 बजे घटना हुई तो दूसरे दिन सुबह पुलिस वहां पहुंचती है । तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो स्थिति है, उस इलाके का उसको देखते हुये हम विनती करते हैं कि प्राथमिकता के आधार पर इस सड़क को देखना चाहिए और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से मा0स0 श्री कुमार सर्वजीत जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक 115 श्री राहुल तिवारी</u>

श्री राहुल तिवारी : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि भोजपुर जिलान्तर्गत शाहपुर प्रखंड एवं उसके आस-पास के अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित 75 टोलों में सतही जल गंगा नदी आधारित बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति की वर्ष 2012 में ही स्वीकृति योजना हेतु भू-अर्जन शीघ्र करावे । ''

श्री कृष्णनन्दन प्र0 वर्मा : महोदय,केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंउ एवं उसके आस-पास के अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित 75 टोलों में सतही जल गंगा नदी के उपयोग से पाईप जलापूर्त्ति योजना के निर्माण हेतु 238.84करोड ़रूपये की योजना की स्वीकृति वर्ष 2012 में दी गयी है । उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक 18.05 एकड भू-अर्जन नई भू-अर्जन नीति के तहत विहित प्रपत्र में अधियाचना 20.11.2014 द्वारा समर्पित की गयी । उक्त भूमि को परियोजना हेतु देने के संबंध में किसानों की सहमति प्राप्त कर ली गयी है । तत्पश्चात् भूमि की स्थल जांच हेतु गठित संयुक्त जांच दल के द्वारा जांचोपरांत सम्प्रति जांच प्रतिवेदन प्रस्तावित भू-भाग को नलकूप द्वारा सिंचित एवं बहु फसलीय बताया तथा नियमानुसार अर्जन हेतु अनुशंसा की गयी । इस क्रम में भू-अर्जन की प्रक्रिया में काफी विलंब होने की संभावना को देखते हुये 10 एकड़ भूमि परपीचुअल लीज के आधाार पर अधिग्रहित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है ताकि कम समय में योजना का निर्माण प्रारंभ किया जा सके । परपीचुअल लीज के अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,जगदीशपुर एवं कार्यपालक अभियंता,लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा को निर्देशित किया गया है । इनके द्वारा शाहपुर प्रखंड के दामोदरपुर ग्राम में पूर्व के अधियाचित जमीन के अलावा 10 एकड का वैकल्पिक जमीन भी चिन्हित किया गया है । प्रासंगिक योजना हेतु प्रस्तावित स्थल का बाढ़ के कारण कटाव को ध्यान में रखते हुये बहुग्रामीण जलापूर्त्ति योजना हेतु ट्रीटमेंट प्लांट एवं जे0टी स्ट्रक्चर के निर्माण हेतु स्थल चयन करने में अत्यंत सावधाानी की आवश्कता है । उक्त आलोक में उच्च स्तर की टीम गठित कर निर्णय शीघ्र लिया जायेगा एवं तदनुसार शीघ्र कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राहुल तिवारी : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से मा0स0 श्री राहुल तिवारी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक 116 श्री मदनमोहन तिवारी

श्री मदन मोहन तिवारी : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पं0 चम्पारण जिला के बेतिया शहर के छावनी रेलवे गुमटी पर ओवर ब्रीज का निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे । ''

श्री चन्द्रिका राय : महोदय, प0 चम्पारण के बेतिया शहर के छावनी रेलवे गुमटी पर ओवर ब्रीज का निर्माण हो जाने से आने-जाने की सुविधा हो जायेगी । अत: उक्त स्थान पर राज्य सरकार ओवर ब्रीज के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय से सिफारिश करेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया ।

सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टर्न-43/सत्येन्द्र/1-4-16

क्रमांक-117,श्री राजीव नंदन

श्री राजीव नंदन: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला अन्तर्गत गुरारू प्रखंड में एन0एच0-69 के सुचारू रूप से परिचालन के लिए ग्रेन्ड कार्ड रेलवे लाईन पर स्थित गुरारू गुमटी नं0-operatil,11/a spl पर रेलवे ओवरब्रीज निर्माण हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।'

श्री चन्द्रिका राय: महोदय,गया जिलान्तर्गत गुरारू प्रखंड में एस0एच0-69 के सुचारू रूप से परिचालन के लिए ग्रेन्ड कार्ड रेलवे लाईन पर स्थित गुमटी नं0-operatil,11/a spl पर ओवर ब्रीज निर्माण हो जाने पर क्षेत्रीय आम जनता को रेलवे लाईन क्रास नहीं करना पड़ेगा और दुर्घटना की संभावना नहीं रहेगी। अत: उक्त स्थान पर ओवर ब्रीज निर्माण कराने हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करेगी। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

अध्यक्ष : इनका प्रस्ताव तो स्वीकृत हो गया ।

सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-122 श्री जयवर्धन यादव

श्री जयवर्धन यादवः अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल में न्यायालय भवन का निर्माण करावे।'

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्माः अध्यक्ष महोदय,इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 20-5-2015 के प्रभाव से पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल में अवर न्यायाधीश एवं मुंसिफ का न्यायालय कार्यरत है। पालीगंज में न्यायालय भवन के निर्माण हेतु 1. 20 एकड़ भूमि हस्तांतरित है। उक्त हस्तांतरित भूमि पर भवनों के निर्माण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना का मंतव्य मांगा गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना का मंतव्य प्राप्त होने तक तदनुसार भवन निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। उक्त भूमि के अतिरिक्त 3 एकड़ अन्य सरकारी भूमि के हस्तांतरण का अनुरोध भी जिलाधिकारी, पटना से किया गया है। अतिरिक्त भूमि के हस्तांतरण के उपरांत उस पर माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से भवन निर्माण किया जा सकेगा। अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे कृपया वापस लेने की कृपा करें।

श्री जयवर्धन यादवः प्रस्ताव वापस लेता हूॅ।

अध्यक्षः ठीक है,माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक-119-श्रीमती अमिता भूषण

श्रीमती अमिता भूषणः अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिले में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए छात्रों की कठिनाईयों को देखते हुए बेगूसराय में तात्कालिक रूप से मिथिला विश्वविद्यालय का एक उपकेन्द्र खोले ।'

श्री अशोक चौधरीः अध्यक्ष महोदय,विश्वविद्यालय एक स्वायतशासी निकाय है। इसका उपकेन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया जाना विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार है। राज्य सरकार द्वारा बेगूसराय में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय केन्द्र खोले जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । भविष्य में इस संबंध में विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत सरकार निर्णय लेगी।

श्रीमती अमिता भूषणः अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में विश्वविद्यालय खोले जाने को लेकर वहां के छात्र लम्बे समय से संघर्ष करते रहे हैं । वर्त्तमान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में होने से विशेष रूप से छात्राओं को काफी परेशानी होती है । उच्च शिक्षा प्राप्त करना खासकर लड़कियों की एक मजबूत परिकल्पना

है। नये विश्वविद्यालय के खोले जाने तक यहां पर तात्कालिक रूप से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का उपकेन्द्र खोले जाने से छात्रों को शारीरिक और आर्थिक परेशानी से राहत प्राप्त हो सकेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री को मैं कहना चाहती हूॅ कि 2 साल पूर्व सिंडिकेट से भी ये प्रस्ताव पारित हो चुका है और पूर्व में सदन में भी पूर्व शिक्षा मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया है तो कहीं न कहीं बेगूसराय की अनदेखी की गई है । अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहती हूॅ कि माननीय शिक्षा मंत्री इसमें पहल करें । इससे बहुत लोगों की, खासकर वहां के छात्र छात्राएं और अभिभावकों की, परेशानी दूर हो जायेगी।

अध्यक्षः माननीय सदस्या,माननीय मंत्री जी ने तो कहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी से इस संबंध में प्रस्ताव के लिए कहा है, उत्तर तो सकारात्मक है आप इसको वापस ले लीजिये।

श्रीमती अमिता भूषणः मैं प्रस्ताव वापस लेती हूॅ अध्यक्ष महोदय के आश्वासन के बाद।

अध्यक्षः ठीक है,सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रम संख्या–123,श्री शमीम अहमद

श्री शमीम अहमदः अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी से सिसवनियां जाने वाली पथ में बरवाडीह पर पुल का निर्माण करावे।'

श्री शैलेश कुमारः महोदय, अभिस्तावित पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित मोतिहारी छपरा एन0एच028 एक सतही पथ पर अवस्थित है। पुल का प्रस्ताव पी0एम0जी0एस0वाई0 के मिसिंग पथ के अन्तर्गत इसकी स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

अध्यक्षः सरकार कार्रवाई कर रही है शमीम जी।

श्री शमीम अहमदः महोदय, 5–6 साल पहले ही वहां से 2 कि0मी0 आगे 5–6 करोड़ की लागत से पुल बनी है इसके बीच में ध्वस्त हो जाने की वजह से आवागमन ठप्प होने के कागार पर है। मैं माननीय मंत्री जी को कहेंगे कि जल्द से जल्द काम करवायें और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूॅ।

अध्यक्षः ठीक है, सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक–124 श्री नन्द कुमार राय

श्री नन्द कुमार रायः अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड में स्थित चीनी मिल विगत 20 वर्षों से बंद है,को शीध्र चालू करावे।'

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमदः अध्यक्ष महोदय,मोतीपुर चीनी मिल बिहार राज्य चीनी निगम लि0 की एक इकाई है जो वर्ष 1996–97 से बंद थी। इसे पुनर्जीवित करने हेतु निगम के अन्य बंद इकाईयों के साथ निविदा आमंत्रित किया गया। उपरोक्त निविदा प्रक्रिया अन्तर्गत मे0 इंडियन पोटाश लि0, मोतीपुर इकाई के लिए सफल रहे। निविदाकर्त्ता को लीज पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त अन्तर्गत मे0 इंडियन पोटाश लि0 के साथ मोतीपुर चीनी मिल स्थल पर एक 3500 टी0सी0डी0 की चीनी मिल 45 के0एल0 की एक डिस्टलरी एवं 18 मेगावाट के विद्युत इकाई की स्थापना हेतु दिनांक 12–1–2011 को एकरारनामा संपादित किया गया । सरकार द्वारा किये गये उपरोक्त हस्तांतरण के विरूद्ध इस मिल के पूर्व प्रबंधन एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका दायर की गयी जिनमें उनके पक्ष में न्याय निर्णय प्राप्त हुआ। प्राप्त न्याय निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल0पी0ए0 दायर किया गया है जिसमें सरकार के पक्ष में न्याय निर्णय प्राप्त हुआ। उपरोक्त न्यायादेश के विरूद्ध वादियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एस0एल0पी0 नं0–14616 दिनांक 18–6–14 दायर किया गया है वर्त्तमान में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें।

श्री नन्द कुमार रायः अध्यक्ष महोदय,मुजफ्फरपुर जिला में एकमात्र चीनी मिल है।

अध्यक्षः यह एकमात्र चीनी मिल है और इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

श्री नन्द कुमार राय : सरकार से मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी उस केस का निष्पादन कराया जाय और मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूॅ।

अध्यक्षः ठीक है, सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक–125–श्री राघव शरण पाण्डेय

श्री राघव शरण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गन्ना किसानों के हित में दि बिहार सुगर केन ऐक्ट 1981 में संशोधन कर यह सुनिश्चित करे कि मिल प्रबंधन ईख प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के अन्दर मूल्य भुगतान करे और बिलम्ब की स्थिति में मूल्य के साथ–साथ 02 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से व्याज का भी भुगतान करे।'

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद: अध्यक्ष महोदय,बिहार ईख अधिनियम 1981 की धारा 43 जो पूर्व से ही प्रावधानित है। जब चीनी मिल का मालिक किसानो के लिए मूल्य का भुगतान 14 दिनों के बाद करता है तो वैसी स्थिति में ईख अधिनियम की धारा 51 में वर्णित सूद के साथ बकाये ईख मूल्य भुगतान किया जायेगा। अधिनियम की उपरोक्त प्रावधान के अनुपालन हेतु चीनी मिलों को भी विभाग के स्तर से निर्देश दिये गये हैं।(क्रमश:)

टर्न–44/मधुप/01.4.2016

..क्रमश:..

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद : पेराई सत्र 2015–16 के लिए राज्य के चीनी मिलों में इसी माह पेराई कार्य समाप्त हुआ है । राज्य के चीनी मिलों द्वारा इस वर्ष दिनांक 15.3. 16 के प्रतिवेदन के अनुसार 485 लाख क्वींटल गन्ने की पेराई की गई है जिसके निमित्त गत वर्ष के दर पर भुगतेय ईख मूल्य 1218 करोड़ रूपये के विरूद्ध 917 करोड़ रूपये का भुगतान मिलों द्वारा किया जा चुका है । शेष 300 करोड़ रूपये ईख मूल्य के मद में बकाया है । भुगतान का प्रतिशत 75.29 परसेंट है जो गत वर्षों की तुलना में संतोषप्रद है । मिलों द्वारा शेष बची ईख मूल्यों की राशि का भी लगातार भुगतान किया जा रहा है । मुख्य रूप से रीगा एवं सासामूसा चीनी मिलें समय पर ईख मूल्य भुगतान करने में पीछे हैं । इन मिलों द्वारा आर्थिक कठिनाइयों का उल्लेख किया जाता रहा है । सरकार के स्तर से भी चीनी मिलों को आर्थिक स्थायित्व हेतु समय–समय पर हाल के वर्षों में अनुदान विभिन्न प्रकार के करों एवं कमीशन के भुगतान में छूट एवं चीनी मिलों को ईख मूल्य भुगतान हेतु बैंकों से सूद मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु सहयोग दिये गये हैं । रीगा एवं सासामूसा चीनी मिलों के जिम्मे बकाये ईख मूल्य के राशि की सूद सहित वसूली हेतु अधिनियम के प्रावधानों के

अन्तर्गत विभाग के स्तर से वैधिक कार्रवाई करते हुए नीलामपत्र वाद भी दायर किये गये हैं, जो प्रक्रियाधीन है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, मुद्दा एक ही है कि गन्ना के मूल्य के साथ-साथ सूद भी दिया जाता है कि नहीं, प्रावधान है । कई मामलों में विलम्ब हुये हैं, एक मामले में भी सूद किसी किसान को नहीं मिला है । इसीलिये मेरा अनुरोध था कि यह किया जाय ।

मैं प्रस्ताव वापस लूँगा, मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, वह सब सही है लेकिन सूद मिलेगा कि नहीं, उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी कानून में उसके अलावा, ताकि कानून में जो प्रावधान है वह व्यवहारिक हो जाय । मेरा सुझाव था कि कानून में बदलाव कर दिया जाय ताकि वह होने लगे । मेरा अनुरोध यही है सरकार से ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-126 : श्री उपेन्द्र पासवान

श्री उपेन्द्र पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के नावकोढ़ी प्रखंड के पहसहरा चौक से बखरी प्रखंड के बगरस चौक तक की जर्जर सड़क का यथाशीघ्र निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित पथ जिसकी लम्बाई 14.95 कि0मी0 है, का निर्माण केन्द्रीय एजेन्सी सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कराया गया है । पथ की अनुरक्षण अवधि 04.2.15 को समाप्त हो चुकी है । पथ राज्य अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी-1 में सम्मिलित है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ का मरम्मति कार्य कराया जा सकेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री उपेन्द्र पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि यह सड़क 9 पंचायतों को जोड़ती है । मध्य होकर गुजरती है जो बगरस चौक तक जाती है जहाँ से पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित बाहुल्य क्षेत्र है, जो बेगूसराय जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है । अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि यह सड़क कबतक.....

अध्यक्ष : उपेन्द्र जी, इसमें पूरक प्रश्न नहीं होता है । आप जानना कुछ नहीं चाहिये, यह बताइये कि वापस ले रहे हैं कि नहीं !

श्री उपेन्द्र पासवान : वापस ले रहे हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–127 : श्री सुबोध राय

(अनुपस्थित)

क्रमांक–128 : श्री विद्यासागर केसरी

श्री विद्यासागर केसरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के रेणुगाँव सिमराहाँ को प्रखंड का दर्जा प्रदान करे ।''

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के रेणुगाँव सिमराहाँ को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में श्री के0एन0 विश्वास, वरीय अधिवक्ता, अध्यक्ष, रेणुगाँव सिमराहाँ प्रखंड निर्माण संघर्ष मोर्चा, अररिया का अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है । प्राप्त अनुरोध के आलोक में अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज प्रखंड के रेणुगाँव सिमराहाँ को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, अररिया को निर्देश दिया गया है ।

सम्प्रति, पंचायत आम निर्वाचन, 2016 अधिसूचित है फलस्वरूप तत्काल प्रखंड सृजन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है । अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विद्यासागर केसरी : अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज प्रखंड ग्रामीण क्षेत्र के दृष्टिकोण से 32 पंचायत है, नगर परिषद् की 25 वार्ड है और जोगबनी का 19 वार्ड है । इतना बड़ा प्रखंड होने के बावजूद.....

अध्यक्ष : केसरी जी, सरकार ने तो सकारात्मक कहा है कि उसने जिला पदाधिकारी से प्रस्ताव की समीक्षा करके भेजने को कहा है । अभी पंचायत निर्वाचन चल रहा है, इसीलिये अभी सरकार कुछ नहीं कर सकती है । इतना सकारात्मक जवाब पर तो वापस ले लीजिये !

श्री विद्यासागर केसरी : मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देता हूँ कि यह काम जल्दी से हो जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–130 : श्री सीताराम यादव

श्री सीताराम यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड स्थित सिराही एवं सुरयाही ग्राम के बीच बछराजा नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभिस्तावित स्थल पर 60 मीटर लम्बे उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता है । यह पुल सिराही से सुरयाही पथ पर अवस्थित है । इस पथ की लम्बाई 5 कि0मी0 है जो राज्य कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक 15 पर अंकित है । मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना ब्रिक्स सम्पोषित योजना अंतर्गत पथ एवं पुल का सर्वेक्षण कार्य कराया जा चुका है । डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है । स्वीकृति उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सीताराम यादव : माननीय मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–131 : श्री मनोहर प्रसाद सिंह

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड के प्राणपुर मध्य विद्यालय से बैरिया तक सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है क्योंकि उक्त पथ का बसावट प्राणपुर से मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत निर्मित पथ प्राणपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाल बथानी से सम्पर्कता प्राप्त है तथा बसावट बैरिया को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित पथ टी–1 में

दिलावरपुर मुसहरी पथ के निर्माण से सम्पर्कता प्राप्त हो जायेगी । अभिस्तावित पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, वापस तो ले ही रहा हूँ लेकिन चूँकि बैरिया को कोई दूसरा रास्ता नहीं है रोड पर आने का और यह सबसे शॉर्ट रास्ता है । इसीलिये मैंने अनुरोध किया है । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–88 : श्री हरि नारायण सिंह

श्री हरि नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिलान्तर्गत हरनौत प्रखंड के ग्राम पंचायत–गोनावाँ अन्तर्गत हरनौत–बाढ़ एन0एच0–30ए के भुआपुर पथ से सटे ग्राम–चकजैनव के नजदीक पंचाने नदी में तीन मुँह का आर0सी0सी0 पुल निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ ग्रामीण कार्य विभाग की कोई पक्की सड़क निर्मित नहीं है तथा इस स्थल के मात्र 2.5 कि0मी0 की दूरी पर अप–स्ट्रीम में पंचाने नदी पर पुल निर्मित है । अभिस्तावित पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री हरि नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरनौत प्रखंड के ग्राम पंचायत गोनावाँ अन्तर्गत चकजैनव के साथ–साथ चार ऐसे गाँव हैं जो नदी के उस पार हैं ।

...क्रमश:...

टर्न–45/आजाद/01.04.2016

..... क्रमश: .....

श्री हरिनारायण सिंह : 6 महीना बरसात के दिनों में कोई आदमी आर–पार नहीं आ सकता है । प्राय: प्रतिवर्ष दो–तीन आदमी उस नदी में डूब जाते हैं । इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस पुल का निर्माण विशेष परिस्थिति में करायें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री हरिनारायण सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री हरिनारायण सिह का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक 1 - सुश्री पूनम पासवान

सुश्री पुनम पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड मुख्यालय में एक ट्रामा सेंटर का निर्माण करावे । ''

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में नौ ट्रामा सेंटर खोलने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है । तत्काल कोढ़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उत्क्रमित कर 30 बेड वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जा रहा है । कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड में ट्रामा सेंटर की योजना नहीं है ।

इसी के साथ मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करता हूँ कि वे संकल्प को वापस लें।

सुश्री पूनम पासवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार की योजना नहीं है लेकिन एन0एच0-30, स्टेट हाईवे रोड, फल्का प्रखंड में जो पूर्णिया से अररिया होते हुए बहुत लम्बी सड़क है । आये दिन रोज दुर्घटना होती है, जिसके कारण कटिहार में कोई सही ढंग का सुविधा नहीं है, जिससे एक्सीडेंट होने पर मरीज का सही ढंग से इलाज हो पाये । इसीलिए अगर ट्रामा सेंटर की योजना है तो सरकार को मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अगर योजना है तो वहां दे क्योंकि कोढ़ा में काफी जमीन है कोढ़ा सिमरिया में, वहां 200 एकड़ जमीन है बिहार सरकार की, इसके लिए यह जगह पर्याप्त है । अगर योजना है तो कोढ़ा प्रखंड में खोलने की कृपा की जाय ।

माननीय मंत्री जी के आश्वस्त होने पर मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या सुश्री पुनम पासवान का संकल्प वापस हुआ।

क्रमांक 14 - श्री सुरेन्द्र कुमार

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक 26 - श्री मुजाहिद आलम

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक 46 - श्री अमित कुमार

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक 47 - श्री अचमित ऋषिदेव

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कुरसेला–रानीगंज–फारबिसगंज राज्य उच्च पथ में दोगच्छी पलटनिया 10(दस) नम्बर रोड से भाया डाकबंगला–गुणवंती–वसैटी–पूर्णिया एन0एच0 31 तक सड़क को राज्य उच्च पथ में परिवर्तित करावे । ''

श्री आलोक कुमार मेहता : मैं इसे देखवा लेता हूँ । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि आप इसे वापस ले लीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि देखवा लेंगे, इसलिए आप इसे वापस ले लीजिए ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अचमित ऋषिदेव का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक 52 – श्रीमती एज्या यादव

श्रीमती एज्या यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :–

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहनपुर के धर्मी पंचायत में हरदासपुर घाट पर गंगा नदी में पीपा पुल का निर्माण करावे । ''

महोदय, मुझे इसका जवाब मिल गया है । इसलिए मैं प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती एज्या यादव का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक 55 – श्री विजय कुमार मंडल

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक 73 – श्रीमती कुन्ती देवी

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक 85 – श्री चन्दन कुमार

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक 86 – श्री समीर कुमार महासेठ

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक 94 – श्री सुरेश कुमार शर्मा

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक 135 – श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, मेरा ऑर्डर पेपर पर पथ निर्माण विभाग लिखा था, इसमें कहा गया कि ग्रामीण कार्य देंगे और ग्रामीण कार्य कहे कि जल संसाधन विभाग देंगे तो 4 तारीख को कम से कम स्पष्ट कर दिया जाय कि कौन विभाग जवाब देंगे ?

अध्यक्ष : आपका स्थानान्तरित हुआ है, वह तो उसी समय बता दिया गया था ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : चार तारीख को होगा सर ?

अध्यक्ष : आज दिनांक 1 अप्रील, 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–49 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 4 अप्रील, 2016 को 9.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

****

परिशिष्ट

राज्य में भूगर्भ जलस्तर की अद्यतन् स्थिति का विश्लेषण

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों/कार्य प्रमंडलों के स्तर पर भू–जल स्तर की नियमित मोनेटरिंग की जा रही है। वर्ष 2016 में हर जिला के प्रत्येक प्रखंड के 5–5 चापाकलों के भू–जलस्तर की साप्ताहिक मापी ली जा रही है। उक्त भू–जल स्तर की मापी के आंकड़ो के आलोक में तुलनात्मक विवरणी निम्नवत् है:–

1.राज्य के दक्षिणी भाग के 17 जिलों का Median Value के आधार पर सारणी I का विश्लेषण

मार्च'2014 की तुलना में मार्च'2016 (अंतिम सप्ताह) का विश्लेषण:–

क्र0 स0	भू–जलस्तर में गिरावट	संबंधित जिला का नाम	संबंधित लो0 स्वा0 प्रमंडल
I	0'-1' के बीच	पटना,नालंदा,गया,नवादा,रोहतास,शेखपुरा	पटना(प0),बिहारशरीफ,गया,नवादा, सासाराम,शेखपुरा
II	1'-2' के बीच	नालंदा,औरंगाबाद, लखीसराय	हिलसा,औरंगाबाद, लखीसराय
शेष जिलों में औसत भू–जलस्तर गिरावट नही पायी गयी है।			

मार्च'2015 की तुलना में मार्च'2016 (अंतिम सप्ताह) का विश्लेषण:–

क्र0 स0	भू–जलस्तर में गिरावट	संबंधित जिला का नाम	संबंधित लो0 स्वा0 प्रमंडल
I	0'-1' के बीच	नालंदा,नवादा,रोहतास, लखीसराय,भागलपुर	बिहारशरीफ,नवादा,सासाराम, लखीसराय भागलपुर पश्चिम,
II	1'-2' के बीच	पटना,नालंदा,गया,औरंगाबाद,शेखपुरा	पटना(प0),हिलसा,गया,औरंगाबाद, शेखपुरा
शेष जिलों में औसत भू–जलस्तर गिरावट नही पायी गयी है।			

2.राज्य के उत्तरी भाग के 21 जिलों का Median Value के आधार पर सारणी II का विश्लेषण

मार्च'2014 की तुलना में मार्च'2016 (अंतिम सप्ताह) का विश्लेषण:–

क्र0 स0	भू–जलस्तर में गिरावट	संबंधित जिला का नाम	संबंधित लो0 स्वा0 प्रमंडल
जिलों में औसत भू–जलस्तर गिरावट नही पायी गयी है।			

मार्च'2015 की तुलना में मार्च'2016 (अंतिम सप्ताह) का विश्लेषण:–

क्र0 स0	भू–जलस्तर में गिरावट	संबंधित जिला का नाम	संबंधित लो0 स्वा0 प्रमंडल
जिलों में औसत भू–जलस्तर गिरावट नही पायी गयी है।			

सारणी–I

बिहार सरकार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

जिलावार औसत जलस्तर के संबंध में प्रतिवेदन

क्रम सं०	जिला का नाम	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	Median: मार्च 2014 अंतिम सप्ताह	Median: मार्च 2015 अंतिम सप्ताह	Median: सितम्बर 2015	Median: अक्टूबर 2015	Median: नवम्बर 2015	Median: दिसम्बर 2015	Median: जनवरी 2016	Median: फरवरी 2016	Median: मार्च 2016 अंतिम सप्ताह	Difference in Median: (*) w.r.t मार्च 2014 (4–12)	Difference in Median: (*) w.r.t मार्च 2015 (5–12)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पटना	पटना पूर्व	18'2''	16'2''	17'0''	16'0''	15'9''	15'9''	15'9''	15'9''	16'1''	+2'1''	+0'1''	
		पटना पश्चिम	25'6''	24'9''	19'0''	17'0''	16'7''	16'7''	16'7''	16'7''	26'0''	–0'6''	–1'3''	
2	नालंदा	बिहारशरीफ	30'9''	30'6''	19'2''	18'4''	18'0''	18'0''	18'0''	18'0''	31'3''	–0'6''	–0'10''	
		हिलसा	28'5''	28'2''	26'3''	25'0''	23'2''	23'2''	23'2''	23'2''	30'1''	–1'8''	–1'11''	
3	गया	गया	28'3''	28'0''	24'5''	24'0''	22'2''	22'2''	22'2''	22'2''	29'1''	–0'10''	–1'1''	
4	नवादा	नवादा	26'4''	26'8''	24'6''	24'0''	23'2''	23'2''	23'2''	23'2''	27'2''	–0'10''	–0'6''	
5	औरंगाबाद	औरंगाबाद	29'0''	29'4''	25'0''	23'0''	21'0''	21'0''	21'0''	21'0''	30'5''	–1'5''	–1'1''	
6	जहानाबाद	जहानाबाद	28'0''	27'0''	17'0''	16'0''	16'0''	16'0''	16'0''	16'0''	27'0''	+1'0''	0	
7	अरवल	अरवल	20'9''	20'4''	14'5''	14'0''	12'0''	12'0''	12'0''	12'0''	20'0''	+0'9''	+0'4''	
8	भोजपुर	आरा	16'1''	16'8''	18'2''	16'0''	16'0''	16'0''	16'0''	16'0''	16'0''	+0'1''	+0'8''	
9	बक्सर	बक्सर	28'3''	27'6''	25'0''	25'0''	23'2''	23'2''	23'2''	23'2''	28'5''	–0'2''	–0'11''	
10	रोहतास	सासाराम	18'11''	18'9''	18'4''	18'0''	16'0''	16'0''	16'0''	16'0''	19'6''	–0'7''	–0'9''	
11	कैमूर	भभुआ	38'4''	37'6''	27'3''	27'0''	24'3''	24'3''	24'3''	24'3''	38'6''	–0'2''	–1'0''	
12	मुंगेर	मुंगेर	19'3''	16'10''	16'0''	14'0''	14'0''	14'0''	14'0''	14'0''	16'3''	+3'0''	+0'7''	
13	जमुई	जमुई	22'3''	21'9''	22'0''	22'0''	20'2''	20'2''	20'2''	20'2''	22'1''	+0'2''	–0'4''	
14	शेखपुरा	शेखपुरा	26'8''	26'0''	22'5''	22'0''	19'0''	19'0''	19'0''	19'0''	27'2''	–0'6''	–1'2''	
15	लखीसराय	लखीसराय	21'9''	22'6''	19'0''	19'0''	17'5''	17'5''	17'5''	17'5''	23'0''	–1'3''	–0'6''	
16	भागलपुर	भागलपुर पूर्व	31'0''	32'1''	29'3''	29'3''	29'0''	29'0''	29'0''	29'0''	29'4''	+1'8''	+2'9''	
		भागलपुर पश्चिम	20'9''	20'7''	21'0''	18'0''	17'3''	17'3''	17'3''	17'3''	20'9''	0	–0'2''	
17	बाँका	बाँका	20'0''	17'0''	20'5''	19'0''	17'2''	17'2''	17'2''	17'2''				[illegible]

(*) (+)
(–)

सारणी–II														
बिहार सरकार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।														
जिलावार औसत जलस्तर के संबंध में प्रतिवेदन														
क्रम सं०	जिला का नाम	लो० स्वा० प्रमण्डल का नाम	Median									Difference in Median		
			मार्च 2014 अंतिम सप्ताह	मार्च 2015 अंतिम सप्ताह	सितम्बर 2015	अक्टूबर 2015	नवम्बर 2015	दिसम्बर 2015	जनवरी 2016	फरवरी 2016	मार्च 2016 अंतिम सप्ताह	(*) w.r.t मार्च 2014 (4−12)	(*) w.r.t मार्च 2015 (5−12)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	वैशाली	हाजीपुर	18'7"	14'0"	15'0"	11'0"	10'0"	9'0"	9'0"	9'0"	18'3"	+0'4"	+3'7"	
2	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	—	20'11"	19'0"	12'3"	12'0"	10'2"	10'2"	10'2"	18'3"	—	+2'8"	
3	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	—	12'8"	12'0"	12'0"	11'5"	11'0"	11'0"	11'0"				जलस्तर प्रतिवेदन अप्राप्त
4	शिवहर	शिवहर	12'0"	9'5"	9'4"	9'0"	8'3"	7'10"	7'10"	7'10"	11'4"	+0'8"	+0'11"	
5	सारण	छपरा	16'10"	15'10"	15'0"	10'0"	9'0"	8'2"	8'2"	8'2"	15'10"	0	0	
6	गोपालगंज	गोपालगंज	9'11"	9'2"	10'0"	10'0"	9'0"	8'7"	8'7"	8'7"				जलस्तर प्रतिवेदन अप्राप्त
7	सीवान	सीवान	13'0"	11'6"	12'5"	12'0"	10'0"	9'7"	9'7"	9'7"				जलस्तर प्रतिवेदन अप्राप्त
8	बेगुसराय	बेगुसराय	20'2"	19'2"	22'9"	22'9"	21'5"	19'3"	19'3"	19'3"				जलस्तर प्रतिवेदन अप्राप्त
9	खगड़िया	खगड़िया	13'0"	19'9"	17'6"	17'6"	17'0"	16'7"	16'7"	16'7"				जलस्तर प्रतिवेदन अप्राप्त
10	कटिहार	कटिहार	11'6"	10'3"	12'2"	11'0"	10'0"	10'0"	10'0"	10'0"				जलस्तर प्रतिवेदन अप्राप्त
11	समस्तीपुर	समस्तीपुर	—	23'2"	21'7"	21'7"	21'7"	21'0"	21'0"	21'0"				जलस्तर प्रतिवेदन अप्राप्त
12	दरभंगा	दरभंगा	15'1"	15'6"	17'0"	17'0"	16'0"	14'0"	14'0"	14'0"	14'0"	+0'10"	+0'10"	
13	मधुबनी	मधुबनी	18'6"	14'6"	13'2"	13'2"	13'2"	13'0"	13'0"	13'0"				जलस्तर प्रतिवेदन अप्राप्त
14	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	10'0"	10'0"	9'2"	9'2"	9'2"	8'5"	8'5"	8'5"	10'0"	0	0	
		ढाका	—	13'9"	12'6"	12'5"	12'0"	11'2"	11'2"	11'2"	13'7"	—	+0'2"	
15	प० चम्पारण	बेतिया	13'6"	13'8"	13'10"	13'8"	13'4"	13'0"	13'0"	13'0"				जलस्तर प्रतिवेदन अप्राप्त
16	सहरसा	सहरसा	11'2"	11'7"	9'2"	9'2"	9'2"	9'0"	9'0"	9'0"	11'2"	0	+0'5"	
17	सुपौल	सुपौल	8'9"	8'3"	7'8"	7'6"	7'2"	7'2"	7'2"	7'2"				जलस्तर प्रतिवेदन अप्राप्त
18	मधेपुरा	मधेपुरा	8'9"	11'7"	10'3"	10'3"	9'0"	9'5"	9'5"	9'5"				जलस्तर प्रतिवेदन अप्राप्त
19	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	11'0"	11'3"	10'2"	10'2"	10'2"	10'0"	10'0"	10'0"				जलस्तर प्रतिवेदन अप्राप्त
20	किशनगंज	किशनगंज	10'11"	11'0"	9'0"	8'0"	8'0"	8'0"	8'0"	8'0"				जलस्तर प्रतिवेदन अप्राप्त
21	अररिया	अररिया	10'9"	10'5"	10'9"	10'9"	10'9"	10'8"	10'8"	10'8"				जलस्तर प्रतिवेदन अप्राप्त

(+) ऊपर
(−) नीचे

31-3.2016

Public Health Engineering Department, Govt. of Bihar

Progress Report of Sinking & R/M of Hand Pumps

Sl	Dist	P.H.Division	Target of sinking of Hand Pumps						Achievement 2015-16						Special Repair of Hand Pumps (2009-10)		Ordinary repair of HandPumps 2015-16	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total	Balance Target as on [illegible]	Achievement [illegible]	Total Target	Total Achievement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Patna	Patna(E)	0	193	703	1904	559	3759	0	91	221	453	10	775	0		3578	1783
	"	Patna(W)	0	47	406	5138	8845	14436	0	0	60	1049	0	1109	0		4481	2213
2	Nalanda	Biharsharif	0	8	143	1867	931	2949	0	8	43	1262	35	1348	0		3583	1985
	"	Hilsa	0	70	169	1114	556	1909	0	4	168	690	0	862	0		1906	1384
3	Gaya	Gaya	0	38	386	4182	1871	6477	0	0	246	2833	0	3079	0		5823	3171
4	Jehanabad	Jehanabad	0	9	49	837	550	1445	0	0	0	681	137	818	0		1743	1356
5	Arwal	Arwal	0	0	0	602	375	977	0	0	0	380	123	503	0		1670	1258
6	Nawada	Nawada	0	0	0	2110	1034	3144	0	0	0	1947	809	2756	0		3814	3365
7	Aurangabad	Aurangabad	0	0	119	2326	1134	3579	0	0	119	1994	0	2113	0		4514	2120
8	Rohtas	Sasaram	0	37	348	2775	1459	4619	0	37	324	2327	0	2688	0		5172	2913
9	Kaimur	Bhabua	0	0	165	1706	811	2682	0	0	26	846	0	872	0		3480	2875
10	Bhojpur	Ara	0	97	569	2214	1349	4229	0	66	407	916	0	1389	0		5683	3121
11	Buxar	Buxar	0	26	249	1361	830	2466	0	26	160	826	0	1012	0		3284	2021
12	Bhagalpur	Bhagalpur(E)	0	0	86	1020	805	2910	0	0	31	1730	302	2053	0		3279	1844
	"	Bhagalpur(W)	0	15	259	1034	558	1857	0	8	227	903	190	1326	0		1536	778
13	Banka	Banka	0	0	71	2420	961	3452	0	0	65	1501	18	1584	0		4712	2437
14	Munger	Munger	0	34	131	1386	730	2281	0	3	0	1099	133	1235	0		2514	1341
15	Shekhpura	Shekhpura	0	0	4	785	347	1136	0	0	0	647	0	647	0		976	656
16	Lakhisarai	Lakhisarai	0	0	81	1040	490	1591	0	0	61	975	80	1116	0		2444	1327
17	Jamui	Jamui	0	0	0	1712	847	2559	0	0	0	1567	0	1567	0		3287	1986
18	Muzaffarpur	Muzaffarpur	0	0	473	4134	2114	6721	0	0	459	2344	0	2803	0		7049	4542
19	Vaishali	Hajipur	0	13	391	2528	1570	4502	0	1	383	1108	0	1492	0		3985	2496
20	Sitamarhi	Sitamarhi	0	20	443	2921	1477	4861	0	0	407	2400	0	2807	0		6170	3301
21	Sheohar	Seohar	0	0	0	489	280	769	0	0	0	386	0	386	0		1920	1123
22	Saran	Chapra	0	0	235	3035	1835	5105	0	0	218	1677	0	1895	0		7153	3443
23	Siwan	Siwan	0	0	590	2930	1568	5058	0	0	560	1430	0	1990	0		10629	5479
24	Gopalganj	Gopalganj	0	91	332	2173	1276	3872	0	39	319	1363	0	1721	0		8444	4077
25	East Champaran	Motihari	200	0	185	2147	1271	3804	0	0	156	1166	0	1322	0		4862	2361
	"	Dhaka	778	45	254	1589	995	3661	0	36	189	855	0	1080	76		3194	1731
26	West Champaran	Bettiah	0	12	574	3170	1811	5567	0	6	146	1545	0	1697	0		7956	4154
27	Darbhanga	Darbhanga	401	5	364	3000	1822	5652	77	0	252	2255	202	2786	0		8090	3493
28	Samastipur	Samastipur	0	63	525	3400	1995	5983	0	10	261	2634	55	2950	0		9910	3471
29	Begusarai	Begusarai	670	24	284	2437	1419	4834	0	0	280	2041	0	2321	0		6183	3005
30	Madhubani	Madhubani	0	5	145	3398	2096	5644	0	0	90	1371	0	1461	0		8800	3312
31	Saharsa	Saharsa	44	0	0	1326	860	2230	0	0	0	367	0	367	0		4886	2460
32	Supaul	Supaul	248	15	169	1853	986	3271	40	4	87	322	39	492	0		5149	2911
33	Khagaria	Khagaria	22	10	70	1168	717	1987	0	8	53	836	0	897	0		4863	2341
34	Madhepura	Madhepura	0	12	421	1896	917	3040	0	12	420	559	0	991	0		3922	3191
35	Purnia	Purnia	0	57	350	2536	1402	4141	0	57	56	427	0	540	0		7798	3228
36	Kishanganj	Kishanganj	0	12	381	1335	728	2460	0	0	145	370	0	515	0		3883	1999
37	Araria	Araria	216	0	100	1910	1217	3443	0	0	300	1132	609	2041	0		3679	2150
38	Katihar	Katihar	0	0	522	2207	1340	4069	0	0	420	1618	30	2068	0		8067	4095
	Total		2579	958	10498	89874	53220	159137	117	416	7153	53100	2767	63554	76	0	204078	106481

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
लोहिया स्वच्छ बिहार
ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल एवं शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार की नई पहल
जन शिकायत निवारण कोषांग
टोल फ्री नम्बर : 18001231121
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि आम जनता को सदैव पेयजल की सुविधा मिलती रहे। पेयजल व्यवस्था को बनाये रखने के लिए चापाकलों की मरम्मति हेतु सभी जिलों में चलन्त रिपेयरिंग यूनिट (मोबाईल रिपेयरिंग यूनिट) की व्यवस्था की गई है ताकि पेयजल की शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत उसका निराकरण किया जा सके।
विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के संबंध में आम लोगों से सूचना प्राप्त करने एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से विभाग के मुख्यालय, पटना तथा राज्य के सभी जिलों के लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल के अन्तर्गत 'नियंत्रण कक्ष' स्थापित किये गये है। किसी भी क्षेत्र में पेयजल की समस्या, विशेषकर विभाग द्वारा निर्मित सौरऊर्जा एवं पाईप जलापूर्ति योजना के बन्द रहने के संबंध में सूचना नियंत्रण कक्ष में दर्ज कराई जा सकती है। विभाग द्वारा मुख्यालय, पटना एवं जिला स्तर पर लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में स्थापित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या निम्नवत् है:
नियंत्रण कक्ष (मुख्यालय, पटना): 0612- 2545739
शुद्ध जल पीयें, स्वस्थ जीवन जीयें
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना
द्वारा जनहित में जारी

(71)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–6/वि01–10132/15– 993 पटना, दिनांक– 30/03/16

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
मुख्य अभियंता (नागरिक)

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

विषय: "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के कार्यान्वयन के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक –6/वि01–10132/15–287, पटना, दिनांक–01.02.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में स्वीकृत योजना का पूरा कार्य तथा वर्ष 2015–16 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत स्वीकृत योजना में उन चापाकलों का निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने की अनुमति दी जाती है जिसके लिए निविदा हो चुकी है। तदनुसार योजना के कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश को निरस्त किया जाता है।

अतः निदेश है कि उक्त आलोक में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियंता (नागरिक)

ज्ञापांक– 993 पटना, दिनांक– 30/03/16
प्रतिलिपि–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियंता (नागरिक)

ज्ञापांक– 993 पटना, दिनांक– 30/03/16
प्रतिलिपि–विभागीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियंता (नागरिक)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित प्रतिवेदन।

.....

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सामान्यतया चापाकलों का निर्माण कराया जाता है। इसके साथ ही बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना, एकल ग्राम आधारित पाईप जलापूर्ति योजना एवं सौर उर्जा चालित पम्प विद्युत चालित पम्प के साथ मिनी जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन कराया जाता है।

'बसावट आधारित नीति' अपनाकर राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के हर आदमी खासकर जिन्हें अभी तक पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, को सुरक्षित, पर्याप्त, दीर्घकालिक (Sustainable), पहुँच के अंदर तथा सदा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार एक लाख 10 हजार एक सौ चालीस ग्रामीण टोलें हैं। इन ग्रामीण टोलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा चापाकलों का निर्माण कराया गया है एवं कोई भी टोला पेयजल स्रोत विहीन नहीं है।

पेयजल सुविधा हेतु विभाग द्वारा गत वर्ष तक लगभग 8 लाख चापाकलों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में अब तक 63 हजार चापाकलों का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों 700 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाएँ तथा एक बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना चालू अवस्था में है। इसके अतिरिक्त लगभग 1200 सौर उर्जा चालित मिनी जलापूर्ति योजनाएँ भी चालू अवस्था में है।

विभाग द्वारा चापाकलों को चालू रखने हेतु नियमित रूप से मरम्मति–सम्पोषण का कार्य भी कराया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 1 लाख 8 हजार चापाकलों की साधारण मरम्मति कर चालू किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं एवं मिनी जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मति का कार्य भी निरंतर कराया जाता है ताकि पेयजल व्यवस्था बनी रहे।

राज्य के ग्रमीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु वर्ष 2012–13 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" की शुरुआत की गयी थी जिसके अंतर्गत माननीय सदस्य बिहार विधान सभा की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत 5 तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम के

.....

अंतर्गत प्रति वार्ड 3, नगर परिषद के अंतर्गत प्रति वार्ड 2, नगर पंचायत के अंतर्गत प्रति वार्ड 1 की दर से नये चापाकलों के निर्माण एवं बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 चापाकलों के निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। उक्त योजना के तहत वर्ष 2015–16 तक चापाकल के निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं योजना का कार्यान्वयन किया गया एवं कराया जा रहा था।

परन्तु वर्तमान में सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 के अंतर्गत लागू की गयी विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी नीति के तहत "हर घर नल का जल" देने का निर्णय लिया गया। उक्त आलोक में चापाकलों के निर्माण पर होने वाले व्यय की राशि का उपयोग पाईप जलापूर्ति योजना पर करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" को बंद करने का निर्णय लिया गया था। परन्तु माननीय सदस्यों के विशेष अनुरोध एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में चापाकलों के निर्माण हेतु स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन पूरी तरह करने तथा वर्ष 2015–16 में स्वीकृत वैसे चापाकलों जिनके कार्यान्वयन हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, के कार्यों को पूरा करने का निर्णय अब सरकार द्वारा ले लिया गया है। तद्नुसार आदेश विभागीय पत्रांक–993, दिनांक–30.03.2016 के द्वारा निर्गत किया जा चुका है। उक्त से स्पष्ट है कि सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सदैव तत्पर एवं संकल्पित है।

वर्तमान गर्मी में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु भी सरकार तत्पर है एवं इस हेतु तैयारी की गई है। इस संदर्भ में प्रत्येक जिला के हर प्रखण्ड के 5–5 चापाकलों के जल स्तर की मापी लेकर उनकी मॉनेटरिंग की जा रही है ताकि पेयजल समस्या का आकलन पूर्व में ही किया जा सके। माह मार्च 16 में भू–जल स्तर की प्रतिवेदन के आलोक में राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में से नालंदा, पटना, गया, नवादा, लखीसराय, रोहतास, नालंदा एवं औरंगाबाद जिला में मार्च 2014 एवं मार्च 15 की तुलना में भू–जल स्तर की गिरावट 2 फीट तक है। दक्षिण भाग के अधिकांश जिलों में भू–जल स्तर 30 फीट के तक है। सिर्फ भभुआ (कैमूर) जिला में 38 फीट 8 इंच है।

राज्य के दक्षिण भाग के सभी जिलों में विभाग द्वारा इंडिया मार्क– II एवं इंडिया मार्क– III पम्प लगाये जाते है जिससे सामान्यतया भू–गर्भीय जल 80 फीट नीचे तक को लिफ्ट किया जा सकता है एवं आवश्यकतानुसार जिसे बढ़ाकर 100 फीट तक लिफ्ट किया जा सकता है।

राज्य के उत्तर बिहार के किसी भी जिले में मार्च 14 एवं मार्च 15 की तुलना में कहीं भी पेयजल समस्या नहीं है एवं भू–जल स्तर में गिरावट नहीं है।

विभाग द्वारा आम जनता से पेयजल की समस्या के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त करने हेतु सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष चालू है एवं राज्य के मुख्यालय स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष चालू है। इसके साथ ही जन शिकायत हेतु टॉल फ्री नं0 जारी किया गया है जो नम्बर –1800–123–1121 है।

पेयजल समस्या संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर उसे त्वरित निराकरण हेतु सभी जिलों में चलंत मरम्मति दल कार्यरत रखने का निदेश निर्गत है। साथ ही सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करने हेतु निदेश दिया गया है ।

गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु आकस्मिक योजना (Contingency Plan) भी तैयार रखने का निदेश क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया गया है। इसके तहत पेयजल की समस्या हेतु चिह्नित ग्रामों/टोलों में पेयजल की व्यवस्था हेतु रूट–चार्ट के साथ टैंकर के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था हेतु तैयारी की गयी है। इस हेतु राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में 226 जल टैंकर रखे गये हैं तथा उत्तर भाग के 21 जिलों के लिए 25 जल टैंकर की व्यवस्था है। पेयजल की समस्या की सूचना मिलने पर जल टैंकर से भी पेयजल की व्यवस्था त्वरित गति से की जायेगी।

विभाग द्वारा चलंत जल शोधन संयंत्र के साथ 6 जलदूत की व्यवस्था भी की गयी है जिसे आवश्यकतानुसार क्षेत्र स्तर पर प्रयोग में लाया जायेगा एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। इस प्रकार 6 के संयंत्र विभाग के पास उपलब्ध हो गये हैं एवं 14 अन्य संयंत्र भी माह अप्रैल, 16 में उपलब्ध हो जाएँगे।

इसके साथ ही निम्नांकित तैयारियाँ भी की गई है :

- टैंकर/पी0सी0सी0 टैंक के माध्यम से ढुलाई कर जलापूर्ति करने हेतु **संभावित बसावटों/टोलों** की पहचान कर **रूट चार्ट** के साथ पेयजल की व्यवस्था करना।
- संभावित समस्याग्रस्त गाँवों/टोलों में पेयजल की व्यवस्था हेतु गाँवों के नजदीक विभागीय पेयजल स्रोत/लघु जल संसाधन विभाग का स्रोत/केन्द्रीय भू–जल पर्षद का स्रोत/निजी जल स्रोत की पहचान।
- इण्डिया मार्क– II एवं इण्डिया मार्क– III हैण्ड पम्प में सड़े पुराने राईजर पाईप को बदलने/बढ़ाने का कार्य।
- खराब/बंद पड़े चापाकलों की मरम्मति हेतु **विशेष अभियान** चलाकर उनको ठीक कराना।

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु कार्य कराये जाते है।
- पेयजल सुविधा हेतु चापाकल, पाईप जलापूर्ति योजना एवं मिनी पाईप जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन कराया जाता है।
- विभाग द्वारा गत वर्ष तक लगभग 8 लाख चापाकल निर्मित किये गये एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में अब तक 63 हजार चापाकलों का निर्माण कराया गया है।
- निर्मित चापाकलों में से 1 लाख 8 हजार चापाकलों की मरम्मति कराकर चालू किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 7 सौ ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना एवं 1 बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना तथा 12 सौ मिनी जलापूर्ति योजना चालू है।
- वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में स्वीकृत "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" अंतर्गत चापाकल का निर्माण कार्य पुनः चालू करने हेतु आदेश निर्गत किया गया है।
- सरकार द्वारा अब "हर घर नल का जल" देने हेतु पाईप जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
- विभाग द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड के पाँच चापाकलों के भू–जलस्तर की साप्ताहिक मोनेटरिंग की जा रही है।
- राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में माह मार्च, 2014 की तुलना में मार्च (अंतिम सप्ताह), 2016 में औसतन भू–जलस्तर में 1 फीट तक गिरावट पटना, गया, नवादा, रोहतास, शेखपुरा में है, तथा 2 फीट तक का गिरावट नालंदा, औरंगाबाद एवं लखीसराय में है। इसी प्रकार मार्च 2015 की तुलना में नालंदा, नवादा, रोहतास, लखीसराय एवं भागलपुर में 1 फीट तक तथा पटना, गया औरंगाबाद एवं शेखपुरा में 2 फीट तक गिरावट की सूचना है।
- राज्य के उत्तरी बिहार के जिलों भू–जलस्तर के गिरावट की सूचना नहीं है।
- दक्षिण भाग के जिलों में भू–जलस्तर 30 फीट तक है एवं सिर्फ मुंगेर जिला में 38 फीट छः इंच है। इन जिलों में इंडिया मार्क –II एवं इंडिया मार्क–III पम्प के साथ चापाकल लगाये गये है जिससे 80 फीट तक पानी आसानी से

लिफ्ट किया जा सकता है एवं आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाकर 100 फीट किया जा सकता है।

- विभाग के मुख्यालय में **नियंत्रण कक्ष चालू** है। साथ ही जिला स्तर पर लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, में नियंत्रण कक्ष चालू है। साथ ही जन शिकायत हेतु टॉल फ्री नम्बर–1800–123–1121 विभाग द्वारा जारी किया गया है जिस पर आम जनता से शिकायत होने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।
- जिलास्तर पर चापाकलों की मरम्मति हेतु चलंत मरम्मति दल रखने का निदेश जारी किया गया है एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इसे हेतु कार्रवाई की गयी है।
- विभाग के पास राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में 226 जल टैंकर एवं उत्तर भाग के 21 जिलों में 25 जल टैंकर यानि 251 जल टैंकर उपलब्ध है जिसे तैयार रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर तत्काल पेयजल की व्यवस्था टैंकर के माध्यम से की जाती है।
- टैंकर/पी0एच0सी0 टैंक के माध्यम से ढुलाई कर जलापूर्ति करने हेतु **संभावित बसावटों/टोलों** की पहचान कर **रूट चार्ट** के साथ पेयजल की व्यवस्था की जाती है।
- संभावित समस्याग्रस्त गाँवों/टोलों में पेयजल की व्यवस्था हेतु गाँवों के नजदीक विभागीय पेयजल स्रोत/लघु जल संसाधन विभाग का स्रोत/केन्द्रीय भू-जल पर्षद का स्रोत/निजी जल स्रोत की पहचान की गई है।
- इण्डिया मार्क– II एवं इण्डिया मार्क– III हैण्ड पम्प में सड़े पुराने राईजर पाईप को बदलने/बढ़ाने का कार्य कराया जा रहा है।
- खराब/बंद पड़े चापाकलों की मरम्मति हेतु **विशेष अभियान** चलाकर उनको ठीक कराया जा रहा है।
- पेयजल गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय जल जाँच प्रयोगशाला एवं राज्य स्तर पटना में प्रयोगशाला अधिष्ठापित है।
- पेयजल की समस्या की सूचना मिलने पर मुख्यालय स्तर से वरीय पदाधिकारियों की दल को जाँच हेतु भेजा जाता ताकि वास्तविक स्थिति की जानकारी तुरंत मिले एवं उसका निदान किया जा सके।